क्रम संख्या-79 (ख)

पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0एन0-30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 21 मई, 2003 ई0
बैशाख 31, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 174/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 21 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को दिनांक 21-5-03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 05, सन् 2003 के रूप में सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2003)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के स्थान पर उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में सहकारी समितियों के लिए अधिनियमित

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित :-

No. 174/Vidhayee & Sansadiya Karya/2003
Dated Dehredun. May 21, 2003

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Co-operative Societies Act. 2003. (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 05 of 2003).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the governor on May 21, 2003.

UTTARANCHAL CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2003

(Act No. 05 of 2003)

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-fourthy year of the Republic of India a replacing bill of Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 enacted to provied for Co-operative Society in the state of Uttaranchal.

It is Herby enacted in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows:-

अध्याय-1
प्रारम्भिक
CHAPTER - 1
PRE IMINARY

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करें।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा दिनांक निश्चित करते समय राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है, कि घोषणा में निर्दिष्ट किये जाने वाले कोई उपबन्ध इस प्रकार निश्चित दिनांक से प्रचलित न होंगे और उस दशा में ऐसे उपबन्ध उस दिनांक या उन दिनांको से प्रचलित होंगे, जो राज्य सरकार उसी प्रकार तदर्थ निश्चित करे।

Short title, extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Co-operative Societies Act, 2003.

(2) It extenda to the whole of the State of Uttaranchal.

(3) It shall come into force from such date as the State Government may by notification in the Gazette, Appointing in this behalf.

Provided that while appointing such date the State Government may declare that any provisions to be specified in the declaration shall not come into force from the date so appointed and in that case such provisions shall come into force from such date or dates as the State Government may similarly appoint in that behalf.

परिभाषायें

2. जब तक किसी प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-

(अ) ''सहकारी समिति'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबन्धित या निबन्धित समझी जाने वाली किसी समिति से है :

(ब) ''प्रारम्भिक समिति'' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसकी साधारण सदस्यता किसी अन्य सहकारी समिति के लिए सुलभ न हो;

(ब-1) ''ऋण समिति'' का तात्पर्य उस समितिस से है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए निधि एकत्र करना हो। प्रतिबन्ध यह है कि :-

(I) किसी सहकारी क्रय-विक्रय समिति को जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले के एक भाग में या एक से अधिक जिले के भाग में हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा, चाहे उसका साधारण सदस्य कोई अन्य समिति हो या नहीं;

(II) कोई प्रारम्भिक सहकारी समिति जिसका कोई अंश किसी केन्द्रीय या शीर्ष समिति ने अध्याय 6 के अधीन क्रय किया है, ऐसा अंश क्रय किये जाने पर भी पूर्ववत् प्रारम्भिक समिति ही रहेगी;

(III) किसी सहकारी समिति को, जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले का केवल एक भाग हो और जिसका मुख्य उद्देश्य बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा, कृषि उपकरण या उपभोक्ता माल का संग्रह और अपने साधारण सदस्यों में वितरित करना हो और जिसकी सदस्यता में उसके साधारण सदस्य के रूप में कोई अन्य सहकारी समिति हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा, भले ही उसके सदस्य अन्य सहकारी समिति हों।

(ब-2) ''केन्द्रीय समिति'' या ''केन्द्रीय सहकारी समिति'' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसका साधारण सदस्य कोई अन्य सहकारी समिति हो और जो प्रारम्भिक सहकारी समिति न हो;

(स) ''शीर्ष समिति'' ''शीर्ष स्तर समिति'' या ''राज्य स्तर सहकारी समिति'' का तात्पर्य ऐसी समिति से है-

(1) जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में फैला हुआ है।

(2) जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने से सम्बद्ध सदस्य समितियों के मुख्य उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में सहायता देना तथा सुविधायें एवं सेवायें प्रदान करना है तथा,

(3) जिसे निबन्धक द्वारा शीर्ष समिति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

(द) ''कृषि समिति'' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि करना हो, जिसके

अन्तर्गत कृषि फसलों का उत्पादन, प्रसंस्करण या क्रय-विक्रय, उद्यानीकरण, चाय की खेती, रेशम के कीड़े पालना एवं पशुपालन, जिसके अन्तर्गत शूकर-पालन, मत्स्य सम्बर्द्धन, कुक्कुट पालन और दुग्ध व्यवसाय भी है ;

(य) ''मध्यस्थ मण्डल'' का तात्पर्य उस निकाय से है, जो निबन्धक द्वारा उसको अभिदिष्ट विवादों का निर्णय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हो;

(र) ''उप-विधि'' का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित उप-विधि से है;

(ल) ''सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति'' का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है, जिसके समापित होने की दशा में, उसके ऋणों के लिए उसके प्रत्येक सदस्य का दायित्व उस समिति की उपविधियों द्वारा सीमित हो;

(व) ''असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति'' का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है, जिसके सदस्य, उसके समापित होने की दशा में, उसके समस्त आभारों के लिए तथा समिति की परिसम्पत्तियों में न्यूनता पाये जाने पर उनमें अंशदान देने के लिए संयुक्त रूप से था पृथक्-पृथक् उत्तरदायी हो तथा परिसम्पत्तियों की न्यूनता (डेफीसिट) में योगदान करेंगे;

(स) ''प्रबन्ध कमेटी'' का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की ऐसी कमेटी से है चाहे, वह किसी भी नान से पुकारी जाय, जिसे समिति के कार्यो का प्रबन्ध सौंपा गया हो;

(ष) ''प्रबन्ध कमेटी'' का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की ऐसी कमेटी से है चाहे, वह किसी भी नाम से पुकारी जाय, जिसे समिति के कार्यो का प्रबन्ध सौंपा गया हो;

(श) ''लाभांश'' का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की अंश-पूंजी में सदस्यों द्वारा धारित अंशों पर, लाभ से दिये जाने वाली उस राशि से है, जिसे अंश-पूंजी के अनुपात में सदस्य को वितरित किया जायेगा;

(ह) ''वित्त पोषक बैंक'' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य, सदस्य अथवा अन्य सहकारी समितियों को रूपया उधार देना है, जिसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट 1934 में परिभाषित अनुसूचित बैंक एवं अन्य निगमित निकाय (Corporate Body) व वित्तीय संस्थायें सम्मिलित होंगी, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है तथा जो सहकारी समिति को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करती है।

(ह-1) ''कोऑपरेटिव बैंक'' का तात्पर्य उस समिति से है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 5(1)(सीसी-1) की उपधारा एक (ख) में परिभाषित बैंकिंग व्यवसाय करती हो;

(ह-2) ''अरबन कोऑपरेटिव बैंक'' का तात्पर्य प्राथमिक कृषि ऋण समिति से भिन्न प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक से है;

(1) जिसका प्रमुख उद्देश्य बैंकिंग व्यवसाय करना हो:

(2) जिसकी अंश पूंजी एवं रक्षित निधि एक लाख रूपये से कम न हो;

(3) जिसकी उप विधियों में किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य बनाना अनुमन्य न हो-

(क) परिसमापक का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबन्धक द्वारा किसी सहकारी समिति के कार्यो को समापित करने के लिए नियुक्त व्यक्ति से है;

(ख) ''अधिकतम दायित्व'' का तात्पर्य उस अधिकतम धनराशि से है जो किसी सहकारी समिति द्वारा उधार ली जा सकती हो, इसके अन्तर्गत अंश पूंजी नहीं है;

(ग) ''सदस्य'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी समिति के निबन्धन के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हुआ हो, अथवा ऐसे व्यक्ति से है जिसे तत्समय प्रचलित अधिनियम नियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे निबन्धन के पश्चात सदस्य बनाया गया हो, किन्तु इस अधिनियम में कहीं पर भी किसी अधिकार के रखने या उसका प्रयोग करने अथवा किसी दायित्व या कर्तव्य के विद्यमान होने या निवर्गहन करने के सम्बन्ध में ''सदस्य'' के निर्देश के अन्तर्गत सदस्यों के किसी वर्ग का निर्देश न होगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण ऐसा अधिकार नहीं रखता या जिसका कोई दायित्व या कर्तव्य न हो;

(घ) ''सहकारी समिति का अधिकारी'' का तात्पर्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, मुख्य कार्यकारी प्रबन्ध कमेटी के सदस्य, कोषाध्यक्ष, परिसमापक, प्रशासक अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से है, जो पारिश्रमिक पर अथवा बिना पारिश्रमिक के समिति के कार्यो का पर्यवेक्षण तथा निर्देशन करने के लिए चुना गया हो, सहकारी समिति द्वारा नामित किया गया हो अथवा नियोजित किया गया हो;

(ङ) साधारण सदस्य का तात्पर्य सहकारी समिति के ऐसे सदस्य से है, जिसको इस अधिनियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार समिति के कार्या में मत देने का अधिकार हो;

(च) ''नियत'' का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है;

(छ) ''निबन्धक का तात्पय्र धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सहकारी समितियों के निबन्धक (रजिस्ट्रार) के रूप में तत्समय नियुक्त व्यक्ति से है तथा इसके अन्तर्गत उक्त धारा उपधारा (2) के अधीन नियुक्त ऐसे अधिकारियों से भी है जो निबन्धक के सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करें;

(ज) ''नियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है;

(झ) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;

(प) ''न्यायाधिकरण'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संगठित सहकारी न्यायाधिकरण से है;

(त) ''उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद'' (उत्तरांचल स्टेट कोऑपरेटिव काउन्सिल) का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के लिए अध्याय 13 ''क'' में अंकित प्राविधानों के अनुसार गठित परिषद् (काउन्सिल) से है।Definition

2. In this Act, unless the context otherwise requires,

(A) "Co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under this Act;

(B) Primary Society is a Co-operative Society of which no member is a registered society;

(B-1) "Credit Society" means a society which has as its primary object the raising of funds to be lent to its members; Provided That:

(i) a co-operative marketing society, the area of operation whereof is only a part of a district or part of more than one district shall be deemed to be a primary society whether or not any other co-operative society is its ordinary member;

(ii) a primary co-operative society any share whereof has been purchased under Chapter VI, by a central or apex society shall continue to be a primary society notwithstanding the purchase of such shares;

(iii) a co-operative society, the area of operation whereof is only a part of a district and the primary object whereof is to arrange for the storage and distribution of seeds, fertilzers pesticides, agricultural appliances or consumer goods to its ordinary mambers and the membership whereof includes any other co-operative society as its ordinary member, shall be deemed to be primary society notwithstanding the membership of other co-operative society in it.

(B-2) "Central Society" or cantral co-operative society means a co-operative society, which has any other co-operative society as its ordinary member and is not a primary co-operative society;

(C) "Apex Society", "Apex level society" or "State level Co-operative society" means;

(i) The area of operation of which extends to the whole State of Uttaranchal.

(ii) The main object of which is to promote the principal objects of societies affiliated to it as members & to provide for the facilities & services to them.

(iii) Which has been classified as an apex society by the Registrar,

(D) "Agricultural society" means a co-operative society the majority of the ordinary members whereof are primarily engaged in agricultural occupation which shall include production, processing or marketing of agricultural crops, horiculture, Tea, Sericulture and animal hunsandry which includes piggery, pisciculture, poultry farming and dairying:

(E) "Arbitrator" means a person appointed under this Act to decide disputes referred to him by the Registrar:

(F) "Bye-laws" means the registered bye-laws of a co-operative society for the time being in force;

(G) "Co-operative Society with limited liability means a co-operative society in which the liability of its members for the debts of the society in the event of its being wound up is limited by its bye-laws;

(H) "Co-operative Society with unlimited liability" means a co-operative society the members of which are, in the event of its being wound up, jointly and severally liable for in respect of all its obligations and to contribute to any deficit in the assets of the society;

(I) "Committee of Management" means the committee of a co-operative society, by whatever name called, to which the management of the affairs of the society is entrusted:

(J) "Co-operative year" means the year commencing on the first day of April and ending on the thirty-first day of March next following;

(K) Dividend means the amount paid out of the profits of a society, to a member in proportion to the shares held

by him>

(L) "Financing Bank" means a Co-operative Society, the main object of which is to assist any affiliated or other co-operative society by giving loans or advancing money & includes any scheduled bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 & such other body corporate or financial institution as may be notified by the Govt. from time to time. which gives financial or other aid to a co-operative society.

(L-1) "Co-operative Bank" means a society which is doing the business of banking as defined in clause (CCI) of sub section (1) of Section 5 of the Banking Regulation Act, 1949.

(L-2) "Urban Co-operative Bank" means a primary co-operative bank other than a primary agricultural credit society:

(i) the primary object of which is the tansaction of banking business:

(ii) the paid up share capital and reserves of which are not less than one lacs rupees, and;

(iii) the bye-laws of which do not permit admission of any other co-operative society as a member.

(M) "Loquidator" means a person appointed by the Registrar under this Act to wind up the affair of a co-operative society;

(N) "Maximum liability" means the maximum amount that can be borrowed by a co-operative society. It does not include share capital;

(O) "Mamber" means a person who joined in the application for registration of a society or a person admitted to membership after such registration in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws for the time being in force but a refarence to "Members" anywhere in this Act in connection with the possession or exercise of any right of power or the existence or discharge of any liability or duty shall not include reference to any class of members who by reason of the provisions of this Act do not possess such right or power or have no such liability or duty;

(P) "Officer of a co-operative society" means the President, Vice-President, Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Member of committee, of Management, Treasurer, Liquidator, Administrator or any other person employed by a co-operative society whether with or without remuneration to carry on the business of the society or to supervise its affairs;

(Q) "Ordinary member" means a member of a co-operative society having a right to vote in the affairs of the society in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws;

(R) "Prescribed" means prescribed by rules;

(S) "Registrar" means the person appointed as Registrar of Co-operative Societies under sub-section (1) of Section 3 and includes any person appointed under sub-section (2) of that section when exercising all or any of the powers of the Registrar;

(T) "Rules" means rules made under this Act;

(U) "State Government" means the government of Uttaranchal;

(V) "Tribunal" means a Co-operative Tribunal under this Act;

(W) "The State Co-operative Council" means the council constituted for Uttaranchal State under chapter XII-A of this Act.

अध्याय–2
निबन्धक एवं निबन्धन
CHAPTER - II

REGISTRAR & REGISTRATION

निबन्धक अन्य अधिकारी तथा उसके अधिकार

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी समितियों का निबन्धक नियुक्त कर सकती है।

(2) निबन्धक को इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य सम्पादन में सहायता देने के लिए राज्य सरकार ऐसी संख्या में अपर निबन्धक, संयुक्त निबंन्धक, उप निबन्धक, सहायक निबन्धक एवं अन्य व्यक्तियों को ऐसे पदनामों से जैसा वह उपयुक्त समझे, नियुक्त

कर सकती है।

(3) (अ) राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनकी नियुक्ति उप धारा 2 के अन्तर्गत हुई है, को इस अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धक के सभी अथवा कोई अधिकार प्रदान कर सकती है।

(ब) सभी व्यक्ति जिनकी नियुक्ति उप धारा (2) के अन्तर्गत हुई है, निबन्धक के सामान्य निर्देशों, अधीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगें;

(स) जहों इस अधिनियक के किसी उपबन्ध के अधीन निबन्धक के सभी या कोई अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिए उप धारा (2) के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, वहां ऐसे आदेश द्वारा उस व्यक्ति को समय-समय पर यथा संशोधित उस उपबन्ध के अधीन सभी अधिकार प्रदत्त समझे जायेगें।

Registrat and other officers & their powers

3. (1) For carrying out the purposes of this Act, the State Govt. may appoint a person to be the Registrar of Co-operative societies for the State.

(2) To assist the Registrar in his functions under this Act, the State Govt. may appoint such number of Additional Registrars, Joint Registrar, Dy. Registrars, Assistant Registrars and other persons with such designations as it may think.

(3) (a) The State Govt. may by general or special order, confer on a person or persons appointed under section 2 all or any of the powers of Registrar under this Act;

(b) Every person appointed under sub section(2) shall work under the general guidance and the suprintendence and control of the Registrar;

(c) Where any order has been made under sub section(2) conferring on any person all or any of the powers of the Registrar under any provision of this Act such order shall be deemed to confer on him all the powers under that provision as may be amended from time to time.

सहकारी समितियाँ जो निबन्धित की जा सकती हैं

4. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई समिति जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति करना हो अथवा कोई समिति जो उक्त समिति के कार्य संचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो इस अधिनियम के अधीन निबन्धित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति का निबन्धन नहीं किया जायेगा, जो निबन्धक की राय में आर्थिक रूप से सुस्थित (Economically sound) नहीं है, अथवा उसके निबन्धन से किसी अन्य समिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा वह समिति तथा उसके कार्य लोक नीति के विरुद्ध हैं।

सहकारिता सिद्धान्तों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे-

(1) स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता।

(2) लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण।

(3) सदस्य की आथ्रिक सहभागिता

(4) स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता।

(5) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना।

(6) सहकारी समितियों के बीच सहयोग।

(7) समुदाय के लिए चिंता।

Socleties which may be registered

4. Subject to the provisions of this Act. a society which has as its objects the promotion of the economic interest of its members or their general welfare in accordance with Co-operative principles* or a Society established with the object of facilitating the operations of such a society, may be registered under this Act.

PROVIDED that it shall not be registered, if in the opinion of the Registrar, it is economically unsound, or its registration may have an adverse effect upon any other sociaty, or it is opposed to, or its working is likely to be in contravention of public policy;

*Co-operative Principles shall Include:

(1) Voluntary & open membership;
(2) Democratic mamber control;
(3) Member Economic participation;
(4) Autonomy & Independence;
(5) Education, Training & Information;
(6) Co-operation amongst co-operatives;
(7) Concern for community.

सीमिति अथवा असीमित दायित्वपूर्ण निबन्धन

5. (1) कोई समिति, सीमित अथवा असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति के रूप में निबन्धित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति का निबन्धन जिसका कोई साधारण सदस्य दूसरी सहकारी समिति हो सीमित हो सीमित दायित्व वाली समिति के रूप में होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित सीमित दायित्व वाली समिति के नाम का अन्तिम शब्द ''सीमित'' अथवा उसका अंग्रेजी पर्याय (Limited) होगा।

Registration with limited or unlimited liability

5. (1) A society may be registered as a co-operative society with limited or unlimited liability:

Provided that a society having another co-operative society as its ordinary member shall be registered only with limited liability.

(2) The word 'सीमित' or its equivalent in English "Limited" shall be the last word in the name of a society registered under this Act with limited liability.

निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र

6. (1) सीमित के निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र निबन्धक को नियत रीति से ऐसे प्रपत्र में दिया जायेगा, जो निबन्धक समय-समय पर निर्दिष्ट करे, तथा प्रार्थी सीमित के सम्बन्ध में उसे ऐसी समस्त सूचना देंगे, जिसकी वह अपेक्षा करे।

(2) ऐसे प्रत्येक प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूति की जायेगी, अर्थात:-

(क) इसके साथ समिति की प्रस्तावित उपविधियों की तीन प्रतियां होंगी;

(ख) प्रार्थी धारा 17 के अधीन सदस्यता का पात्र होगा।

(ग) प्रार्थना-पत्र पर प्रत्येक ऐसे प्रार्थी के यदि वह व्यक्ति विशेष हो और किसी यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति के, यदि प्रार्थी धारा 17 के खण्ड (ख) से (च) तक के किन्हीं भी खण्डों में उल्लिखित कोई व्यक्ति हो, यथाविधि हस्ताक्षर होंगे;

(घ) ऐसे प्रार्थियों की संख्या, जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि समस्त प्रार्थी व्यक्ति विशेष हो, तो दस से कम न होगी और अन्य दशाओं में पांच से कम न होगी;

(ङ) यदि समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत उसके सदस्यों को ऋण देने के लिए निधियों का सृजन करना भी हो तो समस्त प्रार्थी जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि वे व्यक्ति विशेष हों तो एक ही गांव अथवा नगर में अथवा आसन्नवर्ती गांव के समूह में रहते हों अथवा एक ही वर्ग के हों;

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों को एक ही वर्ग मा माना जायेगा, यदि वे एक ही व्यवसाय करते हों अथवा एक ही सेवायोजक के अधीन हों।

Application for registradon

6. (1) An application for the registration of a society shall be made in the manner prescribed by the Registrar in such forms as the Registrar may from time to time specify; and the applicants shall furnish to him all such informations about the society as he may require.

(2) Every such application shall conform to the following requirements namely-

(a) that it is accompanied by three copies of the proposed bye-laws of the society;

(b) that the applicants are eligible for membership under Section 17.

(c) that the application is duly signed by every applicant himself, if he is an individual, and by a duly

authorized person if the applicant is any of the persons mentioned in any of the clauses(b) to (g) of Section 17;

(d) that the number of applicants, who are to be ordinary members of the society, is not less than ten, if all the applicants are individuals, and is not less than five in all other cases;

(e) that where the objects of the society include the creation of funds to be lent to its members, all the applicants who are to be the ordinary members of society. if individuals reside in the same town or village or a group of contiguous villages, or belong to the same class;

Explanation : for the purposes of this clause any two or more persons shall be deemed to belong to the same class, if they pursue the same occupation or are under a common employers.

निबन्धन

7 (1) यदि निबन्धक का समाधान हो जाय कि–

(क) प्रार्थना–पत्र अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार है;

(ख) प्रस्तावित सहकारी समिति के उद्देश्य धारा 4 के अनुसार है;

(ग) प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं ; तथा

(घ) प्रस्तावित समिति सामान्यतया अथवा समितियों के उस वर्ग के जिस वर्ग की वह विशेष समिति हो, किन्हीं शर्तो के विद्यमान होने के सम्बन्ध में नियमों की अपेक्षाओं कीह तथा सुस्थित कारोबार (Sound Business) की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है, और उसकी सफलता प्राप्त करने की समुचित सम्भावनायें हैं, तो निबन्धक समिति तथा उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक यदि प्रार्थना–पत्र देने के दिनांक से दो महीने के भीतर समिति को निबद्ध करने अथवा उसका निबन्धन करने से इन्कार करने का अन्तिम आदेश नहीं देता तो प्रार्थी उस प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दे सकता है, जो किसी समिति को निबद्ध करने से इन्कार करने के निबन्धक के आदेशों के विरूद्ध धारा 98 के अधीन अपील सुनने के लिए सक्षम हो और यदि ऐसा प्राधिकारी निबन्धक से रिपोर्ट मांगने के पश्चात समिति का निबन्धन करने के लिए आदेश दे तो समिति निबन्धक को ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से यथाविधि निबद्ध की गई समझी जायेगी।

(2) यदि निबन्धक सिी समिति को निबन्धित करने से इन्कार करे तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित उस प्रार्थी को संसूचित करेगा जो प्रार्थना–पत्र में इस प्रयोजनार्थ नामांकित हो तथा ऐसे नामांकन के अभाव में प्रार्थियों में से एक को संसूचित करेगा।

Registration

7. (1) If the Registrar is satisfied-

(a) that the application complies with the provisions of this act and the rules;

(b) that the object of the proposed society are in accordance with Section 4;

(c) that the proposed bye-laws are not inconsistent with the provisions of this Act and the rules; and

(d) that the proposed society complies with the requirements of rules in regard to the existence of any conditions in general or for the class of societies to which the particular society belongs and with the requirements of sound business and has reasibavke cgabces if success.

The Registrar shall register the society & its bye-laws. However, if the Registrar does not pass final orders thereon either registering the society or refusing its registration within two months from the date of the reseipt of the application by him, the applicants may make a representation to the authority competent to hear under Section 98 appeals against Registrar's order of refusal to register a society and if such authority, after calling for a report from the Registrar, passes an order for registration of society, the society shall be deemed to have been duly registered from the date of communication of such order to the Registrar.

(2) Where the Registrar refuses to register a society, he shall communicate the order of refusal together with the reasons to such applicant as has been named in the application for this purpose and in default of such naming, to any one of the applicant.

निबन्धन प्रमाण-पत्र

8. (1) यदि कोई समिति, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित हो अथवा धारा 7 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निबन्धित समझी जाय, तो निबन्धक अपने हस्ताक्षरयुक्त निबन्धन प्रमाण-पत्र जारी करेगा। जब तक यह प्रमाणित न हो जाय कि निबन्धन रद्द कर दिया गया है, तब तक उक्त प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण होगा कि उसमें उल्लिखित समिति इस अधिनियम के अधीन यथाविधि निबन्धित सहकारी समिति है।

(2) कोई व्यक्ति या समिति किसी सहकारी समिति के नाम से या अपने को सहकारी समिति व्यक्त करते हुए तब तक कारोबार प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक समिति के लिए उपधारा (1) के अधीन निबन्धन प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया गया हो, तथा प्रत्येक व्यक्ति या समिति का सदस्य जो इस उपधारा का उल्लंघन करके कारोबार करे, उक्त कारोबार में उपगत समस्त दायित्वों का व्यक्तिगत रूप में भागी होगा।

Registration certificate

8. (a) Where a society is registered under this Act or deemed to be registered under the provison to sub-section (1) of Section 7, the Registrar shall issue a certificate of registration signed by him which, unless the registration is proved to have been cancelled, shall be conclusive evidence that the society therein mentioned is a co-operative society duly registered under this Act.

(b) No person or society shall commence business in the name of, or professing to be, a co-operative society unless a certificate of registration has been obtained under sub-section(1) for such society and every person or member of society carrying on business in contravention of this sub-section, shall be personally liable for all liabilities incurred in such business.

सहकारी समितियाँ नियमित निकाय होंगी

9. निबन्धन हो जाने से समिति उसी नाम से जिससे वह निबन्धित हुई हो, निगमित निकाय हो जायेगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा सामान्य मुद्रा होगी। उनका सम्पत्ति धारण करने, संविदाएं करने, वाद तथा अन्य विभिन्न कार्यवाहिंया संस्थित करने तथा उनका प्रतिवाद करने और जिस प्रयोजन के लिए वह संगठित हों, उसके लिए आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार होगा।

Co-operative societies to be bodies corporate

9. The registration of a society shall render it a body corporate by the name under which it is registered, having perpetual succession and acommmon seal, and with power to hold property, enter into contracts, institute and defend suits and other legal proceedings and to do all things necessary for the purpose for which it was constituted.

सहकारी समिति का नाम परिवर्तन

10. (1) सहकारी समिति अपनी उपविधियों का संशोधन करके अपना नाम परिवर्तित कर सकती है।

(2) यदि सहकारी समिति अपना नाम परिवर्तित करती है, तो निबन्धक सहकारी समितियों के रजिस्टर में पहले नाम के स्थान पर नया नाम दर्ज करेगा तथा निबन्धन प्रमाण-पत्र में तदनुसार संशोधन करेगा।

(3) सहकारी समिति के नाम परिवर्तन से न तो समिति या उसके किन्हीं सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, अधिकारियों, भूतपूर्व अधिकारियों अथवा यदि उनमें से कोई मृत हो तो उसके दायादों के अधिकारों या दायित्वों पर प्रभाव पड़ेगा और न सहकारी समिति द्वारा या उसके विरूद्ध की गई कोई विधिक कार्यवाही त्रुटिपूर्ण हो जायेगी, तथा कोई विधिक कार्यवाही जो समिति द्वारा या उसके विरूद्ध उसके पहले के नाम से जारी रखी गयी हो या आरम्भ की गयी हो, उसके नये नाम से जारी रखी या आरम्भ की जा सकती है।

Change of name of Co-operative society

10. (1) A co-operative society may, by amending its bye-laws, change its name.

(2) Where a co-operative society changes its name, the Registrar shall enter the new name on the register of co-operative societies in place of the former name and shall amend the certificate of registration accordingly.

(3) The change of name of a co-operative society shall not affect any rights or obligations of the society or of any of its members, past members, officers, past officers, or the heirs of any of them, if deceased, or render defective any legal proceeding by or against the co-operative society and any legal proceedings which might have been continued or commenced by or against the society by its former name, may be continued

or commenced by its new name.

दायित्व में परिवर्तन

11. (1) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सहकारी समिति, अपनी उपविधियों में संशोधन करके अपने दायित्वों के स्वरूप या उनकी आयती में परिवर्तन कर सकती है।

(2) यदि सहकारी समिति ने अपने दायित्वों के स्वरूप या उनकी आयति में परिवर्तन करने के लिए संकल्प पारित किया हो तो वह उसको लिखित नोटिस अपने सभी सदस्यों और ऋणदाताओं को देगी तथा किसी प्रतिकूल उपविधि या संविदा के होते हुए भी, किसी सदस्य या ऋणदाता को उस पर नोटिस तामील होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथास्थिति अपने अंशों, जमा की गयी धनराशि या ऋणों को वापस लेने का विकल्प प्राप्त होगा।

(3) किसी ऐसे सदस्य या ऋणदाता के सम्बन्ध में, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग न करे, यह समझा जायेगा कि उसने परिवर्तन के लिए सहमति दे दी है।

(4) किसी सहकारी समिति की उपविधियों का ऐसा संशोधन जिसके द्वारा उसके दायित्व के स्वरूप या उसकी आयति में परिवर्तन किया गया हो, उस समय तक निबन्धि नहीं किया जायेगा जब तक कि–

(क) उसके लिए समस्त सदस्यों तथा ऋणदाताओं की सहमति प्राप्त न हो जाय या प्राप्त हुई न समझी जाय अथवा

(ख) ऐसे सदस्यों तथा ऋणदाताओं के समस्त दावों की पूर्ति जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर करे, पूरी तौर से न कर दी गई हो।

Change of liabilities

11. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules, a co-operative society may be an amendment of its bye-laws, change the form or extent of its liability.

(2) Where a co-operative society has passed a resolution to change the form or extent of its liability, it shall give notice thereof in writing to all its members and creditors and notwithstanding any bye-law or contract to the contrary, any member or creditor shall, during a period of three months from the date of service of the notice upon him, have the option of withdrawing, subject to the provisions of Section 41, his shares, deposits or loans as the case may be.

(3) Any member or creditor who does not exercise his option within the period specified in sub-section(2), shall be deemed to have assented to the change.

(4) An amendment of the bye-laws of a co-operative siciety changing the form or extent of its liability shall not be registered until, either-

(a) it has been assented to or deemed to have been assented to by all the members and creditors; or

(b) all claims of members and creditors who exerise the option referred to in sub-section(2) within the period specified therein have been met in full.

सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन

12. (1) सहकारी समिति इस अधिनियकम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियत रीति से अपनी उपविधियों का संशोधन कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई संशोधन तब तक वैध तथा प्रवर्ती न होगा जब तक कि वह (संशोधन) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित न हो जाय।

(2) उपविधियों को संशोधित करने का प्रस्ताव निबन्धक के पास भेजा जायेगा और यदि निबन्धक का यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित संशोधन–

(1) अधिनियम की धारा 4 ममें निर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं है, तथा

(2) अधिनियम या नियमों के अन्य उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है तो वह संशोधन को निबन्धित कर सकता है।

(3) यदि निबन्धक किसी सहकारी समिति की उपविधियों के संशोधन को निबन्धित करने से इन्कार करे तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित समिति को संसूचित करेगा।

Amendment of bye-laws of a co-operative society

12. (1) A co-operative society may, subject ot the provisions of his Act and the rules, amend its bye-laws in the

manner prescribed:

Provided that no such amendment shall be vild and operative unless it has been registered under this Act.

(2) The proposal for an amendment of the bye-laws shall be forwarded to the Registrar and if the Registrar is satisfied that the proposed amendment-

(i) is not contrary to the object specified in Section 4 of the Act; and

(ii) is not contrary to the other provisions of the Act or the rules, he may register the amendment.

(3) Where the Registrar refuses to register an amendment of the bye-laws of a co-operative society, he shall communicate the order of refusal, together with the reasons thereof, to the society.

उपविधियों के संशोधन कब प्रचलित होंगे

13. यदि यह अभिव्यक्त हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का कोई संशोधन निबन्धन के पश्चात् किसी विशेष दिनांक से प्रवर्ती होगा तो वह उसी दिनांक से प्रचलित होगा, किन्तु अन्य सब दशाओं में उस दिनांक से प्रचलित होगा जब वह निबन्धित हुआ हो।

When amendments of bye-laws come into force

13. An amendment of the bye-laws of a co-operative society shall, if it is expressed to come into operation on a particular day after registration, come into force on that day, but in all other cases on the day on which it is registered.

उपविधियों में संशोधन करने का निर्देश देने का अधिकार

14. (1) यदि सहकारी समिति के किसी सदस्य के अभ्यावेदन पर या अन्यथा निबन्धक की राय यह हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन उक्त समिति के हित में अथवा सार्वजनिक हित में आवश्यक या वांछनीय है तो वह उन परिस्थितियों के अधीन जो नियत की जाये, पंजीकृत डाक द्वारा समिति को लिखित आदेश जारी करके, समिति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उक्त संशोधन ऐसे समय के भीतर करे, जिसे वह आदेश में निर्दिष्ट करे।

(2) यदि समिति निर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन न करे तो निबन्धक समिति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे संशोधन को निबन्धित कर सकता है तथा समिति को पंजीकृत डाक द्वारा संशोधन की एक प्रति जो उसके द्वारा एक प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गइ्र हो, भेज सकता है तथा उक्त प्रति इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगी कि संशोधन यथाविधि किया गया है और निबन्धित कर दिया गया है तथा इसके विरूद्ध अपील यदि कोई की गयी है, के अधीन समिति एवं उसके सदस्यों पर लागू होगा।

Power to direct amendments in bye-laws

14. (1) Where the Registrar is of the opinion, whether on the representation of a member of a co-operative society, or otherwise, that an amendment in the bye-laws of a co-operative society is necessary or desirable in the interests of such society or in public interest, he may, under such circumstances as may be prescribed, by order in writing issued to the society by registered post, require the society to make the amendment within such time as he may specify in the order.

(2) If the society fails to make the amendment with in the time specified, the Registrar may, after giving the society an opportunity of being heard, register such amendment and issue to the socity by registered post a copy of the amendment certified by him which shall be conclusive evidence that the amendment has been du,ly made and the bye-laws as amended shall, subject to appeal (if any) be binding on the society and its members.

सहकारी समितियों का समामेलन और विलयन

15.(1) निबन्धक को यथाविधि सूचित करने के पश्चात कोई दो या अधिक सहकारी समितियां इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई अपनी-अपनी साधारण सामान्य बैठक में, जिसके लिए उनके सदस्यों को कम से कम पूरे 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से एक समिति में समामेलित ( ) होने का या उनमें से किसी एक में विलीन होने का संकल्प कर सकती है। ऐसे संकल्प (जिसे आगे प्रारम्भिक संकल्प कहा गया है) में यथास्थिति समामेलन या विलयन के समस्त ब्यौरे होंगे जिनके अन्तर्गत समामेलन की दशा में नयी समिति को और विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति को उसकी परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का संक्रमण और ऐसी समिति की उपविधियां भी हैं।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या किसी समिति की किसी उपविधि के होतु हुए भी, उपधारा (1) या उपधारा

(4) में निर्दिष्ट किसी बैठक का नोटिस सम्बद्ध समितियों के सदस्यों को दिया जायेगा, और प्रारम्भिक संकल्प की प्रतियां ऐसी समितियों के सदस्यों और ऋणदाताओं पर निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायेगी, अर्थात् :-

(क) लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त करके व्यक्तिगत तामील द्वारा या

(ख) जिस व्यक्ति ने खण्ड (क) के अधीन लिखित रूप में प्राप्ति अभिस्वीकृत की हो उसका अपवाद करके, प्रत्येक व्यक्ति के पते पर, जैसा समिति के अभिलेख में उल्लिखित हो, प्रेषण प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा, और किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसका समिति के कार्यक्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशन द्वारा भी।

(3) (I) ऐसी समिति का कोई सदस्य इसके प्रतिकूल कोई उपविधि होने पर भी उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर नोटिस द्वारा उस समिति की जिसका व सदस्य हो, समामेलन की दशा में नयी समिति का सदस्य न बनने अथवा विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति का सदस्य न होने या न रहने के अपने विचार की सूचना दे सकता है;

(II) ऐसी किसी समिति का कोई ऋणदाता इसके प्रतिकूल कोई अनुबन्ध होते हुए भी उस समिति को, जिसका वह ऋणदाता हो, उक्त अवधि के भीतर नोटिस देकर अपनी शेष धनराशि मांगने के अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत होने के पश्चात उन समितियों के सदस्यों की संयुक्त बैठक, जिसके लिए उन्हें कम से कम पूरे 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा, प्रारम्भिक संकल्प पर विचार करने के लिए बुलाई जायेगी। यदि उस बैठक में प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि परिवर्तनों के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ जो निबन्धक की राय में (जो अन्तिम होगी) महत्वपूर्ण न हो, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कर दी जाये तो वह -

(1) समामेलन की दशा में उपधारा (5) तथा (6) और धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नयी समिति और उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा तथा

(2) विलयन की दशा में उपधारा (5) तथा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस पर अपनी स्वीकृति देगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद ''सदस्यों'' के अन्तर्गत सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधि (Delegates) भी होंगे जो तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए चुने गये हों।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि करते समय अन्य संकल्प द्वारा निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जायेगी :

(1) धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन समस्त सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (I) के अधीन नोटिस दिया हो, और

(2) उन सभी ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (2) के अधीन नोटिस दिया हो।

(6) यदि ऐसे समय के भीतर, जिसे निबन्धक उचित समझे, उपधारा (5) में अभिदिष्ट सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान, अथवा उस उपधारा में अभिदिष्ट ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो निबन्धक नई समिति को यथास्थिति, निबन्धित करने या विलीन करने की स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता है।

(7) उपधारा (4) के अधीन नई समिति के निबन्धन अथवा विलयन की स्वीकृति, यथास्थिति, समामेलित समितियों अथवा विलीन समिति या समितियों की समस्त परिसम्पत्तियों अथवा दायित्वों के समामेलन की दशा में नई समिति में तथा विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति में निहित होने के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण होगा, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में इसके विपरीत कोई बात हो और यथास्थिति, नई समिति के इस प्रकार निबन्धित किये जाने या विलीन करने की स्वीकृति दी जाने पर, समामेलित समितियों या उस समिति अथवा उन समितियों का जिसे या जिन्हें अन्य समिति मे विलीन कर दिया गया हो, निबन्धन रद्द कर दिया गया समझा जायेगा।

Amalgmation and merger of co-operative societies

15. (1) Any two or more co-operative society may, after duly informing the Registrar, at their respective ordinary general meetings, called for the purpose, of which at least fifteen clear days' notice shall be given to their respective members, resolve, by a majority of at least two-thirds of the members presen, to amalgamate into one society or to merge into any of them. The Resolution (hereinafter called preliminary resolution) shall contain all particulars of amalgamation or merger, as the case may be, including the transfer of assets

and liabilities to the new society in case of amalgamation and to the continuing society in case of merger and also the by-laws of such a society.

(2) Notwithstanding any other provision of this act or of any bye-laws of any society, notices of any meeting refeerred to in sub-section (1) or sub-section(4) shall be given to the members of the societies concerned, and copies of the preliminary resolution shall be served on the members and creditors of such societies in any one or more of the following manners, namely-

(a) by delivery in person under acknowledgement in writing, or

(b) except in respect of any person who has acknowledged receipt in writing under clause(a), by post under certificate of posting at the address of each such person as noted i the society's records, and also by publication in a newspaper having circulation in the area of operation of the society.

(3) (i) Any member of any such socity may notwithstanding any bye-law to the contrary, by notice to the society of which he is a member [within a period of thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause(a) of sub-section(2) or, as the case may be, from section] intimate his intention not to become a member of the new society in case of amalgamation, or to be a member of the continuing society in case of merger.

(ii) Any creditor of any such society may, notwithstanding any agreement to the contrary, by notice given to the society of which he is a creditor within the said period, intimate his intention to semand a return of the amount outstanding to his credit.

(4) After the expiry of [the period referred to in clause(i) of sub-section(3)], a joint meeting of the members of such societies of which at least fifteen clear days' notice shall be given to them, shall be convened for considering the preliminary resolution. If, at such meeting, the preliminary resolution is confirmed by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members, present, either without changes or with such changes as in the opinion of the Registrar, are not material which shall be final, he may-

(i) in the case of amalgamation, subject to the provisions of sub-section(5) and (6) and Section 7, register the new society and the bye-laws thereof; and

(ii) in the case of merger, give subject to the provisions of sub-section(5) and (6). his sanction thereto.

Explanation : for the purpose of this sub-section the term "members" shall include any delegates of members selected for the purpose in accordance with rules, made in this behalf.

(5) While confirming the preliminary resolution under sub-section (4), provision shall be made by anotherresolution for--

(i) the repayment, subject to the provision of Section 41, of the share capital of all the members who have given notice under clause(i) of sub section(3); and

(ii) the-satisfaction of the claims of all the creditors who have given notice under clause (ii) of sub-section (3).

(6) If, within such time as the Registrar considers reasonable, the share capital of the members, referred to in sub-section(5) is not repaid or the claims of the creditors referred to in that sub-section are not safisfied, the Registrar may refuse to registere the new society or to sanction the merger, as the case may be.

(7) The registration of a new society or the sanction of merger under subsection(4) shall be a fufficient conveyance to vest in the new society in the case of amalgamation and in the continuing society in the case of merger, all the assets and liabilies of the amalgamated societies or merged society or societies, as the case may be, anything contained in any other law for the time being in force to the contrary notwithstanding; and on such registration of a new society or sanction or marger, as the case may be the registration of the amalgamated societies or of the society or socleties which has or have merged into another society, shall be deemed to have been cancelled.

सहकारी समितियों का विभाजन

16.(1) कोई सहकारी समिति, निबन्धक को यथाविधि सूचित करने के पश्चात किसी ऐसी सामान्य बैठक में, जो इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई हो और जिसके लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस उसके सदस्यों को दिया जायेगा, अपने को दो या अधिक समितियों में विभाजित करने का संकल्प कर सकती है। इस संकल्प में (जिसे आगे इस धारा में प्रारम्भिक ''संकल्प'' कहा गया है) समिति की परिसम्पत्तियों और दायित्वों के उन नयी समितियों में विभाजित करने के प्रस्ताव समाविष्ट होंगे जिनमें उसे विभाजित करने का प्रस्ताव हो और उसमें प्रत्येक नई समिति का कार्यक्षेत्र नियत किया जा सकता है और उसे संगठित करने वाले

सदस्यों को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या ऐसी समिति की किसी उपविधि के होते हुए भी, इस धारा मे निर्दिष्ट किसी बैठक का नोटिस समिति के सदस्यों को दिया जायगा और प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति समिति के सदस्यों और ऋणदाताओं पर धारा 15 की उपधारा (2) में, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी, विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायेगी।

(3) (I) समिति का कोई सदस्य इसके प्रतिकूल किसी उपविधि के होते हुए भी (धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन जैसा कि वह इस धारा को उपधारा (2) के आधार पर लागू किया जाय, प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से, यथास्थिति उसके खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से, 30 दिन की अवधि के भीतर) समिति को नोटिस द्वारा किसी भी नई समिति के द्वारा समिति का सदस्य न बनने के लिए अपने विचार की सूचना दे सकता है;

(II) समिति का कोई ऋणदाता, इसके प्रतिकूल किसी अनुबन्ध के होते हुए भी, उक्त अवधि के भीतर समिति को नोटिस देकर अपनी शेष धनराशि वापस मांगने के अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के, व्यतीत होने के पश्चात् प्रारम्भिक संकल्प पर विचार करने के लिए एक सामान्य बैठक बुलायी जायगी, जिसके लिए उसके सदस्यों को कम से कम पूरे 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा। यदि उस बैठक में प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि परिवर्तनों के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ निबन्धक की राय में (जो अन्तिम होगा), महत्वपूर्ण न हो, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कर दी जाय, तो वह उपधारा (5) तथा (6) और धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नयी समितियों और उनकी उपविधियों को निबन्धित करेगा। इस निबन्धन के पश्चात् पुरानी समिति का निबन्धन रद्द कर दिया गया समझा जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि करते समय दूसरे संकल्प द्वारा निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जायेगी।

(1) धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन समस्त सदस्यों की अंश-पूंजी का प्रतिदान जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (1) के अधीन नोटिस दिया हो, और

(2) उन सभी ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (II) के अधीन नोटिस दिया हो।

(6) यदि ऐसे समय के भीतर जो निबन्धक उचित समझे उपधारा (5) में अभिदिष्ट सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान अथवा उस उपधारा में अभिदिष्ट ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति नहीं की जाती है तो निबन्धक नयी समितियों को निबन्धित करने से इन्कार कर सकता है।

(7) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, नयी समितियों का निबन्धन मूल समिति की समस्त परिसम्पत्तियों और दायित्वों का नयी समितियों में उपधारा (4) के अधीन पुष्टीकृत प्रारम्भिक सकल्प में निर्दिष्ट रीति से निहित होने के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण होगा।

Division of Co-operative societies

16. (1) Any co-operative society may, after duly informing the Registrar, at a general meeting called for the purpose of which, at least fifteen clear days' notice shall be given to its members, resolve to divide itself into two or more societies. The resolution (hereinafter in this section referred to as the preliminary resolution) shall contain proposals for the division of the assets and liabilities of the society among the new societies into which it is proposed to divide it and may prescribe the area of operation of the specify the members who will constitute each of the new societies.

(2) Notwithstanding any other provision of this Act or of any bye-law of such society, notice of any meeting referred to in this section shall be given to the members of the society and a copy of the preliminary resolution shall be served on the members and creditors of the society in any one or more of the manners specified in sub-section (2) of Section 15, which shall mutatis mutandis apply.

(3) (i) Any member of the society may, notwithstanding any bye-law to the contrary, by notice given to the society [within a period of thirty days fpr, tje date of receipt of a copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section(2) of Section 15 as applicable by virtue of sub- section(2) of this section, or as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause(b) thereof]. Intimate his intention not to become a member of any of the new societies.

(ii) Any creditor of the society may, notwithstanding any agreement to the contrary, by notice given to the society within the said period, intimate his intention to demand a return of the amount outstanding to his

credit.

(4) After the expiry of [the period referred to in clause (i) of sub-section(3)] a general meeting of which at least fifteen clear days' notice shall be given to its members, shall be convened for considering the preliminary resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present, either without changes or with such changes, as in the opinion of the Registrar are not material, he may, subject to the provisions of sub-section(5) and (6) and Section 7, register the new societies and the bye-laws thereof. On such registration, the registration of the old society shall be deemed to have been cancelled.

(5) While onfirming the preliminary resolution under sub-section (4), provisions shall be made by another resolution for;

(i) the repayment, subject to the provisions of Section 41, of the share capital of all the members who have given notice under clause(i) of subsection(3); and

(ii) the satisfaction of the ciaims of all the creditors who have given notice under clause (ii) of sub-section (3).

(6) If, within such times as the Registrar considers reasonable, the share capital of the members, referred to in sub-section(5) is not repaid or the claims of the creditors referred to in that sub-section are not satisfied, the Registrar may refuse to register the new societies.

(7) Notwithstanding any thing in any other law for the time being in force, the registration of the new societies shall be a sufficient conveyance to vest the assets and liabilities of the original society in the new societies in the manner specified in the preliminary resolution as confirmed under subsection (4).

सहकारी समितियों का समामेलन या विलयन का निर्देश देने का निबन्धक का प्राधिकार

16.(क) (1) यदि निबन्धक की यह राय हो कि दो या अधिक सहकारी समितियों का समामेलन या विलयन उनकी शक्ति या उपयोगिता बढ़ाने के लिए आवश्यक या वांछनीय है तो वह इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, उस वित्त पोषक बैंक से, यदि कोई हो, परामर्श करने के पश्चात् जिसकी उक्त समितियां ऋणी हैं, ऐसी समितियों को एक ही समिति में ऐसे समय के भीतर जिसे वह निर्दिष्ट करे, समामेलित या विलीन होने का लिखित आदेश दे सकता है और तदुपरान्त समितियं ऐसी समस्त कार्यवाहियां करेंगी जो धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार समितियों के समामेलन या विलीन न होने पर निबन्धक लिखित आदेश द्वारा समितियों को एक समिति में समामेलित या विलीन होने का निर्देश दे सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन निबन्धक का निदेश धारा 15 की उपधारा (2) तथा (3) के प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध समितियों का प्रारम्भिक संकल्प समझा जायेगा और निबन्धक ऐसी अतिरिक्त कार्यवाहियां करेगा जा इस धारा के द्वारा अपेक्षित हों।

(4) धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् निबन्धक सम्बद्ध समितियों की निधियों से, धरा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समस्त सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान करेगा और ऐसे समस्त ऋणदाताओं के दावों को चुकता करेगा, जिन्होंने धारा 15 की उपधारा (3) के क्रमशः खण्ड (1) और (2) के अधीन नोटिस दिया हो और तदुपरान्त समितियों के यथास्थिति समामेलन या विलयन की घोषणा करेगा तथा समामेलन की दशा में इस प्रकार की बनी नयी समिति तथा उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन विलयन या नयी समिति के निबन्धन की घोषणा से धारा 15 के अधीन विलयन या निबन्धन समझा जायेगा और उस धारा की उपधारा (7) के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त होंगे।

Powers of Registrar to direct amalgamation or merger of co-operative societies

16-A (1) Where in the opinion of the Registrar amalgamation or merger of two or more co-operative Societies is necessary or desirable for increasing their strength or usefulness, he may, notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, after consulting the financing bank, if any, to which the societies are indebted, call upon such societies by order in writing, to amalgamate or merge, within such time as may be specified by him, into one society, and thereupon the societies shall take all such steps, as may be necessary for that purpose in accordance with the provisions of Section 15.

(2) On the failure of the societies to amalgamate or merge in accordance with the order passed under sub-section (1), the Registrar may, by order in writing, direct amalgamation or merger of the societies into one

society.

(3) The direction of the Registrar under sub-section (2) shall be deemed to be a preliminary resolution of the societies concerned for the purpose of sub- sections(2) and (3) of Section 15, and the Registrar shall take such further steps as required by that section.

(4) After the expiry of thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section(2) of Section 15 or, as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause(b) of that sub-section, the Registrar shall, from the funds of the societies concerned, repay, subject to the provisions of Section 41, the share capital of all the members, and satisfy the claims of all the creditors, who have given notice under clause (i) and clause (ii) respectively of sub- section (3) of section 15 and thereafter declare the amalgamation or merger, as the case may be of the societies and in the case of amalgamation register the new society so formed and its bye-laws.

(5) A declaration of merger or registration of the new society under sub- section (4) shall be deemed to be a merger or registrateion under Section 15 and the provisions of sub-section (7) of that section shall apply to it.

किसी सहकारी समिति को दो या अधिक सहकारी समितियों के विभाजन करने का निर्देश देने का निबन्धक का अधिकार

16.(ख)-(1) यदि निबन्धक की यह राय हो कि लोकहित में या सहकारिता आन्दोलन के हिम में यह आवश्यक है या सहकारी समिति के अच्छे प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए यह वांछनीय है कि दो या अधिक समितियां बनाई जाने के लिए किसी सहकारी समिति का विभाजन किया जाना चाहिये या वह इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी उस वित्तपोषण बैंक से, यदि कोई हो, परामर्श करने के पश्चात् जिसकी उक्त समिति ऋणी है, ऐसी समिति का दो या अधिक समितियों में ऐसे संघठनों, परिसम्पत्तियों, दायित्वों, अ धिकारों, कर्तव्यों और आभारों के साथ जो आदेश में, निर्दिष्ट किये जायें विभाजित होने का लिखित आदेश दे सकता है और तद्परान्त उक्त समिति ऐसी समस्त कार्यवाहिया करेगी जो धारा 16 के उपबन्धों के अनुसार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार समिति का विभाजन न होने पर निबन्धक लिखित आदेश द्वारा समिति को दो या अधिक समितियों में विभाजित होने का निर्देश दे सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन निबन्धक का निदेश धारा 16 के लिए सम्बद्ध समिति का प्रारम्भिक संकल्प समझा जायेगा, और निबन्धक ऐसी अतिरिक्त कार्यवाहियां करेगा जो उस धारा द्वारा अपेक्षित हों।

(4) धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् निबन्धक सम्बद्ध समिति की निधियों के धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समस्त सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान करेगा और ऐसे समस्त ऋणदाताओं के दावों को चुकता करेगा, जिन्होंने धारा 16 की उपधारा (3) के क्रमशः (1) या (2) के अधीन नोटिस दिया हो और तदुपरान्त नयी समितियों तथा उनकी उपविधियों को निबन्धित करेगा। इस प्रकार निबन्धन हो जाने पर पुरानी समिति का निबन्धन रद्द किया समझा जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन सभी समितियों का निबन्धन, धारा 16 के अधीन निबन्धन समझा जायेगा, और उस धारा की उपधारा (7) के उपबन्ध उन पर प्रवृत्त होंगे।

Power of Registrar to direct division of a co- operative society into two or more co-operative societies

16.B (1) Where in the option of the Registrar it is essential in public interest or in the interest of the co-operative movement, or desirable for the purpose of securing better management of a co-operative society, that any co-operative Society should be divided to form two or more societies, he may notwitrhstanding anything to the contrary contained in this Act, after consulting the financing bank, if any, to which the society is indebted, call upon such society by order in writing to divide itself into two or more societies with such constitutions, assets, liabilities, rights, duties and obligations as may be specified in the order, and thereupon the society shall take all such steps as may be necessary for that purpose in accordance with the provisions of Section 16.

(2) On the failure of the society to divide itself in accordance with the order passed under sub-section (1), the Registrar may by order in writing, direct division of the society into two or more societies.

(3) The direction of the Registrar under sub-section (2) shall be deemed to be a preliminary resolution of the

society concerned for the purpose of Section 16, and the Registrar shall take such further steps as are required by that section.

(4) After the expiry of [thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) of Section 15, or as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause(b) of that sub-section], the Registrar shall, from the funds of the society concerned repay, subject to provision of Section 41, the share capital of all the members, and satisfy the claims of all the creditors who have given notice under clause (i) and clause (ii) respectively of sub-section (3) of Section 16, and thereafter register the new societies and the bye-laws thereof. On such registration the registration of the old society shall be deemed to have been cancelled.

(5) The registration of the new societies under sub-section (4) shall be deemed to be registration under Section 16 and the provisions of sub-section (7) of that section shall apply to them.

अध्याय-3

सहकारी समितियों के सदस्य और उनके अधिकार तथा दायित्व

CHAPTER - III

MEMBERS OF CO-OPERATIVE SOCIETIES AND THEIR RIGHTS AND LIABILITIES

सहकारी समिति के कौन सदस्य हो सकते हैं

17. (1) निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य न होगा, अर्थात्–

(क) धारा 18 की उपधारा (3) धारा 80 तथा धारा 81 की उपधारा (2) तथा स्कूल, कालेज तथा यनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के लाभार्थ बनाई समिति में सदस्यता के लिए की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के अनुसार संविदा करने के लिए अर्ह हो;

(ख) अन्य कोई सहकारी समिति;

(ग) राज्य सरकार;

(घ) केन्द्रीय सरकार;

(ङ) वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 (ऐक्ट सं0 58, 1963) के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझा जाने वाला राज्य गोदाम (वेयर हाउसिंग कारपोरेशन);

(च) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म;

(छ) कोई निगमित निकाय, जो किसी अन्य खण्ड के अन्तर्गत न आता हो अथवा निबन्धक ने सामान्य रूप से सहकारी समितियों की या किसी विशेष समिति अथवा समितियों के वर्ग की नाममात्र या साधारण सदस्यता के लिए इस आधार पर अनुमोदित किया गया हो कि वह ऐसी समितियों के अथवा ऐसी समिति अथवा समितियों के वर्ग के विकास के लिए उपयोगी है;

(ज) स्वयं सहायता समूह जो नाबार्ड (नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डवलपमैन्ट) द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करते हों;

(झ) विद्यार्थियों के हितार्थ गठित की गई सहकारी समितियों में सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा;

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई संयुक्त स्कन्ध समवाय (Joint Stock Company) या व्यक्ति ऐसी सहकारी समिति या समितियों अथवा समितियों के वर्ग में जो नियत किया जाये, साधारण सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

Person who may be mambers of a co-operative society

17. (1) No person shall be a member of a co-operative society except the following namely-

(a) an Individual, who is competent to contract unser the Indian Contract Act, 1872 excepting the provisions contained in Section 18(3) (a), Section 80 & sub-section 2 of Section 81 & in respect of an Individual seeking admission to a society exclusively formed for the benefit of students of a school, college or University.

(b) any other co-operative society;

(c) the State Government;

(d) the Central Government;

(e) the State Warehousing Corporation established or deemed to be established under the Warehousing Corporation Act, 1962(Act L Vill of 1962);

(f) a firm registered under the Indian Partnership Act, 1932;

(g) a body corporate not covered by any other clause and approved by the Registrar, for ordinary or norminal membership of co-operative societies in general or any particular co-operative society or class of co-operative societies on the ground of its being useful in the development of such societies, society or class of societies;

(h) self help groups which fulfil the parameters approbved by NABARD (National Bank for Agriculture & Rural Development);

(i) there shall be no restriction as to minimum age limit in societies constituted for the benefit of students.

(2) Notwithstanding any thing contained in sub-section(1) a joint-stock company or an individual shall not be admitted as an ordinary member in such co-operative society or societies or class of a co-operative societies as may be prescribed.

सदस्यों के वर्ग

18. (1) सहकारी समिति में साधारण सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के सदस्य हो सकते हैं :

(क) नाम मात्र सदस्य

(ख) सम्बद्ध सदस्य

(2) (क) वह व्यक्ति जिसके साथ सहकारी समिति कारोबार करती हो या कारोबार करने का विचार रखती हो, नाममात्र सदस्य बनाया जा सकता है;

(ख) नाममात्र सदस्य को समिति के लाभ में कोई हिस्सा पाने का अधिकार न होगा, और न वह प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता का पात्र होगा।

(3) (क) कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत अव्यस्क भी है जो समिति के कारोबार में मौसमी या अस्थाई कर्मचारी अथवा शिशिक्षु हो या उस कारोबार में अन्य रूप से हित रखता हो सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है,

(ख) सम्बद्ध सदस्य प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए पात्र न होगा और न मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभों में हिस्सा पाने का ही उसे अधिकार होगा।

(4) इस धारा में या इस अधिनियम में अन्यत्र की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए नाममात्र अथवा सम्बद्ध सदस्य को सदस्य के ऐसे विशेषाधिकार और अधिकार प्राप्त होंगे और वह सदस्य के ऐसे दायित्वों का भागी होगा जो समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट किये जायें।

Classes of members

18. (1) A co-operative society may, in addition to ordinary members, have the following kinds of members-

(a) Nominal members;

(b) Associate members.

(2) (a) A person with whom the co-operative society has or proposes to have business dealing may be admitted as a nominal member;

(b) A nominal member shall have no right to share in the profits of the society nor shall be eligible for the membership of the committee of management.

(3) (a) any individual including a minor who is a seasonal or temporary worker or apprentice in the business of the society or who is otherwise Interested in such business may be admitted as an Associate member.

(b) An associate member shall not be ellgible for the membership of the committee of management nor have a right to share in the profits otherwise than as wages and bonus.

(4) Save as provided in this section or elsewhere in this Act, a nominal or Associate member shall have such privileges and rights of a member and be subject to such liabilities of a member, as may be specified in the bye-laws of the society, or the rules.

सदस्य उस समय तक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि देय का भुगतान न कर दिया जाय

19. सहकारी समिति का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध

में समिति को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने समिति में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जो समिति के नियमों अथवा उपविधियों में निर्दिष्ट हो।

Member not to exercise right till due payment made

19. No member of a co-operative society shall exercise the rights of a member unless he has made such payment to the society in respect of membership or has acquired such interest in the society as may be specified in the rules or the bye-laws of the society.

सदस्यों के मत

20. सहकारी समिति के सदस्य को चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के प्रशासन में एक मत (वोट) प्राप्त होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि -

(क) नाममात्र तथा सम्बद्ध सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा,

(क-क) किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा यदि-

(i) वह बाकीदार है और कम से कम छः मास की अवधि पर्यन्त बाकीदार रहा है या

(ii) वह ऐसी बाकीदार समिति का जैसा कि उपखण्ड (।) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है।

स्पष्टीकरण-

(1) इस खण्ड के प्रयोजनाथ्र शब्द ''बाकीदार'' का तात्पर्य-

(i) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या सहकारी समिति या निगमित निकाय हो) जिसने सम्बद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो।

(ii) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से हैं; जिसने देय दिनांक को कुल देयों के कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो।

(2) समिति और उसके सदस्य के बीच किसी संव्यवहार की स्थिति में, यदि ऐसे संव्यवहार के साक्ष्य में कोई ऐसा दस्तावेज न हो जिसमें देय दिनांक विनिर्दिष्ट हो, तो पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ शब्द 'देय दिनांक' का तात्पर्य संव्यवहार के दिनांक से 6 मास की समाप्ति का दिनांक होगा।

(3) किसी सदस्य को बाकीदार नहीं समझा जायेगा यदि वह उस धनराशि का जिसका भुगतान न करने के कारण वह बाकीदार हुआ हो-

(एक) निर्वाचन की दशा में, अस्थायी मतदाता सूची के विरूद्ध आपत्तियों पर निर्णय देने के लिए नियमावली के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व ;

(दो) किसी अन्य दशा में बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व, भुगतान कर दे।

(ख) यदि कोई सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम (स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन) अथवा निगमित संस्था ऐसी समिति की सदस्य हो, तो ऐसी सहकारी समिति राज्य गोदाम निगम या निगमित संस्था के ऐसे प्रत्येक प्रतिनिधि को, जो (नियम रीति से) ऐसी समिति के सामान्य निकाय में नियुक्त किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा;

(ग) यदि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ऐसी समिति की सदस्य हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो उपविधियों के अनुसार राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या सामान्य निकाय में नाम निर्दिष्ट किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा; और

(घ) नियमों या उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है कि सदस्यों का कोई समुदाय या वर्ग समिति के कार्यो मे प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग ले और प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत प्राप्त हो।

Vote members

20. A member of a co-operative society shall, notwithstanding the quantum of his interest in the capital of the society, have one vote in the affairs of the society.

Provided further that-

(a) no nominal or associate member shall have the right of vote;

(aa) a member shall have no right of vote if-

(i) he is dafaulter and has been a defaulter for a period of not less than six months; or

(ii) he is a delegate of a society which is such defaulter as is referred to in sub-clause(i)

Explanation I- For the purpose of this clause, the word "defaulter" means:-

(i) a member (whiether individual or body corporate) who has failed to pay any dues of the society concerned on the fue date. or

(ii) a member co-operative society which has failed to pay not less than 75 percent of the total dues on the due date.

Explanation II- In the case of a transaction between a society and its members where there is no documents evidencing the transaction in which the due date is specified the expression 'due date', for the purposes of the preceding explanation shall mean the date of expiration of six months trom the date of transaction.

Explanation III- A member shall cease to be treated as defaulter if he pays the sum for non-payment of which such member became defaulter-

(i) in the case of an election, on or before the date fixed under the rules for deciding objections against the provisional voters ' list;

(ii) in any other case, before the commencement of the meeting;

(b) where a co-operative society, the State Warehousing Corporation or a body corporate is a member of such society, each delegate of such co-operative societies, State Warehousing Corporation or body corporate, (appointed in the prescribed manner) to the general body of such society shall have one vote;

(c) where the State Government or the Central Government is a member of such society, each person nominated according to the laws by the State Government or the Central Government on the committee of management or the general body of the co-operative society shall have one vote;

(d) the rules or the bye-laws may provide for a group of members or any class of members partaking in the affairs of the society through a delegate or delegates, each delegate having one vote;

मतदान की रीति

21. प्रत्येक व्यक्ति, विशेष सदस्य, प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सहकारी समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य, प्रतिनिधि अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

Manner of exercising vote

21. Every individual member, every delegate and every nominee shall exercise his vote in the affairs of a co-operative society in person and no member, delegate or nominee shall be permitted to vote by proxy.

अंश धारण करने पर निर्बन्धन व्यक्ति विशेष सदस्य

22. (क) न तो समिति की कुल अंश पूंजी के ऐसे भाग से, जो उसके 1/5 से अधिक न हो और जो नियत किया जाये, अधिक धारित करेगा और

(ख) न (ऐसी धनराशि जो नियत की जाय) अधिक अंकित (Nominal) मूल्य के अंशें में कोई हित रखेगा और न उसमें किसी हित का दावा करेगा।

Restriction on holding of shares

22. A member who is an individual shall-

(a) neither hold more than such portion of the total share capital of the society, no exceeding one-fifth thereof, as may be prescribed;

(b) nor have or claim any interest in the shares of the society exceeding (such amount as may be prescribed) in nominal value.

अंश या हित के संक्रमण पर निर्बन्धन

23. (1) किसी सहकारी समिति की पूंजी में किसी सदस्य के अंश या हित का संक्रमण धारा 22 में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा सम्बन्धी शर्तो और निर्बन्धन के अधीन होगा।

(2) किसी सदस्य द्वारा किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी में अपने अंश या हित का संक्रमण वैध न होगा, यदि-

(क) सदस्य ने वह अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारित न किया हो;

(ख) संक्रमण, समिति या समिति के किसी सदस्य के पक्ष में न किया गया हो या

(ग) संक्रमण का अनुमोदउन समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा न किया गया हो।

(3) उपधारा (2) में किसी वाद के होते हुए भी सहकारी समिति, ऐसी शर्तो के रहते हुए जो नियत की जाय, समिति की पूंजी में किसी सदस्य के अंश या हित का संक्रमण, अर्जन अथवा उसे वापस करने की अनुज्ञा दे सकती है।

Restriction on transfer of shares or interest

23, (1) The transfer of a share or interest of a member in the capital of a co-operative society shall be subject to such conditions and restrictions as to the maximum holding as are specified in Section 22.

(2) No transfer by a member of his share or interest in the capital of a co-operative society shall be vild unless-

(a) the member has held such share or interest for not less than one year;

(b) the transfer is made to the society or a member of the society, and

(c) the transfer is approved by the committee of management of the society.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section(2) a co-operative society may, subject to such conditions as may be prescribed, permit the transfer of acqyire or retain the share or interest of any member in the capital of the society.

किसी सदस्य की मृत्यु होने पर हित का संक्रमण

24. (1) सहकारी समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर समिति, मृत सदस्य के अंश या हित का संक्रमण उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को करेगी जो नियत रीति से नाम निर्दिष्ट किये गये हों, अथवा यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न किया गया हो तो ऐसे व्रूक्ति को करेगी जो प्रबन्ध कमेटी को मृत सदस्य का दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा संक्रमण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि, यथास्थिति, ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि, समिति का सदस्य न बना लिया जाये।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति कोई ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि, समिति से इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि उसे मृत सदस्य के अंश या हित के मूल्य का, जो नियत रूप से निर्धारित किया गया हो, भुगतान करे और सीमित दायित्व के बने रहने के लिए धारा 25 में व्यवस्थित अवधि के व्यतीत हो जाने के 3 माह के भीतर देय राशि का भुगतान कर देगी।

(3) सहकारी समिति ऐसी अन्य समस्त धनराशियों का भुगतान, जो समिति द्वारा मृत सदस्य को देय पायी जाय, यथास्थिति, नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि को करेगी।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार सहकारी समिति के द्वारा किये गये सम्पूर्ण संक्रमण और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समिति से की गई किसी मांग के विरूद्ध भी वैध और प्रभावशाली होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि यहां की हुई किसी बात का अधिकार सम्पन्न दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई दावा प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसे इस धारा के अधीन कोई संकल्प या भुगतान किया गया हो।

(5) उपधारा (2) और (3) की किसी बाता का इस अधिनियम के अधीन समिति के मृत सदस्यों के विरूद्ध अपने अवशिष्ट दावों की मृत सदस्य को देय अंश अथवा हित के मूल्य या अन्य धनराशियों के वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल नहीं पड़ेगा।

Transfer of interest on death of member

24. (1) On the death of a member of a co-operative society, the society shall transfer the share or interest of the deceased member to the person or persons nominated in the manner prescribed, or if no person has been so nominated, to such person as may appear to the Committee of Management to be the heir or legal representative of the deceased member;

Provided that no such transfer shall be made unless such nominee, heir or legal representative, as the case may be, is admitted as a member of the society.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section(1), any such nominee, heir or legal representative, as the case may be, may require the society to pay to him the value of the share or interest of the deceased

member ascertained in the manner prescribed and the society shall pay the amount due within three months from the expiry of the period provided in Section 25 for the continuance of liability.

(3) A co-operative society shall pay all other moneys which may be found due to the deceased member from the society to such nominee, heir or legal representative, as the case may be.

(4) All transfers and payments made by a co-operative society in accordance with the provisions of this section shall be valid and effectual against any demand made upon the society by any other person;

Provided that nothing herein shall effect the right of the rightful heir or legal representative to make any claim against the persons to whom any transfer or payment has been made under this section.

(5) Nothing contained in sub-sections(2) and (3) shall prejudice the right of society under this Act to realize its outstanding claims against the deceased member out of the value of share or interest of, or other moneys due to, the deceased member,

भूतपूर्व सदस्य की और मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व

25.(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी सहकारी समिति के ऐसे किसी भूतपूर्व सदस्य का अथवा किसी मृत सदस्य की सम्पदा का, समिति के ऐसे ऋणों के लिए दायित्व जो –

(क) किसी भूतपूर्व सदस्य की दशा में, उस दिनांक को, जब वह सदस्य ही न रह गया हो, और

(ख) किसी मृत सदस्य की दशा में, उसकी मृत्यु के दिनांक को विद्यमान थे, उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए बना रहेगा।

(2) यदि धारा 72 के अधीन किसी सहकारी समिति के समापन का आदेश दिया जाये, ता ऐसे भूतपूर्व सदस्य का या ऐसे मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व जो समापन आदेश के दिनांक के पूर्व दो वर्ष के भीतर, यथाास्थिति, सदस्य न रह गया हो या मर गया हो, उस समय तक बना रहेगा जब तक कि समापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी न हो जाये, किन्तु ऐसा दायित्व समिति के केवल उन ऋणों के सम्बन्ध में होगा जो यथास्थिति, उसके सदस्य न रह जाने या मृत्यु हो जाने के दिनांक को विद्यमान थे।

Liability of past member and estate of deceased member

25. (1) Subject to the provisions of sub-section(2) the liability of past member or of he estate of a deceased member of a co-operative society for the debts of the society as they existed-

(a) in the case of a past member, on the date on which he ceased to be a member; and

(b) in the case of a deceased member, on the date, of his death; shall continue for a period of two years from such date.

(2) Where a co-operative society is ordered to be wound up under Section 72, the liability of a past member or of the estate of a deceased member who ceased to be a member or died within two years immediately prewinding up proceedings are completed, but such liability shall extend only to the debts of the society as they existed on the date of his ceasing to be a member or death, as the case may be.

सदस्य बनाना अथवा सदस्यता छोड़ना

26.(1) इस अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है।

(2) यदि किसी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनाना अस्वीकार कर दिया जाए तो अस्वीकार करने के निर्णय की संसूचना समिति द्वारा उस व्यक्ति को निर्णय के दिनांक से सात दिन के भीतर दे दी जायेगी।

(3) सहकारी समिति का कोई सदस्य, यदि वह समिति का ऋणी न हो या किसी अदत्त ऋण का प्रतिभूत न हो, समिति को कम से कम एक माह का नोटिस देने के बाद समिति की सदस्यता छोड़ सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह कम से कम इतनी न्यूनतम अवधि तक, यदि कोई हो, सदस्य रहा हो, जो समिति की उपविधियों में निर्धारित की जाय और जिनमें छः महीने तक की अवधि के नोटिस की भी व्यवस्था की जा सकती है। सदस्यता छोड़ देने के नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात्, उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने सदस्यता छोड़ दी है और धारा 25 में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, वह अपने अंशों के सम्बन्ध में, जो नियत रीति से सुनिश्चित किये गये हों, समिति द्वारा उसे देय धनराशियों की वापसी का हकदार होगा।

Adnission to and withdrawal from membership

26. (1) A person may be admitted as a member of a co-operative society subject to the provisions of this Act, the rules and the bye-laws.

(2) Where a person is refused admission as a member in a co-operative society, the decision refusing admission shall be communicated by the society to that person within seven days of the date of the decision.

(3) A member of a co-operative society, if he is not in debt to the society or is not a surety for any unpaid debt, may withdraw from the membership of the society after giving at least one month's notice to the society, provided that he has put in such minimum period of membership, if any, as may be laid down in the bye-laws of the society which may also provide for a longer period of notice not exceeding six months. After the expiry of the period of notice of withdrawal he shall be deemed to have withdrawn and after the expiry of the period specified under Section 25, he shall be entitled to repayment of his dues outstanding against the society in respect of his shares as ascertained in the manner prescribed.

प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के लिए सर्वव्यापी सदस्यता

26. (क) (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के अधीन सदस्य बनाये जाने के लिये अर्ह है और किसी प्रारम्भिक ऋण समिति की सदस्यता के लिए नियत रीति से प्रार्थना-पत्र देता है तो यह समझा जायेगा कि वह समिति के कार्यालय में ऐसे प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से ऐसी समिति का सदस्य बनाया गया है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन उस व्यक्ति के सदस्य बनाये जाने के दिनांक के पश्चात किसी समय यह पता लगे कि संबद्ध व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन ऐसी समिति का सदस्य होने के लिए अर्ह नहीं है, तो निबन्धक इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होतु हुये भी, ऐसा पता लगने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर या तो स्वत: या सम्बद्ध समिति के प्रार्थना-पत्र पर ऐसे व्यक्ति को कारण बताने का नोटिस दे सकता है कि उसे समिति की सदस्यता से क्यों न हटा दिया जाये, और ऐसा व्यक्ति निबन्धक के इस निमित्त दिये गये आदेश पर, आदेश के दिनांक से, ऐसी समिति का सदस्य न रह जायेगा।

Universal membershop for primary agricultural credit society

26-A. (1) Any individual who is qualified for admission to membership under the provision of this Act, the rules and the bye-laws and makes an application in the manner prescribed, for membership of a primary agricultural credit society shall be deemed to have been admitted to the membership of such society from the date of receipt of such application in the office of the society.

(2) If at any time after the date of admission of the individual under subsection (1), it is discovered that the individual concerned is not qualified, under this Act, the rules or the bye-laws, to become a member of such society, the Registrar may, notwithstanding anything contained in this Act, either suomoto or on the application of the concerned society within a period of three months from the date of such discovery give notice to such individual to show cause why he should not be removed from the membership of the society, and upon an order of the Registrar made in this behalf such individual shall, from the date of the order, cease to be the member of such society.

सदस्य या समिति का निबन्धक द्वारा हटाना या निकाला जाना

27. (1) सहकारी समिति, संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को, अपनी सदस्यता से ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे कारणों से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, हटा या निकाल सकती है।

(2) निबन्धक भी किसी व्यक्ति को सहकारी समिति की सदस्यता से हटा या निकाल सकता है:-

(क) यदि वह व्यक्ति सदस्यता के लिए अपेक्षित अर्हताओं की पूर्ति न करता हो या वह इस अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों के अधीन सदस्य होने के लिए अनर्हित हो जाय, और सहकारी समिति उस दशा में भी जब निबन्धक द्वारा लिखित आदेश देकर अपेक्षा की जाय, उसे उपधारा (1) के उपबन्ध के अनुसार निबन्धक के आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर न हटाये या निकाले, या

(ख) यदि वह व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई संकल्प और उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित न किया जायेगा जब तक

कि सम्बन्धित सदस्य को उन कारणों के सम्बन्ध में जिनके आधार पर उसे हटाये या निकालने का प्रस्ताव हो, सुनवाई के लिए समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई संकल्प या उपधारा (2) के अधीन आदेश का, यथास्थिति, संकल्प या आदेश के विरूद्ध अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए, उक्त संकल्प या आदेश की प्राप्ति के दिनांक से यह प्रभाव होगा कि इस प्रकार हटाये गये या निकाले गये सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी, किन्तु इसका इस अधिनियम, तदन्तर्गत बनाये गये नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन भूतपूर्व सदस्य के रूप में उसके अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निकाला गया सहकारी समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो, दो वर्ष की अवधि तक उक्त समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचन के लिए खड़े होने का भी पात्र नहीं होगा।

Removal or expulsion of a member by a society ro the Registrar

27. (1) A co-operative society may, by resolution, remove, or expel a person from its membership in accordance with such proceduer and for such causes and within such period as may be perscribed.

(2) The Registrar may also remove or expel a person from the membership of a co-operative society-

(a) if the person has ceased to fulfil the qualifications required for membership, or is disqualified to be a member under this Act or the rules or the bye-laws of the society, and the co-operative society, even when required by the Registrar by order in writing, fails to remove or expel him, in accordance with the provisions of sub-section(1) within thirty days from the receipt of the order of the Registrar; or

(b) if the person was admitted to the membership of the society in contravention of the provisions of this Act, the rules or the bye-laws of the spciety.

(3) No resolution under sub-section(1) and no order under sub-section (2)[shall be passed unless the member concerned has been afforded reasonable opportunity of being heard in respect of the grounds on which his removal or expulsion is proposed to be made.

(4) A resolution under sub-section(1), or an order under sub-section(2), shall, subject to the result of appeal, if any against the resolution or the order, as the case may be, with effect from the date of communication of the resolution or the order, have the effect of termination the membership of the member so removed or expelled, but without prejudice to his rights and liabilities under this Act, the rules or the bye-laws of the society, as a past member.

(5) No member of a co-operative society, expelled under sub-section(1) or sub-section(2), shall be eligible for re-admission as a member of that society for a period of two years from the date the resolution or order of expulsion takes effect and the shall further be not eligible to hold any office under that society, or to seek election to its committee of Management for a period of three year from the date of his re-admission as a member.

अध्याय-4

समितियों का प्रबन्ध

CHAPTER - IV

MANAGEMENT OF SOCIETIES

सहकारी समिति में अन्तिम प्राधिकार

28. इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी सहकारी समिति का अन्तिम प्राधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहित होगा,

प्रतिबन्ध यह है कि उन परिस्थितियों में जो नियत की जाय (अन्तिम प्राधिकार ऐसे सदस्यों के नियत रीति से निर्वाचित और सामान्य बैठक में समवेत प्रतिनिधियों में निहित होगा) और उस दशा में इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों में सामान्य निकाय तथा सामान्य बैठक के निर्देश उस निकाय के प्रति जो सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधियों से मिलकर बना हो तथा ऐसे प्रतिनिधियों की सामान्य बैठक के निर्देश समझे जायेंगे।

Final authority in co-operative society

28. subject to the provisions of this Act and the Rules the final authority of a co-operative society shall vest in the general body of its members in general meeting;

Provided that, in such circumstances as may be prescribed, (the final authority shall vest in the delegates of such members alected in the manner prescribed), and assembled in general meeting and in such case all references in this Act, the rules or the bye-laws to the general body and general meeting shall be deemed to be references to the body consisting of such delegates of members and to the general meeting of such delegates.

प्रबन्ध कमेटी

29. (1) प्रत्येक सहकारी समिति का प्रबन्ध इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुसार संगठित प्रबन्ध कमेटी में निहित होगा, जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें।

(2) प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगा।

(3) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन, निर्वाचन करने के लिये निबंधक के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन विहित रीति से प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम 4 माह पूर्व प्रबन्ध समिति द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा, और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर जिसका कार्यकाल उपधारा 2 के अधीन समाप्त हो गया है, स्थान ग्रहण करेंगे, यदि किसी कारणवश प्रबन्ध समिति कार्यकाल समाप्त होने के दो माह पूर्व से निर्वाचन कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करती है तो निबन्धक का दायित्व होगा कि वह कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन करा दे।

(4) सहकारी समिति के, यथास्थिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) सचिव या प्रबन्ध निदेशक जिस नाम से भी हो का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के चार मास पूर्व निबन्धक को निर्वाचन कराने के लिए अधियाचन और ऐसी समस्त सूचना जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाय ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा नियत की जाय, भेजें।

(5) (क) जहां किसी कारण से चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है या नहीं हो सका है, वहां प्रबन्ध कमेटी, इस अधिनियम या नियमों या समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर विद्यमान नहीं रह जायेगी।

(ख) निबन्धक ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात, यथाशीघ्र, अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने तक, समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए प्रशासक या प्रशासक कमेटी (जिसे आगे इस धारा में 'कमेटी' कहा गया है) नियुक्त करेगा, और निबन्धक को समय-समय पर, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी के किसी सदस्य को बदलने या प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(ग) जहां खण्ड (ख) के अधीन कोई कमेटी नियुक्त की जाये वहां उसमें एक सभापति और पाँच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनमें कम से कम एक सदस्य सरकारी सेवक होगा।

(घ) कमेटी की बैठक बुलाने और उनका आयोजन करने की प्रक्रिया, ऐसी बैठकों का आयोजन करने का समय और स्थान, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जैसी नियत की जाये।

(ङ) जब तक खण्ड (ख) के अधीन, यथास्थिति, किसी प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति न की जाय, तब तक, यथास्थिति, समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव), सचिव या प्रबन्ध निदेशक कमेटी के केवल चालू कर्तव्यों का प्रभारी होगा।

स्पष्टीकरण- जहां बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसी कारण से, चाहे जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम घोषित न किये गये हों, या घोषित न किये जा सकें हों, वहां यह समझा जायेगा कि प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन इस उपधारा के अन्तर्गत नहीं हुआ है।

(6) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त प्रशासक या कमेटी को, किसी निदेश के अधीन रहते हुये, जिसे निबन्धक समय-समय पर दे, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अधीन समस्त प्रयोजनों के लिये उसे प्रबन्ध कमेटी समझा जायेगा और ऐसी कमेटी का सभापति प्रबन्ध कमेटी के सभापति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(7) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी, यथाशीघ्र, किन्तु नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति से पूव्र यथास्थिति प्रबन्ध लेने के लिए इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी प्रशासक के स्थान पर कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक रखा जाये, जैसा कि उपधारा (5) के खण्ड (ख) में उपबन्धित है, वहां एक वर्ष की अवधि की गणना, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी की मूल नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी।

Committee of Manage ment

29. (1) The management of every co-operative society shall vest in Committee of Management constituted in accordance with this Act, the rules and the bye-laws, which shalll excrcise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed by this Act, the rules and the bye-laws.

(2) The term of every Committee of Management shall be five years and the term of the elected members of the Committee of Management shall be co-terminus with the term of such Committee.

(3) Election to reconstitute the Committee of Management of a co-operative society shall be completed in the prescribed manner under the superintendence, control and direction of the Registrar at least four months before the expiry of the term of the Committee of Management and the members so elected shall replace the Committee of Management whose term expires under sub-section(2); If the committee of management fails to do so then Registrar will conduct the election before two month of expiry of the term of Management committee.

(4) It shall be the duty of Chief Executive (Secretary/G.M./Managing Director by whatsoever name he is designated) of the Co-operative society to send to the Registrar, four months before the expiry of the term of Committee of Management, a requisition for conducting the election and to furnish all such information as may be required by him within such period as may be fixed by him.

5.(a) Where, for any reason whatsoever, the election of he elected members of the Committee of Management has not taken place or could not take place before the expiry of the term of elected members, the Committee of Management shall, notwithstanding anything to the contrary in this Act or the rules, or the bye-laws of the society, cease to exist on the expiry of such term.

(b) On or as soon as may be after the expiry of such term, the Registrar shall appoint an Administrator or a Committee of Administrators (hereinafter, in this section, referred to as the Committee) for the management of the affairs of the society until the reconstitution of the Committee of Management in accordance with the provisions of the Act, the Rules and the bye-laws of the society, and the Registrar shall have the power to change the Administrator or, as the case may be, any member of the Committee or to apppoint a Committee in place of an Administrator or vice verse from time to time.

(c) Where a committee is appointed under clause(b), it shall consist of a Chairman and such other members not exceeding five as may be nominated by the Registrar, out of which at least one shall be Government servant.

(d) The procedure for summoning and holding of meetings of the Committee, the time and place of holding such meetings, the conduct of business at such meetings and the number of members necessary to form quorum thereof shall be such as may be prescribed.

(e) So long as no administrator or, as the case may be, the Committee is appointed under clause (b), Chief Executive i.e. the Secretary/G.M. or the Managing Director, as the case may be, of the society shall be in charge only of the current duties of the Committee of Management.

Explanation - Where results of the election of mambers of the committtee of management have not been or could not be declared, for any reason whatsoever, before the expiry of the term of the elected members of the outgoing Committee of Management, it shall be deemed that the election of the elected members of the Committee of Management has not taken place within the meaning of this sub-section.

(6) The Admistrator or the Committee appointed under sub-section(5) shall, subject to any directions which the Registrar may from time to time give, have the power to perform all or any of the functions of the Committee of Management or of any officer of the society and shall be deemed for all purposes under this Act, the rules and the bye-laws of the society to be the Committee of Management and the Chairman of such Committee shall exercise the powers and perform the functions of the Chairman of the Committee of Management.

(7) The Administrator or the Committee, as the case may be, appointed under sub-section(5), shall as soon as may be, but not later than the expiry of ony year from the date of appointment, arrange for the reconstitution of the Committee of Management in accordance with the provisions of the Act, the rules and the bye-laws of the society to take over the management of the society from the Administrator or the Committee, as the case may be;

Provided, that where an administrator is replaced by a Committee or a Committee by an Administrator as provided in clause(b) of sub-section(5), the period of one year shall count from the date the Administrator or the Committee, as the case may be was originally appointed.

सभापति

30. (1) प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति और उपसभापति होगा जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुसार निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) सभापति उपस्थित रहने पर :

(अ) सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(ब) किसी मामले में प्रबंध कमेटी एवं सामान्य निकाय में निर्णय के समय बराबर मत होने की दशा में एक और मत देने का अधिकार होगा और वह इस अधिनियम, नियमावली, उपविधियों एवं प्रबन्ध कमेटी के प्रस्तावों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे उपविधियों के अधीन रहते हुए, सभापति द्वारा लिखित रूप में प्रतिनिहित किये जायें।

(4) सभापति की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण अथवा अन्य प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में उपसभापति उस दिनांक तक सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि नया सभापति यथाविधि निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट न हो जाये।

Chairman

30. (1) Every co-operative society shall have a Chairman and Vice-chairman elected or nominated in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws.

(2) The chairman shall, when present-

(i) Preside only the meeting of the general body and the Committee of Management; and

(ii) have a second vote in the event of equality of votes on any matter being decided by the Board & General Meeting and shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him by this Act. the rules, the bye-laws and the reslutions of the Committee of Management.

(3) The Vice-chairman shall preside, in the absence of the Chirman, at the meeting of the general body or the Committee of Management and shall exercise such powers and perform such duties as may be delegated to him in writing by the Chairman subject to the bye-laws.

(4) In the event of occurrence of any vacancey in the office of the Chairman by reason of his death, resignation or removel or otherwise, the Vice-chirman shall perform the duties of the Chairman until the date on which a new Chairman is duly elected or nominated.

सभापति य उपसभापति के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

30. (क)(1) सहकारी समिति के सभापति या उपसभापति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नियत व्यवस्था के अनुसार लाया और चलाया जा सकेगा।

(2) जब सभापति या उपसभापति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो तत्काल प्रभाव से वह अपना

पद छोड़ देगा और उसका स्थान नियत व्यवस्था के अनुसार उसी बैठक में उसके स्थान पर चुने गये प्रतिस्थानी द्वारा ले लिया जायेगा।

Motion of noconfidence against Chairman of Vice-chairman

30.A. (1) A motion expressing no-confidence agains the Chairman or the Viace chairman of a Co-operative society shall be made and proceeded with in accordance with the procedure as may be prescribed.

(2) When a motion for no-confidence is carried, the Chairman or the Vice- chairman against whom it is carried shall cease to hold that office forthwith and shall be succeeded by his successor, who shall be elected by another resolution in the same meeting in the manner as may be prescribed.

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) एवं उसकी उपलब्धियां और कृत्य

31. (1) प्रत्येक सहकारी समिति में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) होगा, जिसका पदनाम प्राइमरी कृषि ऋण समिति में सचिव तथा जनपद स्तर के नीचे स्थित केन्द्रीय समितियों एवं गैर कृषि ऋण प्राइमरी समितियों में सचिव, प्रबंधक या सामान्य प्रबन्धक तथा जनपद स्तरीय केन्द्रीय सहकारी समितियों में सामान्य प्रबन्धक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) एवं शीर्ष सहकारी समितियों में प्रबन्ध निदेशक होगा। शीर्ष समिति के प्रबन्ध निदेशक को छोड़कर सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) चाहे जिस पद नाम से हों (सचिव प्रबंधक, सामान्य प्रबन्धक या चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर) नियमों एवं धारा 121 और 122 के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और हटाया जा सकेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी इस निमित्त बनाये गये नियमों और विनियमों में नियत की जायें।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां सहकारी समितियों के किसी वर्ग के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव-सचिव आदि) के पद के लिए सर्व सामान्य सेवा का सृजन धारा 122 (क) के अधीन किया गया हो, वहां पर ऐसे पदों पर भर्ती, नियुक्ति और उन पर नियुक्त व्यक्तियों, जिसमें ऐसी सेवा के सृजन के पूर्व ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, को हटाने और उनकी सेवा की अन्य शर्तें उक्त धारा के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होगी।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) के अधिकार एवं कर्तव्य (शीर्ष समिति को छोड़कर)

समितियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) (शीर्ष समिति को छोड़कर) निम्नांकित अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेंगे :

(क) समिति के कार्य के सम्यक् प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा :

(ख) समिति की उप-विधियों के एवं प्रबंध- कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार स्वयं या संयुक्त रूप से उसके लेखों का परिचालन करेगा तथा उसकी रोकड़ की अभिरक्षा का सुरक्षित प्रबंध करेगा :

(ग) समिति की ओर से उसके लिये सभी अभिलेखों पर हस्ताक्ष्जर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा।

(घ) समिति की विभिन्न बहियों और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और इस अधिनियम, नियमों तथा उप-विधियों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा;

(च) सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी, कार्यकारिणी समिति और प्रबन्ध-कमेटी द्वारा संगठित अन्य समितियों या उप-समितियों की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों का ठीक अभिलेख रखेगा;

(छ) प्रबंध कमेटी को योजनाओं, उद्‌देश्यों एवं नीतियों के सृजन में सहायता करेगा।

(ज) नियमों एवं विनियमों के अधीन समिति के पदों पर नियुक्ति करेगा;

(झ) प्रबंध कमेटी को नियतकालिक सूचनायें समिति के परिचालन एवं कार्यो के मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेगा;

(य) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों तथा समिति की उप-विधियों एवं प्रबंध कमेटी के प्रस्तावों द्वारा उन पर आरोपित या प्रदत्त किये जायें।

(3) कोई सहकारी समिति, नियमों, उपविधियों और धारा 121, 122 या धारा 122(क) के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) की सहायता के लिए यदि आवश्यक हो, एक या

अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है और उसे या उन्हें मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) के ऐसे अधिकार तथा कर्तव्य सौंप सकती है जो वह (समिति) उचित समझे।

(4) किसी सहकारी समिति के निबद्ध हो जाने के पश्चात् और ऐसे समय तक जब तक कि उपधारा (1) के अधीन उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) की नियुक्ति न हो जाये अथवा 6 महीने तक, जो भी पहले हो, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्यों और कर्तव्यों का पालन समिति के ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा जिसकी व्यवस्था नियमों तथा समिति की उपविधियों में की जाये।

Chief Executive & his Emoluments & functions

31. (1) There shall be a Chief Executive in every Co-operative society who will be designated as Secretary in Primary Agricultural credit societies & Secretary, Manager or General Manager or by any other designation in Non-agricultural Primary Societies & central societies below the district level, General Manager or Chief Executive in the District level central co-operative societies & Managing Director in the case of Apex level coorperative societies.

Except the Managing Director of Apex level co-operative societies, all other Chief Executives of societies by whatever name they are designated (Secretary, Manager, General Manager or Chief Executive officer) shall be appointed & be removable by the society subject to the provision of rules & regulations framed under section 121 & 122. The emoluments & other conditions of service of the Chief Executive shall be such as may be prescribed in rules & regulations made in this behalf.

Provided that where a service for the post of CHief Executive common to any class of co-operative societies has been created under Section 122-A, the recruitment, appointment, removal and other conditions of service of persons appointed to such posts, including persons appointed to such posts before the creation of such service, shall be governed by the provisions of that section and the rules made there under.

(2) Powers & functions of Chief Executive (other than Apex), The Chief executive of societies (other than Apex level societies) shall exercise the powers and discharge the functions, specified below, namely

(a) be responsible for the sound management of the business of the society and its efficient administration;

(b) operate the accounts of society singly or jointly in accordance with bye-lawprovision & resolutions of the committee of management & make arrangement for safe custody of cash;

(c) sign & authenticate all documents on behalf of the society;

(d) making arrangements for the proper maintenance of various books and records of the society & correct preparation, timely submission of periodical statements & returns in accordance with the provisions of the Act, the rules & the bye-laws;

(e) convening meetings of the general body of society, the Board & the Executive Committee & other committees or sub-committees constituted by the Board & maintaining proper records for such meetings;

(f) assisting the Board in the formulation of policies & objectves and planning;

(g) making appointments to the posts in co-operative society in accordance with rules & Regulations;

(h) furnishing to the Boards periodical information necessary for appraising the operations & functions of society; and

(i) perform such other duties & exercise such other powers as may be imposed or conferred on him under the rules, bye-laws & Board resolutions of the society.

(3) A co-operative society may, subject to the provisions of the rules and the bye-laws and the regulations made under (Section 121, Section 122 or Section 122-A) appoint, if necessary, one or more persons to assist the Chief Executive and to entrust him or them with such powers and duties of the Chief Executive as the society may deem fit.

(4) After a co-operative has been registered and till such time as its Chief Executive is appointed under sub-section (1) or for six months, whichever is earlier, the functions and duties of the Chief Executive shall be performed by such member of the society as may be provided in the rules and the bye-laws of the society.

शीर्ष समितियों के लिए प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

31. (क)(1) प्रत्येक शीर्ष समिति के लिए एक प्रबन्ध निदेशक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रथम श्रेणी सहकारी सेवा का अधिकारी अथवा सम्बन्धित विभाग का श्रेणी एक से अनिम्न पद का सरकारी सेवक होगा, उसकी सेवाएं

समिति में प्रतिनियुक्ति पर समझाी जायेंगी। शीर्ष सहकारी बैंक में अनुभवी बैंक अधिकारी भी प्रबन्ध निदेशक हो सकेगा।

(2) प्रबन्ध निदेशक प्रबन्ध कमेटी का पदेन सदस्य होगा।

(3) प्रबन्ध निदेशक शीर्ष समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और उसका निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा अर्थात्:

(क) समिति के कार्य के सम्यक् प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिनियम, नियमावली, उपविधियों तथा प्रबंध समिति के निर्णयों के अनुरूप कार्य करेगा;

(ख) समिति की उप-विधियों एवं प्रबन्ध-कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार स्वयं या संयुक्त रूप से उसके लेखों का परिचालन करेगा तथा उसकी रोकड़ की अभिरक्षा का सुरक्षित प्रबंध करेगा;

(ग) समिति की ओर से उसके लिये सभी अभिलेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा;

(घ) सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी, कार्यकारिणी समिति और प्रबन्ध-कमेटी द्वारा संगठित अन्य समितियों या उप-समितियों की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों का ठीक अभिलेख रखेगा;

(च) सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी, कार्यकारिणी समिति और प्रबन्ध-कमेटी द्वारा संगठित अन्य समितियों या उप-समितियों की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों का ठीक अभिलेख रखेगा :

(छ) प्रबंध कमेटी को योजनाओं, उद्देश्यों एवं नीतियों के सृजन में सहायता करेगा;

(ज) नियमों एवं विनियमों के अधीन समिति के पदों पर नियुक्ति करेगा,

(झ) प्रबंध कमेटी को नियतकालिक सूचनायें समिति के परिचालन एवं कार्यो के मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेगा;

(प) समिति की ओर से समस्त धन और प्रतिभूति प्राप्त करना और समिति की रोकड़ बाकी और अन्य सम्पत्तियों के समुचित अनुरक्ष्ज्ञण और अभिरक्षा का प्रबन्ध करना;

(फ) वचन-पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित और संक्रमित करना और समिति की ओर से चेक और अन्य परक्राम्य संलेख का पृष्ठांकन, हस्ताक्षर तथा परक्रमण करना;

(ब) समिति के पक्ष में समस्त बन्ध-पत्रों और अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करना,

(भ) समिति के बजट प्राविधानों के अधीन रहते हुये तीन मास की अवधि के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन करना और नियुक्त प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के माध्यम से उन पर भर्ती करना जैसा कि धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों में व्यवस्थित है;

(म) समिति के कर्मचारी के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व अवधारित करना;

(य) समिति द्वारा या उसके विरूद्ध या अन्यथा समिति के मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित, संचालित, प्रतिवादित, प्रशमित या परित्यक्त करना और समिति द्वारा या उसके विरुद्ध किसी दावा या मांग का प्रशमन करना और भुगतान या तुष्टि के लिये समय देना;

(र) ऐसे विनियमों से, यदि कोई हो जिन्हें प्रबन्ध कमेटी बनाये, के अधीन रहते हुए, बातचीत करना और निर्माण कार्य के दौरान 10 लाख रू0 तक की प्रत्येक और उसके पश्चात 5 लाख रू0 तक की प्रत्येक संविदा को स्वीकृत करना और समिति के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्त किसी विषय के सम्बन्ध में समिति के नाम से और उसकी ओर से ऐसे समस्त कार्य, कृत्य और बात करना;

(ल) अपना अन्तिम नियन्त्रण और प्राधिकार रखते हुए, किसी समिति के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को अपने में निहित सभी या किसी अधिकार, प्राधिकार या विवेकाधिकार प्रत्यायोजित करना;

(व) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों तथा समिति की उप-विधियों एवं प्रबन्ध कमेटी के प्रस्तावों द्वारा उस पर आरोपित या प्रदत्त किये जायें।

Appointment of Managing Director instead of Secretary for Apex Societies

31-A. (1) For every apex society there shall be, a Managing Director who shall be government servant or co-operative service not below the rank of a Class I officer or a Government servant not below the rank of Class I officer

of the concerned department, and his services shall be deemed to be on deputation with the society. In apex co-operative bank an experiences bank officer may also be appointed Managing Director.

(2) The Managing Director shall be ex-officio member of the Committee of Mamagement.

(3) The Managing Director shall exercise the powers & discharge the functions, specified below, namely-

(a) be responsible for the sound management of the business of the society and its efficient administration, Chief Executive Officer will be work according to Co-operative Act. Rules, bye-laws and decisions of management Committee;

(b) operate teh accounts of society singly or jointly in accordance with bye-laws provisions & resolutions of the committee of management & make arrangement for safe custody of cash;

(c) sign & authenticate all documents on behalf of the society;

(d) making arrangements for the proper maintenance of various books and records of the society & correct preparation, timely submission of periodical statements & returns in accordance with the provisions of the Act, the rules & the bye-laws;

(e) converning meetings of the general body of society, the Board & the Executive Committee & other committees or sub committees constituted by the Board & maintaining proper records for such meetings;

(f) assisting the Board in the formulation of policies & objectives and planning;

(g) making appointments to the posts in co-operative society in accordance with rules & Regulations;

(h) fumishing to theBoard periodical information necessary for appraising the operations & functions of society;

(i) to receive all moneys and securities on behalf of the society and to make arrangements for the proper maintenance and custody of properites of the society;

(j) to endorse and transfer promissory notes, Government and other securities and to endorse, sign and negotiete cheques and other negotiable intruments on behalf of the society;

(k) to sign all bonds and agreements in favour of the society;

(l) to create subject to provision contained in the budget of the society, class III and Class IV posts for a period of three Months and to make, as appointing authority, recruitment thereto through the Board as provided in the regulations framed by the State Government in exercise of the powers, under sub-section(2) of Section 122;

(m) to determine the powers, duties and responsibilities of the employees of the society;

(n) to institute, conduct, defend, compound or abandon any suit or other legal proceeding by or against the society or otherwise concernig the affair of the society and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any claims or demand by or against the society;

(o) to enter into negotiations and sanction contracts upto the value of Rs. 10 lakhs each during the constructon phase and upto Rs. 5 lakhs each thereafter and to incur contingent expenditure upto Rs. One lac subject to Budget provisions and to do all such acts, deeds and things in the name of and on behalf of the society in relation to any of the matters aforesaid for the purposes of the society;

(p) to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him to an employee or employees of any society, subject to the ultimate control and authority being relatined by him; and

(q) perform such other duties & exercise such other powers as may be imposed or conferred on him under the Rules, bye-laws & Board resolutions of the society.

वार्षिक सामान्य बैठक

32. (1) सहकारी समिति के सामान्य निकाय की एक बैठक (जिसे आगे वार्षिक सामान्य बैठक कहा गया है) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सहकारी वर्ष में ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाये, एक बार होगी :–

(क) प्रबन्ध कमेटी द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के तैयार किये गये समिति के कार्यकलाप का अनुमोदन;

(ख) नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन, यदि कोई होना हो;

(ग) गत सहकारी वर्ष के रोकड़–पत्र और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार सिवाय उस दशा के जब कि नियमों में निर्दिष्ट

अवधि के भीतर लेखा–परीक्षा पूरी न हुई हो;

(घ) गत सहकारी वर्ष के लेखा–परीक्षा प्रमाण–पत्र और लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन पर नियत रीति से विचार, सिवाय उस दशा के जब नियत अवधि के भीतर लेखा–परीक्षा पूरी न हुई हो;

(ङ) आगामी सहकारी वर्ष के लिए समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करन;

(च) शुद्ध लाभ का निस्तारण;

(छ) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार, और

(ज) ऐसी किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष लाया जाये।

(2) धारा 31 में किसी बात के होते हुये भी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्ध कमेटी के सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक बुलाये और ऐसा न करने पर निबन्धक या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि, प्राधिकृत व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक बुला सकता है।

Annual general meeting

32. (1) A meeting of the general body of a co-operative society (hereinafter referred to as the annual general meeting) shall be held, once in a co-operative year within such period as may be prescribed, for the purposed of-

(a) approval of the programme of the activities of the society prepared by the Committee of Management for the ensuing co-operative year;

(b) election of members of committee of management under the provisions of rules and by-laws of the society, if due;

(c) consideration of the balance-sheet and and the annual report for previous co-operative year unless the audit has not been completed within the period specified in the rules;

(d) consideration in the prescribed manner of the audit certificate and the audit report for previous co-operative year unless the audit has not been completed within the prescribed period;

(e) fixation of the maximum liability of the society for the ensuing co-operative.

(f) disposal of the net profits;

(g) consideation of the budget for the ensuing co-operative year; and

(h) consideration of any other matter as may be brought before it in accordance with the bye-laws.

(2) Notwithstanding anythingcontained in section 31, it shall be the duty of the Chief executive to call the annual general meeting in accordance with the provisions of sub-section(I), failing which the Registrar, or any person duly authorized by him in this behalf, may call the annual general meeting,

अन्य सामान्य बैठक

33. (1) प्रबन्ध कमेटी, सहकारी समिति के कार्य सम्पादन के लिए जब–जब आवश्यक हो, समिति की सामान्य बैठक (जिसे साधारण बैठक कहा जाये) बुला सकती है।

(2) प्रबन्ध कमेटी निबन्धक अथवा समिति के सामान्य निकाय में कम से कम 1/5 सदस्यों का लिखित अधियाचन प्राप्त होने के पश्चात् एक मास के भीतर समिति के सामान्य निकाय की एक सामान्य बैठक (जिसे असाधारण बैठक कहा जायेगा) बुलायेगी। प्रबन्ध कमेटी के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को स्थान अथवा समय पर जिसका वह निदेश दे, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

Other general meetings

33. (1) The Committee of Management may as often as may be necessary for the transaction of business of the co-operative society call a general meeting of the general body of the society (to be called ordinary general meeting).

(2) Committee of Management shall call a general meeting of the general body of the society (to be called extra ordinary general meeting) within one month after the receipt of the requisition in writing from the Registrar or from at least one-fifth of the members of the general body of the society. In default of the Committee of Management to call a meeting the Registrar or any person duly authorized by him in this behalf shall have the power to call the extra ordinary general meeting at such place and time as he may direct.

प्रबन्ध कमेटी में सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति

34. (1) यदि राज्य सरकार ने-

(क) अध्याय 6 के अधीन किसी सहकारी समिति की अंशपूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान दिया हो, या

(ख) किसी सहकारी समिति की अंशपूंजी के निर्माण या वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी हो, जैसा कि अध्याय 6 में व्यवस्था की गयी है, या

(ग) किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दिया गया हो या किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिए प्रत्याभूति दी हो या किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज भुगतान के लिए प्रत्याभूति दी हो,

तो राज्य सरकार को ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में दो से अनधिक व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिसमें से एक सरकारी सेवक होगा, जिसमें पेशवर (Professional) भी सम्मिलित सेवक या पेशेवर समिति के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन में मत नहीं देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई समिति चीनी उत्पादन में लगी हो, और-

एक- राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त अंशपूंजी एक करोड़ रुपये से कम न हो, या

दो - समिति की अंशपूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक हो, या

तीन - राज्य सरकार से समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, जिसकी कुल धनराशि समिति द्वारा इस प्रकार उधार ली गई कुल धनराशि के योग के पचास प्रतिशत से अधिक हो, वहाँ राज्य सरकार को ऐसी समितियों की प्रबन्ध कमेटी या सभापति, जो कि एक सरकारी सेवक होगा नाम निर्दिष्ट करने का भी अधिकार होगा,

(2) उपधारा (1) के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सरकार के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार में निहित नाम-निर्देशन का अधिकार उसके द्वारा किस ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जय सकता है, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी कोई प्रत्याभूति राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति समझी जायेगी।

Nominees of the Government on the Committee of Management

34. (1) Where the State Government has-

(a) subscribed directly to the share capital of co-operative society under Chapter VI, or

(b) assisted indirectly in the formation or augmentation of the share capital of a co-operative society as provided in Chapter VI, or

(c) given loans or made advances to a co-operative society or guaranteed the repayment of principal and payment of the interest on debentures issued by a co-operative society or guaranteed the repayment of principal and payment of interest on loans or advances to a co-operative society.

The State Government shall have the right to nominate on the Committee of Management of such society not more than two persons one of whom shall be a government servant, (which will include a professional also if nominated by the Govt.) so, however, that the government servant shall not vote at an election of an office-bearer of the society.

Provided that where the society is engaged in production of suger, and-

(i) the share capital subscribed to by the State Government is not less than one crore rupees: or

(ii) the share of the State Government in the share capital of the society exceeds fifty percent of the total share capital of the society; or

(iii) the State Government has given loans of made advances to the society or guaranteed the repayment of principal or payment of interest on debentures issued by the society or guaranteed the repayment of principal and interest on loans and advances to the society and the amount exceeds fifty percent in the aggreagate of the total amount so borrowed by the society.

The State Government shall also have the right to nominate the Chairman of the Committee of Management, who shall be a Government servant.

(2) A person nominated under sub-section (1) shall hold office during the pleasure of the State Government.

(3) The right of nomination vested in the State Government under this section may be delegated by it to any authority specified by it in that behalf.

Explanation : for the purpose of this section any guarantee given by the Central Government on the recommendation of the State Government shall be deemed to be a guarantee given by the State Government.

प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण व निलम्बन

35. (1) यदि निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी इस अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों द्वारा उस पर आरोपित कर्तव्यों के पालन में बराबर चूक करती है अथवा उपेक्षा करती है, अथवा कोई ऐसा कार्य करती है जो समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल हो, या अन्यथा समुचित रीति से कार्य नहीं करती है तो निबन्धक कमेटी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् और नियत रीति से उक्त प्रयोजन के लिए बुलाई गई सामान्य बैठक में समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश देकर प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर सकता है :

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करते समय, निबन्धक की यह राय हो कि कार्यवाही की अवधि में प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित करना समिति के हित में आवश्यक है तो, वह प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित कर सकता है जो तदुपरान्त कार्य करना बन्द कर देगी, और कार्यवाही पूरी होने तक समिति के कार्यों के लिये निबन्धक ऐसी व्यवस्था करेगा जो वह उचित समझे;

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निलम्बित प्रबन्ध कमेटी अवक्रान्त न की जाये उसे पुन: स्थापित किया जायेगा और वह अवधि जिसमें वह निलम्बित रही हो उसके कार्यकाल की गणना करने में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(3) यदि निबन्धक के उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण कर दिया हो तो वह उसके स्थान पर 6 माह से अनधिक अवधि के लिए, जो अवक्रमण आदेश में विनिर्दिष्ट किया जायेगा निम्नलिखित नियुक्त कर सकता है :-

(क) एक नई कमेटी जिसमें समिति के एक या अधिक सदस्य होंगे, या

(ख) कोई प्रशासक या प्रशासकगण जिसका या जिसके या जिनके लिए समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है;

प्रतिबन्ध है कि निबन्धक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवक्रान्त की अवधि को बढ़ा सकता है किन्तु एक बार में बढ़ाई गयी अवधि 6 महीने से अधिक न होगी और बढ़ाई गई कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न होगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व नियुक्ति कमेटी या प्रशासक या प्रशासकगण को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और यथास्थिति उसके या उनके द्वारा कृत कार्यवाही या प्रयुक्त शक्ति या सम्पादित कृत्य को न तो अविधिमान्य समझा जायेगा और न किसी न्यायालय में इस आधार पर कि इस रूप में उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या इस आधार पर कि प्रबंध कमेटी का पुनर्गठन समय से नहीं हुआ था या अवक्रमण की अवधि या उसके या उनके पद का कार्यकाल सम्यक् रूप से नहीं बढ़ाया गया था, आपत्ति नहीं की जायेगी;

(4) निबन्धक को उपधारा (3) के खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन नियुक्त अथवा उसके किन्हीं सदस्यों या प्रशासक अथवा प्रशासकों को स्वमति से उपधारा के अधीन निर्दिष्ट अवधि में बदलने का अधिकार होगा;

(5) उपधारा (3) और (4) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों को, किसी निदेश के अधीन रहते हुये जो निबन्धक, समय समय पर दे, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या कोई कृत्य करने का अधिकार होगा और वे इस अधिनियम, नियमों तथा समिति की उपविधियों के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए प्रबन्ध कमेटी समझे जायेंगे;

(6) उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने के पूर्व, उपधारा (4) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकगण उक्त अवधि के व्यतीत होने पर सहकारी समिति का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेंगे ;

(7) धारा 29 के उपबन्ध इस धारा के अधीन प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

Supersession or suspension of the Committee of Management

35. (1) Where in the opinion of the Registrar, the Committee of Management of any co-operative society persistently makes dafault or is negligent in the performance of the duties imposed on it by this Act or the rules or the bye-laws of the society or commits any act which is prejudical to the interest of the society or its members, or is otherwise not functioning properly, the Registrar after affording the Committee of Management a

reasonable opportunity of being heard and obtaining the opinion of the general body of the society in a general meeting called for the purpose in the manner prescribed may, by order in writing, supersede the Committee of Management;

(2) Where the Registrar, while proceeding to take action under sub-section (1) is of opinion that suspension of the Committee of Management during the period of proceeding is necessary in the interest of the society, he may suspend the Committee of Management which shall thereupon cease to function, and make such arrangement as he thinks proper for the management of the affairs of the society till the proceedings are completed:

Provided that if the Committee of Management so suspended is not remained suspended shall not count towards its term.

(3) Where the Registrar has susperseded the Committee of Management under sub-section(1), he may appoint in tis place, (for a period not exceeding six months) to be specified in the order of supersession:

(a) a new committee consisting of one or more members of the society, or

(b) an administrator or administrators who need not necessarily be members of the society:

Provided that the Registrar may, with the previous approval of the State Government extend the period of supersession, so however, that any single extension does not exceed six months and the total extension does not exceed one year :

Provided further that the committee or an administraror or administrators appointed (before the commencement of Uttaranchal co-operative societies Act 2003) shall be deemed to have been duly appointed and no action taken or power exercised or functions performed by it or him, as the case may be, shall be deemed to be invalid or shall be called in question in any court on the ground of any defect in its or his appointment as such the Committee of Management was not reconstituted within time or the period of supersession or the term of its or his office was not duly extended.

(4) The Registrar shall have the power to change the committee or any members thereof or the administrator or administrators appointed under clause(a) or (b) of sub-section(3) at his discretion during the period specified under that sub-section.

(5) The committee, administrator or administrators appointed under sub-section (3) and (4) shall, subject to any directions which the Registrar may from time to time give, have the power to exercise all or any of the function of the Committee of Management or of any officer of the society and shall be deemed for all purposes under this Act, the rules and the bye-laws of the society to be the Committee of Management.

(6) Before the expiry of the period specified under sub-section (3), the committee, administrator or administrators, appointed under sub-sections (3) and (4) shall arrange for the reconstitution of the Committee of Management in accordance with this Act, the rules and the bye-laws of the society to takeover the management of the co-operative society on the expiry of the said period.

(7) The provisions of Section 29 shall apply in respect of reconstitution of the Committee of Management under this section.

कतिपय समितियों की प्रबन्ध कमेटी व उनके सभापति का कतिपय बकाया की हालत में पद रिक्त होना

35(क) (1) इस अध्याय के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां दो लगातार वर्षो के लिए (जिसके अन्तर्गत इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व की कोई अवधि भी है)

(क) किसी प्रारम्भिक समिति का, जो ऋण समिति है, किसी सहकारी वर्ष में अपने सदस्यों के विरुद्ध कुल देयों का साठ प्रतिशत से अधिक ऐसे वर्ष के अन्त में अदत्त रह जाये, या

(ख) किसी ऐसे वर्ष के अन्त में बाकीदार सदस्यों की संख्या ऐसी समिति के ऋणी सदस्यों की कुल संख्या के साठ प्रतिशत से अधिक हो जाये,

वहां किसी ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सभापति और सभी सदस्य उपधारा (3) के अधीन आदेश प्रभावी होने पर इस रूप में अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे।

(2) उपधारा 1 के उपबन्ध जिस प्रकार वे किसी प्रारम्भिक ऋण समिति पर लागू होते हैं वित्तपोषक बैंक पर भी लागू होंगे।

(3) किसी समिति या बैंक के सम्बन्ध में जैसा उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, निबन्ध ऐसी समिति या बैंक के, जिसे वह उपयुक्त समझे, कार्यो के प्रबन्ध के लिए व्यवस्था कर सकता है जिसे वह उचित समझे, और धारा 35

की उपधारा (3), (4), (5) और (6) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

35.A (1) Without prejusice to other provisions of this chapter, where for two sucessive co-operative years (including any period before the commencement of his section) -

(a) more than sixty per cent of the total dues of any primary society, which is a credit society against its members during any co-operative year, remain unpaid at the end of such year; or

(b) the number of defaulting members exceeds sixty percent of the total number of indebted members of such society, at the end of any such year. then, the Chairman and all members of the Committee of Management of any such society shall, upon an order coming into effect under sub-section(3), vacate their respective offices as such.

(2) The provisions of sub-section (1); as they apply to a primary credit society, shall mutatis mutandis apply to a financing bank.

(3) In relation to any society or banks as referred to in sub-section (1) or sub-section(2), the Registrar may make such arrengements as he thinks fit and the provisions of sub-section(3), (4), (5) and (6) of Section 35 shall mutatis mutandis apply.

अभिलेख आदि कब्जे में लेना

36. (1) यदि धारा 35 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित अथवा अवक्रान्त किया जाये अथवा यदि धारा 72 के अधीन समिति के समापन का आदेश दिया जाये और प्रबन्ध कमेटी के बर्हिगामी सदस्य, समिति क अभिलेख तथा सम्पत्ति का प्रभार, यथास्थिति निबन्धक के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को अथवा धारा 35 की उपधारा (2), (3) और (4) के अधीन कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों को अथवा परिसमापक को न दे तो निबन्धक का उक्त नाम निर्दिष्ट व्यक्ति प्रशासक या प्रशासकगण अथवा परिसमापक समिति के अभिलेख तथा सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे मजिस्ट्रेट जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त समिति कार्य करती हो, प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

(2) उपधारा (1) अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट ऐसी कार्यवाही करेगा जो समिति के अभिलेख और सम्पत्ति को कब्जे में लेने के लिए आवश्यक हो और किसी पुलिस अधिकारी को अधिपत्र द्वारा ऐसे अभिलेखों तथा सम्पत्ति का कब्जे में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अभिग्रहीत अभिलेख तथा सम्पत्ति प्रार्थी को दे दी जायेगी।

Securing possession of records etc.

36. (1) When the committee of management of a co-operative society is suspended or superseded under Section 35 or if the society is ordered to be wound up under Section 72 and putgoing members of the Committee of Management fail to hand over charge ofthe records and property of the society to a nominee of the Registrar or the committee, the administrator or administrators appointed under sub-section (2), (3) and (4) of Section 35, or theLiquidator, as the case may be such nominee of the Registrar, or the committee, the administrator or administrators or the Liquidator may apply to any Magistrate within whose jurisdiction the society functions for securing the records and property of the society.

(2) On receipt of an application under sub-section(1) the Magistrate shall take such action as may be necassary to take possession of the record and property of the society and may authorize any police officer by warrant to take possession of such records and property and the records and property seized shall be handed over to the applicant;

अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में निबन्धक के आपतिक अधिकार

37. (1) यदि निबन्धक का समाधान हो जाये कि सहकारी समिति की बहियों तथा अभिलेखों में हस्तक्षेप किये जाने की सम्भावना है या समिति की निधि और सम्पत्ति का दुर्विनियोग अथवा दुष्प्रयोग किये जाने की सम्भावना है तो निबन्धक किसी व्यक्ति को, जो उसके द्वारा लिखित रूप से यथाविधि प्राधिकृत किया गया हो, आदेश दे सकता है कि वह समिति की ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति का अभिग्रहण करे तथा उन्हें अपने कब्जे में ले ले और समिति का वह या वे अधिकारी जो ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, उन्हें इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति के सुपुर्द कर देंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उक्त आदेश का निष्पादन करने के लिए, निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी से आवश्यक पुलिस सहायता देने का अनुरोध कर सकता है और तदुपरान्त ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी सहायता

देगा।

Registrar's emergency powers to seize records, etc.

37. (1) When the Registrar is satisfied that the books and records of a co-operative society are likely to be tampered with or the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied, the Registrar may issue an order directing a person dully authorized by him in writing, to seize and take possession of such books, records funds and property of the society and the officer or officers of the society responsible for the custody of such books, records, funds and property shall give delivery thereof to the person so suthorized.

(2) A person suthorized by the Registrar under sub-section (1) may, for the purpose of execution of the said order, request the officer in charge of the nearest police station to give him necessary police help and such police officer shall thereupon give him such help.

सहकारी समिति के अधिकारी को हटाया जाना

38. (1) यदि निबन्धक की राय में सहकारी समिति के किसी अधिकारी ने इस अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है, या उसका पालन नहीं किया है, या पद धारण करने का अपना अधिकार खो दिया है, तो निबन्धक किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरुद्ध की जाय या की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति से ऐसे अधिकारी को निर्दिष्ट अवधि के भीतर, उसके पद से हटाये जाने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो उसे उक्त समिति के अधीन तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए कोई पद धारण करने के लिए अनर्हित भी करने के लिए कह सकता है, जिसके उपरान्त समिति, सम्बन्धित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) से अधीन समिति द्वारा कार्यवाही न करने पर, निबन्धक उक्त अधिकारी का सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, हटा सकती है, या हटाने के साथ-साथ उसे तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने से अनर्हित कर सकती है।

(3) उपधारा (1) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया कोई अधिकारी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से उस पद पर न रहेगा और यदि उसे अनर्हित कर दिया गया हो तो वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने का पात्र न होगा।

Removal of an officer of a co-operative society

38. (1) If in the opinion of the Registrar, any officer of a co-operative society has contravened or omitted to comply with, any provisions of this Act, the rules or the bye-laws of the society, or has forfeited his right to hold office, the Registrar may, without prejudice to any other action that may or can be taken against him, call upon the society to remove, within a specified period, such officer from the office held by him and where necessary also to disqualify him from holding any office under that society for a period not exceeding three years, where upon the society shall, after affording opportunity of being heard to the officer concerned, pass such orders as it may deem fit.

(2) On the failure of the society to take action under sub-section(1), the Registrar may, after affording opportunity of being heard to the officer and for reasons to be recorded and communicated to the person and the society concerned, remove, or remove and disqualify for a period not exceeding three years, the officer from holding any office under that society.

(3) An officer removed under sub-section(1) or sub-section(2), shall, with effect from the date of commuication of the order, cease to hold that office and, if disqualified, shall not be eligible to hold any office under that society for the period specified in the order.

अध्याय-5

सहकारी समितियों के विशेषाधिकार

CHAPTER - V

PRIVILEGES OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

सहकारी समिति का कतिपय परिसम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार

39. प्राविंशियल एन्सालवेंसी ऐक्ट, 1920 अथवा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 अथवा तत्समय प्रचलित भौमिक अधिकार विषयक

किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, किसी ऋण या अदत्त मांग का, जो किसी भूतपूर्व अथवा वर्तमान सदस्य द्वारा सहकारी समिति को देय हो अथवा जो किसी मृत सदस्य की सम्पदा के विरूद्ध शेष हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी ऐसे दावे के अधीन रहते हुए जो समिति द्वारा ऋण दिये जाने के पूर्व, न किस उसके पश्चात् उसके (सरकार के) द्वारा दिये गये ऋण से उत्पन्न हो या मालगुजारी के सम्बन्ध में हो, अथवा मालगुजारी की बकाया की रूप ममें वसूल करने योग्य होई धनराशि हो, निम्नलिखित पर प्रथम प्रभारत होगा–

(क) यदि उक्त ऋण या समांग बीज, खाद, श्रमित निर्वाह, पशुओं के लिए चारा या अन्य किसी ऐसी वस्तु के, जो कृषि सम्बन्धी क्रियाओं के लिए प्रासंगिक हो, सम्भरण के सम्बन्ध में देय हो, तो ऐसे सदस्य की फसलों तथा कृषि उपज पर;

(ख) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि का लगान या मालगुजारी के भुगतान के साधनों की अथवा सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किन्हीं ऋणों के सम्बन्ध में देय हो, तो यथास्थिति उस भूमि पर जिसके लगान या मालगुजारी का उक्त रूप से भुगतान किया गया हो, अथवा व्यवस्थित सिंचाई की सुविधाओं पर;

(ग) यदि उक्त ऋण या मांग पशु या पशुधन के सम्भरण या उसके क्रय के साधनों की व्यवस्था करने या कृषि उपकरणों, परिवहन या दुग्धशाला अथवा पशुपालन से सम्बद्ध अन्य कार्यकलापों के लिए सज्जा का क्रय, मरम्मत अथवा पशुपालन से सम्बद्ध अन्य कार्यकलापों के लिए सज्जा का क्रय, मरम्मत अथवा संधारण करने ा फार्म हाउस या पशु अथवा कृषि उपज के संग्रहार्थ गोदाम बनाने, मरम्मत या क्रय करने के सम्बन्ध में देय हो तो किसी ऐसे ऋण से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से सदस्यों की कृषि उपज पर और इस प्रकार क्रय किये गये अथवा संधारित या बनाये गये सज्जा, गोदाम, फार्म हाउस या औसारा पर और यदि ऋण गृहीता क्षेत्रपति हो तो उसकी भूमि पर भी ऋण की अन्तिम किश्त प्रतिदेय होने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय;

(घ) यदि उक्त ऋण या मांग कच्चा सामान, औद्योगिक उपकरणों, संयंत्र और मशीनों कर्मशालाओं, गोदामों अथवा कारोबार के भू–गृहादिक सम्भरण के सम्बन्ध में या उनके क्रय से निमित्त ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो कच्चा माल या अन्य वस्तुओं पर जिनका इस प्रकार सम्भरण या उस सदस्य द्वारा क्रय किया हो और कच्चे माल के सम्भरण के सम्बन्ध में या उसके क्रय के लिए ऋण या मांग की दशा में, उस कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं पर;

(ङ) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि के क्रय या विमोचन के प्रयोजनार्थ लिये गये किसी ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो उस भूमि पर जो इस प्रकार क्रया विमोचन की गई हो;

(च) यदि उक्त ऋण या मांग किसीमकान या भवन अथवा उसके किसी भाग के निर्माणार्थ लिये गये किसी ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो उस मकान या भवन या सामग्री पर जो इस प्रकार क्रय, निर्मित या सम्भारित किया गया हो; और

(छ) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि का उद्धार या संरक्षण करने के लिए अथवा भूमि पर सुधार करने के लिए अथवा भूमि तैयार करने या फलोद्यान अथवा वृक्षारोपण के लिए या पशु, कृषि उपकरणों अथवा मशीनों के क्रय के लिये, लिये गये 500 रुपये या उससे अधिक के ऋण के सम्बन्ध में देय हो और उस भूमि पर जिसके प्रयोग के लिए उपकरणों या मशीनों का क्रय करना हो और पशु क्रय करने की दशा में ऋण गृहीता की किसी भूमि पर,

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन सृजित प्रभार के साथ–साथ ऋणी सदस्य की सभी अन्य सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत समिति, जिसके अन्तर्गत समिति द्वारा उसकी देय कोई भी धनराशि है, समिति के पक्ष में किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जा सकेगी और बेची जा सकेगी, चाहे ऋण का उद्देश्य कुछ भी रहा हो।

First charge of co-operative society on certain assests

39. Notwithstanding anything contained in the Provincial Insolvency Act, 1920(Act V of 1920), or in the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), or in any other enactment relating to land tenure for the time being in force, any debt or outstanding demand due to a co-operative society by any member, past or present, or standing against the estate of any deceased member, shall subject to any claim of the Central Government or the State Government arising from a loan granted by it before but not after, the grant of the loan by the society, or in respect of land revenue or any sum recoverable as arrears of land revenue, be a first charge-

(a) if such debt or demand is due in respect of the supply of, or any loan to provide the means for, seed, manure, labour subsistence, fodder for cattle or any other thing incidental to the conduct of agricultural operations, upon the crops and agricultural produce of such members;

(b) if such debt or demand is due in respect of any loans to provide the ties, upon the land whose rent or

revenue has been so paid or, as the case may be, on which the irrigation facilities have been provided;

(c) if such debt or demand is due in respect of supply of, or any loans to provide the means for the purchase of cattle, or other livestock, or for the purchase, repair or maintenance of agricultural implements, transport equipments or equipment for dairy or for other activities relating to animal husbandry, or for making, repairing or purchasing of farm-house or shed for cattle or for other livestock or for making, repairing or purchasing or warehouse for storage of agricultural produce, then upon the farm-produce of such members and also upon the cattle, livestock so purchased.

or upon the equipments, warehouse, farm-house or shed so purchased, repaired, maintained or made wholly or partially out or any such loan, and if the borrower is a landholder, then upon his land also, at any time within three years from the date on which the last instaiment of such loan becomes repayable;

(d) if such debt or demand is due in respect of the supply of, or any loan for the purchase of raw material, industrial implements, plant and machinery, workshop, warehouse or business premises, upon the raw material or other things so supplied or purchased by such member and in the case of a debt or demand in respect of the supply, or for the purchase of raw materials also upon the articles manufactured from such raw material;

(e) If such debt or demand is due in respect of any loan for the purchase or redemption of land, upon the land so purchased or redeemed;

(f) if such debt or demand is due in respect of any loan for the purchase or construction of any house or building or any portion thereof, or in respect of the supply of materials for such constructions upon the house or building or materials so purchased or constructed or supplid; and

(g) if such debt or demand is due in respect of any loan of Rs. 500/- or more for reclaiming or protecting land or for effecting improvement or land or for preparation of land for orchard or plantation or for purchase of cattle, agricultural implements, machinery, upon the land so sought to be reclaimed, protected improved or prepared, or upon the land for the use of which the implements or machinery are sought to be purchased and in case of purchase of cattle, upon any land of the borrower:

Provided that along with the charge created under this section all other property of the indebted member including any amount payable to him by a society shall be liable to attachment and sale in execution of a decree in favour of the society irrespective of the object of the loan.

कतिपय दशाओं में समिति के दावे को पूरा करने के लिए वेतन से कटौती

40. (1) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हयु भी, किन्तु ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायें, सरकारी समिति का कोई सदस्य समिति के पक्ष में अनुबन्ध निष्पादित कर सकता है जिसमें यह व्यवस्थित हो कि उसका सेवायोजक उसके वेतन या मजदूरी में से, जो सेवायोजक द्वारा उसे देय हो, उक्त अनुबन्ध में निर्दिष्ट धनराशि की कटौती करने और समिति के सदस्य द्वारा देय ऋण अथवा अन्य मांग की पूर्ति के लिए समिति को इस प्रकार की गई कटौती की धनराशि देने के लिए सक्षम होगा।

(2) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी सहकारी समिति के लिखित रूप में ऐसी अपेक्षा करने पर सेवायोजक, उस समय तक जब तक कि उक्त ऋण या मांग अथवा उसका कोई भाग शेष रहे, उपधारा (1) के अधीन निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार उक्त कटौती करेगा और इस प्रकार कीगई कटौती की धनराशियों का भुगतान कटौती के दिनांक से चौदह दिन के भीतर समिति को करेगा।

(3) यदि सेवायोजक, बिना पर्याप्त कारण के उपधारा (2) के अनुसार उक्त कटौती न करे अथवा ऐसी कटौती कर लेने के पश्चात् के दिनांक से चौदह दिन के भीतर समिति को इस प्रकार की गई कटौती की धनराशि का भुगतान न करे तो वह समिति के प्रति उतनी धनराशि का जितना कि उसने यथास्थिति कटौती न की हो अथवा भुगतान न किया हो, देनदार होगा।

Deduction from salary to meet society's claim in certain cases

40. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force but subject to such conditions, if any, as may for time to time be laid down by the State Government, a member of a co-operative society may execute an agreement in favour of the society providing that his employer shall be competent to deduct from the salary or wages payable to him by the employer such amount as may be specified in the agreement and to pay the amount so deducted to the society in satisfaction of any debt or other demand owing by the member of the society.

(2) Notwithstanding anything in any law for the time being in force, the employer shall, if so required by the co-operative society by requisition in writing and so long as such debt or demand or any part of it remains unpaid, make the deduction in accordance with the agreement executed under subsection (1) and pay the amounts so deducted to the society within fourteen days from the date of the deduction.

(3) An employer who without sufficient cause fails to make the deduction in terms of sub-section(2), or havving made, any such deduction fails to pay the amount so deducted to the spciety within fourteen days from the date of deduction, shall be liable to the society to the extent of the amount which the employer has failed to deduct or to pay, as the case may be.

सहकारी समिति की पूंजी में सदस्यों के अंशों या हितों के सम्बन्ध में प्रभार और मुजराई

41. सहकारी समिति की देय किसी ऋण या अदत्त मांग के सम्बन्ध में सहकारी समिति का प्रभार किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के पूंजी में अंश अथवा हित पर और उसके द्वारा जमा की गई धनराशियों पर तथा किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के दायादों अथवा विधिक प्रतिनिधियों को देय लाभांश, बोनस अथवा लाभों पर होगा और समिति तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधिक प्रतिनिधियों के नाम में या उन्हें देय किन्हीं धनराशियों में से उक्त किसी ऋण अथवा मांग की धनराशि भुजरा कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वित्तपोषक बैंक का, जिससे समिति सम्बद्ध हो, प्रभार उस वित्तपोषक बैंक में सहकारी समिति द्वारा रक्षित निधि के रूप में कुल जमा की गई किसी धनराशि पर न होगा, यदि समिति द्वारा लिये गये ऋण की कुल धनराशियों में बैंक का अंश 75 प्रतिशत से कम हो और न उसे समिति के नाम में जमा या उसे देय किसी ऐसे धनराशि में से ऐसी समिति से प्राप्त कोई ऋण मुजरा करने का हक होगा।

Charge and setoff in respect of shares or interest of members in the capital of a co- operative society

41. A co-operative society shall have a charge on the share or interest in the capital and on the deposits of a member, a past member or a deceased member and on any dividend, bonus or profits, payable to a member or a past member, or the heirs or legel representatives of a deceased member in respect of any debt or outstanding demand owing to the co-operative society and may notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, set off any sums so credited or payable to such member or his heirs or legal representatives towards payment of any such debt or outstanding demand;

Provided that no financing bank to which a co-operative society is affiliated shall have a charge upon any sum invested in financing bank as reserve fund by the society if the bank's share in the total amount of loans taken by the society is less then 75 percent, or be entitled to set off any such sum credited or payable to the society towares any debtdue from such society.

Attachment shares- Under this section, the share of a member is not liable to sale and attachment.

अंश या हित की कुर्की न हो सकेगी

42. धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समिति की पूंजी में किसी सदस्य का अंश या हित, ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा अपगत किसी ऋण या दायित्व के सम्बन्ध में किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन न तो कुर्क हो सकेगा और न बेचा जा सकेगा और ऋण शोध क्षमता (इन्सालवेन्सी) से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन कोई सरकारी अभ्यर्पित या आदाता (रिसीवर) ऐसे अंश या हित में किसी दावे का हकदार न होगा और न उस पर कोई दावा होगा।

Share or interest not liable to attachement

42. Subject to the provisions of Section 31, the share or interest of a member in the capital of a co-operative society shall not be liable to attachments or sale under any decree or order of a court of justice in respect of any debt or liability incurred by such member or past member and an official assignee or a recoiver under any law relating to insolvency shall not be entitled to, or have any claims on, such share or interest.

Insolvency effect- A person does not cease to be a member of the society by his adjudication as an insolvent.

संलेखों के अनिवार्य निबन्धन से मुक्ति

43. इण्डियमन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 (ऐक्ट संख्या 16 वर्ष 1908 की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) और (सी) में दी हुई कोई बात निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होगी–

(क) किसी सहकारी समिति में अंशों से सम्बद्ध कोई संलेख भले ही समिति की परिसम्पत्तियां पूर्णत: अथवा अंशत: अचल

सम्पत्ति के रूप में हो; या

(ख) ऐसी किसी समिति द्वारा जारी किया गया ऋण-पत्र जो सिवाय उस मात्रा तक जहां तक कि वह धारी को ऐसे निबन्धित संलेख से प्राप्य सुरक्षा का हकदार बनाता हो जिसके द्वारा समिति न अपनी सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति या उसका कोई भाग या उसमें कोई हित पूर्णत: या अंशत: न्यासधारियों को ऐसे ऋण-पत्र धारियों के हितार्थ न्यास के रूप में बन्धक या हस्तान्तरित कर दिया गया हो, या अन्यथा संक्रमित कर दिया हो अचल सम्पत्ति में अधिकार, आगम या हित उत्पन्न, घोषित, अभ्यर्पित, सीमित या समाप्त न करता हो; या

(ग) किसी ऐसी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्र पर कोई पृष्ठांकन या उसका संक्रमण।

Exemption from compulsory registration of instruments

43. Nothing in chauses (b) and (c) of sub section (1) of Section 17 of the Indian Registration Act 1908 (Act XVI of 1908), shall apply to-

(a) any instrument relating to shares in a co-operative society, notwith standing that the assets of the society consist in whole or in part of immovable property; or

(b) any debenture issued by any such society and not creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest to or in immovable property, except insofar as it entitles the holder to the security afforded by a registered istrument whereby the society has mortgaged, conveyed or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holder of such debentures; or

(c) any endorsement upon or transfer of any debenture issued by any such society.

सदस्यों का रजिस्टर

43. (क) सदस्यों या अंशों का कोई रजिस्टर या सूची, जो किसी सहकारी समिति द्वारा रखी जाये, उसमें प्रविष्ट निम्नलिखित विषयों की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी-

(क) दिनांक जब उस रजिस्टर या सूची में किसी व्यक्ति का नाम सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया हो;

(ख) दिनांक जब ऐसा कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया हो।

Register of Members

43. A Any register or list of Members kept by any co-operative society shall be prima facle evidence of any of the following particulars entered there in, namely :-

(a) The date on which a person become a member;

(b) The date on which any such member ceased to be a member &

(c) The No. of shares held by such member and the date from which so held.

बंधक एवं प्रभार के रजिस्टर

43. (ख) कोई रजिस्टर या बंधक एवं प्रभार की सूची, जो किसी सहकारी समिति द्वारा रखी जाय, उसमें अंकित निम्नलिखित विवरणों की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी-

(क) दिनांक जब सदस्य बंधक या प्रभार, समिति के पक्ष में सृजित किया गया हो,

(ख) भूमि या अन्य अचल संपत्ति जिसका बंधक या प्रभार रखा गया हो का विवरण, एवं

(ग) दिनांक जब निष्पादित किये गये बंधक या प्रभार उपरजिस्ट्रार या माल विभाग के प्राधिकारी को जैसा भी हो, भेजा गया है।

Registers of Mortages & Charges

43. B. Any Register or list of Mortgages & charges kept by any co-operative society shall be prima facie evidence of any of the following particulars entered therein, namely-

(a) The date on which the Mortgage or charge was created by a member in favour of the society;

(b) Particulars of the Land or other immovable property mortgaged or charges; &

(c) The date on which declaration of the mortgage or charge was sent to the sub-registrar or Revenue Authority,as the case may be

सहकारी समितियें की बहियों में प्रविष्टियों की रीति

43. (ग) (1) किसी सहकारी समिति की बही, जो उसके कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में नियमित रूप से रखी जाती हो, किसी

प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि वह उस रीति से प्रमाणित की गयी हो, जो नियत की जाये, किसी वाद या विधिक कार्यवाही में उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेख्यों के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार तथा उसी सीमा तक मूल प्रविष्टि ग्राह्य होती।

(2) कोई सरकारी समिति किसी ऐसे लेख्य की किन्हीं प्रतिलिपियों जो उसने अपने कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में प्राप्त किया और रखा हो, या उस लेख्य की किन्हीं प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां दे सकती है और दी गई कोई प्रतिलिपि, जो ऐसी रीति से प्रमाणित की गई हो, जो नियत की जाये, किसी भी प्रयोजन के लिए उसी प्रकार और उसी सीमा तक साक्ष्य में ग्राह्य होती है।

(3) सहकारी समिति के किसी अधिकारी को और ऐसे अधिकारी को, जिसके कार्यालय में समापन के पश्चात् किसी सहकारी समिति की बहियां जमा हों, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिसमें उक्त सहकारी समिति या परिसमापक एक पक्ष न हो समिति की बहियां या लेख्य, जिनकी अन्तर्वस्तु को इस धारा के अनुसार सिद्ध किया जा सके, प्रस्तुत करने या उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेखों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब किसी विशेष कारण के न्यायालय, न्यायाधिकरण, निबन्धक या मध्यस्थ ने तदर्थ आदेश दिया हो।

Proof of the entries in books of co-operative societies

43. C (1) A copy of any entry in a book of a co-operative society regularly kept in the course of its business shall, if certified in such manner as may be prescribed, be received in any suit or legal proceeding as prima facie evidence of the matters, transactions and accounts therein recorded in the same manner and to the same extent as the original entry itself is admissible.

(2) A co-operative society may grant copies of any document obtained and kept by it in the course of its business or of any entries in such document and any copy granted shall, when certified in such manner as may be prescribed, be admissible in evidence for any purpose in the same manner and to the same extent as the original documents, or the entries therein, as the case may be are admissible.

(3) No officer of a co-operative society and no officer, in whose office the books of a co-operative society are deposited after its winding up shall, in any legal proceedings to which the society or the liquidator is not a party be compelled to produce any of the society's books or documents, the contents of which can be proved under this section, or to appear as a withness to prove the matters, transactions and accounts therein recorded, except under order of the court, Tribunal, the Registrar or the arbitrator made for special cause.

सदस्यों की पासबुक

43. (घ) (1) कोई सहकारी समिति, जो अपने सदस्यों को ऋण देती या कोई सहकारी समिति या सहकारी समितियों का कोई वर्ग जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, अपने प्रत्येक सदस्य को एक पासबुक उपलब्ध करायेगी, जिसमें सदस्य के साथ हुए संव्यवहारों का ब्यौरा जैसे कि संव्यवहार दिनांक, दिये गये ऋण की धनराशि, ब्याज की दर, सदस्य द्वारा दी गई अदायगियां, शोध्य मूलधन और ब्याज की धनराशि और ऐसी अन्य प्रविष्टियां जैसी कि नियत की जायं, अन्तर्विष्ट होंगी। पासबुक की प्रविष्टियां समय-समय पर अद्यावधिक की जायेंगी और सहकारी समिति के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जायेंगी जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करें, और इस प्रयोजन के लिये ऐसा सदस्य ऐसे अधिकारी को पास-बुक प्रस्तुत करेगा, यदि पासबुक को प्रविष्टियां करने के लिए रोकना अपेक्षित हो तो उसकी एक रसीद निर्गत करेगा।

(2) पासबुक में सम्यक रूप से की गई प्रविष्टियां, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाय, सदस्य के साथ सहकारी समिति के संव्यवहार की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी।

Pass book to members

43. D(1) A co-operative society which gives loans to its members or a co-operative society or a class of co-operative societies, as may be notified by the State Government, shall provide to each mamber a such as, the date of the transacion, the amount of loan advanced the rate of interest, the repayments made by the member, the amount of the principal and interest due and such other particulars as may be prescribed. The entries of the pass book shall be made upto date from time to time and shall be countersigned by such officer of the co-operative society as may be authorized by it in this behalf and for this purposes such member shall present

the pass book to such officer who shall issue a receipt thereof, if the pass book is required to be detained for making entries therein.

(2) The entries in the pass book duly made shall until the contrary is proved, be prima facie evidence of the transaction of the co-operative society with the member.

करों, फीस एवं शुल्कों से छूट

43. (ङ) (1) सरकार, किसी वर्ग की सहकारी समितियों को अधिसूचना जारी कर छूट दे सकती है:

(अ) स्टाम्प शुल्क से जो किसी प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी समिति य उसकी ओर से अथवा उसके अधिकारी या सदस्य द्वारा समिति के व्यवसाय के लिए दस्तावेज या दस्तावेजों अभिनिर्णय या आदेश के लिये देय होगा, या

(ब) किसी शुल्क या कोर्ट फीस जो किसी प्रचलित अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए देय होगा

(2) सरकार किसी वर्ग की सहकारी समितियों को अधिसूचना जारी कर छूट दे सकती है:

(अ) मालगुजारी से एवं

(ब) सामानों की बिक्री एवं खरीद पर लिये जाने वाले करों से।

Exemption from certain Taxes, fees & duties

43.E (1) The Govt. may, by notification, remit in respect of any class of co-operative societies-

(a) The Stamp duty chargeable under any law for the time being in force. in respect of any instrument executed by or on behalf of a cooperative society or by an officer or member thereof and relating to the business of such society; or

(b) Any fee payable under any law for the time being in force relating to the registration of documents or court fees.

(2) The Govt. may by notification, exempt any class of co-operative societies from-

(a) Land Revenue &

(b) Taxes on sale & purchase of goods.

अध्याय-6

सहकारी समितियों को राज्य की सहायता

CHAPTER - VI

STATE AID TO CO-OPERATIVE SOCIETIES

राज्य सरकार की समितियों में सीधे सहभागिता

44. (1) राज्य सरकार सीमित दायित्व वाली समिति की अंश पूंजी में से ऐसी शर्तो प्रतिबन्धों के अधीन जिसमें सहमति हो सीधे अभिदान कर सकती है।

राज्य सरकार की समितियों में परोक्ष सहभागिता-

(2) राज्य सरकार किसी शीर्ष सहकारी समिति को सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों के अंशों को सीधे या परोक्ष रूप से क्रय के लिए धन दे सकती है।

(3) राज्य सरकार किसी ऐसी सहकारी समिति में अपने अंशों पर लाभांश उसी दिन से पाने की हकदार होगी जो समिति के अन्य अंशधारियों को देय हो।

Direct partnership of State Govt. in societies

44. (1) (a) The State Govt. may subscribe directly to the share capital of a society with limited liability, upon such terms & conditions as may be agreed upon;

(b) Indirect partnership of State Govt. in societies-

The State Govt. may provide money to an Apex Society for the purchase directly or indirectly; or shares in other societies with limited liability.

44. (2) The State Government shall be entitled to dividend on its shares in any such co-operative society at the

same rate as paid to other shareholders of the society.

प्रमुख राज्य भागिता निधि

45. (1) कोई भी शीर्ष समिति जिसे धारा 44 के अधीन राज्य सरकार द्वारा धन दिया जाये, ऐसे धन से एक निधि की स्थापना करेगी जिसे ''प्रमुख राज्य भागिता-निधि'' कहा जायेगा।

(2) शीर्ष समिति ''प्रमुख राज्य भागिता-निधि'' का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही प्रयोग करेगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं-

(क) सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों के अंशों का सीधा क्रय ;

(ख) किसी सहकारी समिति को जिसके अन्तर्गत उसकी सदस्यता मं अन्य सहकारी समितियां भी हैं धन देना, जिससे कि वह समिति सीमित दायित्व वाली अन्य सम्बद्ध सहकारी समितियों के (जिन्हें आगे इस अध्याय में ''प्रारम्भिक समितियं'' कहा गया है) अंश क्रय कर सके;

(ग) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार को भुगतान करना;

(घ) ऐसे अन्य भुगतान करना जिन्हें राज्य सरकार उपखंड (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित अपेक्षाओं के पूर्णतः पूरा होने के पश्चात अनुज्ञात करे।

Principal State Partnership Fund

45. (1) An apex society which is provided with moneys by the State Government under Section 44 shall with such money establish a Fund to be called the Principal State Partnership fund.

(2) An apex society shall utilize the Principal State Partnership Fund for the purpose of-

(a) Directly purchesing shares in other co-operative societies with limited liability;

(b) Providing moneys to a co-operative society which includes in its membership other co-operative societies, to enable that society to purchase shares in other affillated co-operative societies with limited liability (hereinafter in this Chapter referred to as primary societies);

(c) making payments to the State Government in accordance ith the provisions of this Chapter;

(d) making such other payment as may be permitted by the State Government after the requirements in sub-clause (a), (b) and (c) have been met in full, and for no other purpose.

सहायक राज्य भगिता निधि

46. (1) कोई केन्द्रीय समिति जिसे शीर्ष समिति प्रमुख राज्रू भागिता-निधि से धन दे, ऐसे धन से एक निधि की स्थापना करेगी जिसे ''सहायक राज्य भागिता-निधि'' कहा जायेगा।

(2) केन्द्रीय समिति, सहायक राज्य भागिता-निधि को निम्नलिखित प्रयोजन के लिये ही प्रयुक्त करेगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं-

(क) प्रारम्भिक समितियों में अंशों का क्रय;

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार शीर्ष समिति को भुगतान करना।

Subsidiary State Partnership Fund

46. (1) A central society which is provided with moneys by an apex society from the Principal State Partnership Fund shall, with such moneys, establish a fund to be called the subsidiary State Partnership fund.

(2) A cantral society shall utilize the subsidiary State Partnership fund for the purpose of

(a) purchasing shares in primary societies;

(b) making payments to the apex society in accordance with the provisions of this Chapter, and for no other purpose.

अंशों के क्रय के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन

47. प्रमुख राज्य भागिता-निधि या सहायक राज्य भागिता-निधि के धन से, किसी सहकारी समिति में कोई अंश राज्य सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना क्रय नहीं किया जायेगा।

Approval of State Government for purchase of shares

47. No shares shall be purchased in a co-operative society from the moneys in the Principal State Partnership

Fund or the Subsidiary State Partnership Fund, except with the previous approval in writing of the State Government.

कतिपय अंशों के सम्बन्ध में दायित्व का सीमित होना

48. यदि किसी सहकारी समिति में-

(क) राज्य सरकार द्वारा; या

(ख) प्रमुख राज्य भागिता-निधि से शीर्ष समिति द्वारा;

(ग) सहायक राज्य भागिता-निधि से केन्द्रीय शीर्ष समिति द्वारा अंश क्रय किये जायें, तो सहकारी समिति के समापित हो जाने की दशा में, ऐसे अंशों के सम्बन्ध में दायित्व अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित रहेगा।

Liability to be limited in respect of certain shares

48. Where any shares are purchased in a co-operative society by-

(a) The state Government; or

(b) an apex society from the Principal State Partnership Fund; or

(c) a central society from the Subsidiary State Partnership Fund; the liability in respect of such shares shall, in the event of the co-operative society being wound up; be limited to the nominaly value of the shares.

लाभांश की धनराशि पर निर्बन्धन

49. शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य भागिता-निधि के धन से अन्य सहकारी समितियों में अंश क्रय किये हों तथा केन्द्रीय समिति जिसने सहायक राज्य भागिता-निधि के धन से प्रारम्भिक समितियों में अंश क्रय किये हों, उक्त अंश पर केवल ऐसे लाभांश की हकदार होगी जा सम्बद्ध समिति द्वारा घोषित किया जाय और जो उस समिति के अन्य अंशधारियों को देय हो।

Restrictions on amount of dividend

49. An apex society which has purchased hares in other co-operative societies from the moneys in the Principal State Partnership fund and a central society which has purchased shares in primary societies from the moneys in the subsidiary State Partnership Fund shall be entitled only to such sividend on the said shares as is declared by the society concerned and is payable to other shareholders of that society.

शीर्ष तथा केन्द्रीय समितियों की क्षतिपूति

50. (1) यदि कोई सहकारी समिति, जिसमें अंश प्रमुख राज्य भागिता निधि से क्रय किये जायें, समापित या विघटित हो जाय, तो राज्य सरकार का उस शीर्ष समिति पर जिसने अंश क्रय किये हों, ऐसे क्रय से होने वाली हानि के सम्बन्ध में कोई दावा ग्राह्य नहीं होगा, परन्तु राज्य सरकार, यथास्थिति समापन की कार्यवाही में अथवा विघटन पर शीर्ष समिति द्वारा ऐसे अंशों के सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी धन की हकदार होगी।

(2) यदि कोई सहकारी समिति, जिसमें अंश सहायक राज्य भागिता निधि से क्रय किये जायें, समापित या विघटित हो जायें तो, न राज्य सरकार का और न शीर्ष समिति का, उस केन्द्रीय समिति के विरुद्ध जिसने अंश क्रय किये हों, ऐसे क्रय से होने वाली हानि के सम्बन्ध में कोई दावा ग्राह्य होगा, किन्तु शीर्ष समिति, यथास्थिति, समापन की कार्यवाही में अथवा विघटन पर केन्द्रीय समिति द्वारा ऐसे अंशों के सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी धनराशि की हकदार होगी, और ऐसा धन प्रमुख राज्य भागिता निधि में जमा कर दिया जायगा।

Indemnity of apex and central societies

50. (1) If a co-operative society in which shares are purchased from the Principal State Partnership Fund is wound up or is dissolved, the State Government shall not have any claim against an apex society which purchased the shares in respect of any loss arising from such purchase, but the State Government shall be entitled to any moneys received in connection with such shares by the apex society in winding up proceedings or on dissolution, as the case may be.

(2) If a co-operative society in which shares are purchased from the subsidiary State Partnership Fund is wound up or is dissolved, neither the tate Government nor the apex society shall have any claim against the central society which purchased the shares in respect of any loss arising from such purchase, but the apex society shall be entitled to any moneys received in connection with such shares by the central society in winding up proceedings or on dissolution, as the case may be, and such moneys shall be credited to the

Principal State Partnership Fund.

अंश पूंजी और लाभांश आदि का निस्तारण

51. (1) किसी शीर्ष समिति द्वारा अन्य सहकारी समितियों के प्रमुख राज्य भागिता निधि से क्रय किये गये अंशों के सम्बन्ध में, ऐसे अंशों के विमोचन पर अथवा लाभांश पर या अन्य किसी रूम में प्राप्त समस्त धन उक्त निधि में जमा कर दिया जायेगा;

(2) किसी केन्द्रीय समिति द्वारा प्रारम्भिक समिति के सहायक राज्य भागिता निधि से क्रय किये गये अंशों के सम्बन्ध में, ऐसे अंशों के विमोचन पर अथवा लाभांश या अन्य किसी रूप में प्राप्त समस्त धन प्रथमतः उक्त निधि में जमा किया जायेगा और तत्पश्चात् उस शीर्ष समिति को संक्रमित कर दिया जायगा, जो उसे प्रमुख राज्य भागिता निधि में जमा कर देगी;

(3) उपधारा (1) तथा (2) में निर्दिष्ट समस्त धन और लाभांशों का भुगतान इस बात के होते हुए भी कि अंश यथास्थिति, शीर्ष समिति या केन्द्रीय समिति के नाम में है, राज्य सरकार को दिया जायेगा;

(4) उपधारा 3 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, राज्य सरकार धारा 44 के अधीन शीर्ष समिति को दिये गये धन पर किसी अन्य लाभ की हकदार न होगी।

Disposal of share capital and dividends, etc.

51. (1) All moneys received by an apex society in respect of shares of other co-operative societies purchased from the moneys in the Principal State Partnership fund on redemption of such shares, or by way of dividend or otherwise shall be credited to that fund.

(2) All moneys received by a coentral society in respect of shares of primary societies purchased from the moneys in the Subsidiary State Partnership Fund on redemption of such shares or by way of dividends or otherwise, shall in the first instance be credited to that fund and then transferred to the apex society which shall credit them to Principal State Partnership Fund.

(3) All moneys and dividends referred to in sub-section (1) and (2) shall, notwithstanding that the shares stand in the name of the State Government.

(4) Save as provided in sub section(3), the State Government shall not be entitled to any other return on the moneys provided by it to an apex society under Section 44.

शीर्ष या केन्द्रीय समिति के समापन पर प्रमुख राज्य भागिता-निधि तथा सहायक रज्य भागिता निधि का निस्तारण

52. (1) यदि काई शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य भागिता-निधि स्थापित की हो, समापित या विघटित हो जाय, तो उक्त निधि के नाम में जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा।

(2) यदि कोई केन्द्रीय समिति जिसने सहायक राज्य भागिता-निधि स्थापित की हो, समापित य विघटित हो जाय, तो उक्त निधि के नाम में जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान उस प्रमुख राज्य भागिता-निधि को किया जायेगा तथा उसके नाम में जमा किया जायेगा जिससे कि उसने धारा 45 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन धन प्राप्त किया हो।

Disposal of Principal State Partnership Fund and Subsidiary State Partnership Fund on winding up of an apex or a central society

52. (1) If an apex society which has established a Preincipal Partnership Fund is wound up or is dissolved, all moneys to the credit of, or payable to, that Fund shall be paid to the State Government.

(2) If a central society which has established a Subsidiary State Partnership Fund is wound up or is dissolved, all money to the credit of, or payable to, that Fund shall be paid and credited to the Principal State Partnership Fund from which it received moneys under clause (d) of sub-section (2) of Section 45.

प्रमुख राज्य भागिता- निधि परिसम्पत्तियों तथा सहायक राज्य भागिता-निधि के भाग न होंगे

53. प्रमुख राज्य भागिता-निधि या सहायक राज्य भागिता-निधि के नाम में जमा कोई धनराशि, यथास्थिति, शीर्ष समिति की परिसम्पत्तियों की भागी न होगी।

Principal State Partnership Fund and Subsidiary Stare Partnership Fund not to form part of the assets

53. Any amount to the credit of a Principal State Partnership Fund or a Subsidiary State Partnership Fund shall not form part of the assets of the apex society or the central society as the case may be.

धन की व्यवस्था करने के लिएनिर्बन्धन और शर्त

54. इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुए-

(क) राज्य सरकार शीर्ष समिति के साथ एक अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निबन्धनों और शर्तो का उल्लेख होगा जिन पर धारा 45 में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए शीर्ष समिति को धन देगी:

(ख) कोई भी शीर्षी समिति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय समिति के साथ एक अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निबन्धनों और शर्तो का उल्लेख होगा जिन पर वह प्रमुख राज्य भागिता निधि से धारा 46 की उपधारा 92) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उक्त समिति को धन देगी।

Terms and conditions for providing moneys

54. Subject to the foregoing provisions of this Chapter-

(a) The State Government may enter into an agreement with a apex society setting out the terms and conditions on which it shall provide moneys to the apex society for the purpose specified in Section 45;

(b) an apex society may, with the previous approval of the State Government, enter into an agreement with a central society, setting out the terms and conditions on which it shall provide moneys to that society from the Principal State Partnership Fund for the purpose specified in clause (1) of sub-section (2) of Section 46.

सहकारी समितियों को राज्य की सहायता देने की अन्य रीतियां

55. तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार–

(क) सहकारी समितियों को ऋण या अग्रिम (एडवान्स) दे सकती है।

(ख) सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के मूलधन के प्रतिदान एवं ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति (गारन्टी) दे सकती है।

(ग) किसी सहकारी समिति को दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दे सकती है, और

(घ) किसी सहकारी समिति को किसी भी अन्य रीति से, जिनमें ब्याज रहित रिवालविंग फण्ड एवं अनुदान भी सम्मिलित हैं, वित्तीय सहायता दे सकती है।

Other forms of State aid to co-operative societies

55. Subject to the rules made in this behalf, the State Government may-

(a) give loan or make advances to co-operative societies;

(b) guarantee the repayment of principal and payment of intrest on debentures issued by a co-operative society;

(c) guarantee the repayment of principal and payment of interest on loans and advances to a co-operative society; and

(d) give financial assistance in any other form including revolving fund(Interest Free Loan) & subsidies, to a co-operative societiy.

इस अध्याय के उपबन्ध अन्य विधियों को अभिभूति करेंगे।

56. तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

Provision of this Chapter to override other laws

56. The provisions of this Chapter shall have effect notwithstanding anything inconslstent therewith contained in any other law for the time being in force.

अध्याय–7

सहकारी समितियों की सम्पत्ति और निधियां

CHAPTER - VII

PROPERTIES AND FUNDS OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

निधियों का विभाजन नहीं होगा

57. इस अधिनियम में विशेष रूप से की गई अन्य व्यवस्था के अधीन रहते हुए शुद्ध लाभ के अतिरिक्त सहकारी समिति की निधियों के किसी भाग का, सदस्यों मं बोनस या लाभांश के रूप में या अन्यथा वितरण नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य को उसकी ऐसी सेवाओं के लिए जो उसने सहकारी समिति के लिए की हो उपविधियों में दिये

गये मानक के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

Fund not to be divided

57. Except as otherwise specifically provided in this Act, no part of the funds other than the net profits of a co-operative society shall be paid by way of bonus or dividend or otherwise distributed among its members :

Provided that a member may be paid remuneration on such scale as may be laid down in the bye-laws for any services rendered by him to the co-operative society.

शुद्ध लाभ का निस्तारण

58. (1) किसी सहकारी वर्ष में किसी सहकारी समिति का शुद्ध लाभ, उस वर्ष में उसके सकल लाभ से निम्नलिखित को घटाने के पश्चात् संगणित किया जयेगा।

(क) ब्याज जो अतिशोध्य है;

(ख) प्रबन्धकीय व्यय;

(ग) कर्मचारियों के निधि या उपदान निधि के लिए अंशदान;

(घ) ऋण और जमा पर ब्याज;

(ङ) लेखा परीक्षा फीस

(च) चालू व्यय जिसमें मरम्मत, किराया, कर और सम्पत्ति का हशस सम्मिलित है;

(छ) असमायोजित अशोध्य ऋणों और हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सृजित निधि के लिए अंशदान,

प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी समिति पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज, जिसे उस वर्ष में वसूल किया गया है, वर्ष के शुद्ध लाभ से जोड़ सकती है।

(1-क) सहकारी समिति उपधारा (1) में अधीन यथा संगणिक किसी वर्ष के शुद्ध लाभ को, जिसमें पूर्व वर्षो का अग्रनीत शुद्ध लाभ सम्मिलित है, निम्नलिखित रीति से वितरित करेगी-

(क) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संक्रमित की जायगी, जिसे रक्षित निधि कहा जायेगा।

(ख) विहित रीति से स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में कम से कम इतनी धनराशि जो विहित की जाय, जमा की जागयी और वह ऐसी सहकारी समितियों पर भी लागू होगा जिनमें वर्ष में हानि उपगत हो:

(ग) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से अधिक न हो जैसी विहित की जाय, एक निधि में एकत्रित की जायगी जिसे Equity Redemption Fund कहते हैं व इस सहकारी समिति द्वारा उपयोग मं जैसा विहित की जाय, लाई जायगी जिसमें सरकार की अंश पूंजी लगी है।

प्रतिबन्ध यह है कि वह कुल राशि जो सहकारी समिति ऐसी निधि में लगाये, उस राशि से अधिक नहीं होगी जितनी अंशपूंजी सरकार द्वारा उस समिति में लगाई गई हो।

(2) ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, शुद्ध लाभ का शेष निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है अर्थात्-

(क) सदस्यों को उनकी दत्त अंशपूंजी पर 20 प्रतिशत से अनधिक दर से लाभांश का भुगतान,

(ख) सदस्यों को व्यापार की, जो उन्होंने समिति के साथ किया हो, राशि या मात्रा पर, उस सीमा तक और उस रीति से, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट हों, बोनस का भुगतान;

(ग) ग्राम सुधार निधि या अन्य किसी निधि का, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट की जाय संघटन या उसमें अंशदान,

(घ) चेरीटेबुल एनडाउमेंट ऐक्ट 1890 की धारा 2-क में तथा परिभाषित किसी पूर्व प्रयोजन के लिए 5 प्रतिशत से अनधिक धनराशियों का दान

प्रतिबन्ध यह है कि कोई धनराशि ऐसे खैराती संघटन का दान में नहीं दी जायगी जिसका उद्देश्य सीधे या परोक्ष रूप से किसी राजनैतिक दल या धार्मिक संघटन को बढ़ावा देना हो।

(2) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, शुद्ध लाभ का शेष निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है अर्थात्–

(क) सदस्यों को उनकी दत्त अंशपूंजी पर 20 प्रतिशत से अनधिक दर से लाभांश का भुगतान,

(ख) सदस्यों को व्यापार की, जो उन्होंने समिति के साथ किया हो, राशि या मात्रा पर, उस सीमा तक और उस रीति से, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट हों, बोनस का भुगतान;

(ग) ग्राम सुधार निधि या अन्य किसी निधि का, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट की जाय संघटन या उसमें अंशदान,

(घ) चेरीटेबुल एनडाउमेंट ऐक्ट 1890 की धारा 2–क में यथा परिभाषित किसी पूर्व प्रयोजन के लिए 5 प्रतिशत से अनधिक धनराशियों का दान

प्रतिबन्ध यह है कि कोई धनराशि ऐसे खैराती संघटन को दान में नहीं दी जायगी जिसका उद्देश्य सीधे या परोक्ष रूप से किसी राजनैतिक दल या धार्मिक संघटन को बढ़ावा देना हो।

(3) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निबन्धक, किसी सहकारी समिति के अनुरोध पर, किसी निधि में अंशदान करने से छूट दे सकता है या ऐसी निधि में अंशदान के प्रतिशत को कम कर सकता है; जैसा कि उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित है या उपधारा (2) के उपखण्ड (क) में उल्लिखित लाभांश के प्रतिशत को बढ़ा सकता है।

Disposal of net profits

58. (1) The net profit of the Co-operative society in a co-operative year shall be computed after deducting the following from its gross profit in that year-

(a) interest that is overdue;

(b) managerial expenses;

(c) contributions to the provident fund or the gratuity fund of the employees:

(d) interest on loans and deposits:

(e) audit fee;

(f) working expenses which include repairs, rents, taxes and depreciation of property;

(g) contribution to the fund created for writing off unadjusted bad debts and losses-

Provided that a co-operative society may add to the net profit of a year, the interest which accrued in the previous year but which was recovered in the year.

(1-A) A co-operative society shall distribute the net profits of a year as computed under sub-section (1), including the net profits brought forward from the previous years, in the following manner-

(a) an amount not less than twenty five percent shall be transferred to a fund called the reserved fund:

(b) not less than such amount as may be prescribed, shall be credited to a co-operative education fund to be established in the manner prescribed, and this shall be applicable to such co-operative societies also which incur loss in the year;

(c) an amount not exceeding twenty percent as may be prascribed shall be transferred to a fund called the Equity Redemption Fund to be established and utilized in the manner prescribed by such co-operative society which has the subscription of the State Government in its share capital:

Provided that the aggregate amount transferred by a co-operative society to such fund shall not exceed the amount subscribed by the Strate Government in the share capital of that co-operative society.

(2) Subject to such conditions as may be prescribed, the balance of the net profits may be utilized for all or any of the following purposes, namely-

(a) payment of divident to mambers on their paid-up share capital at a rate not exceeding towenty percent;

(b) payment of bonus to mambers on the amount or volume of business done by them with the society, to the extent and in the manner specified in the rules or the bye-laws;

(c) constitution of, or contribution to, building fund rural improvement fund or any other fund as may be specified in the rules or the bye-laws;

(d) donation of amounts not exceeding 5 percent for any charitable purpose as defined in Section 2 of Charitable Endwoments Act. 1890 (Act VI of 1890):

Provided that no amount shall be donated to any organisation established for anycharitable purpose, which has an object, whether directly or indirectly to further the interest of any political party or a religious faith.

(3) Subject to the provisions of any rules made in this behalf, the Registrar may, on the request of a co-operative society, exempt the society from contributing towards any of the funds, or lower the percentage of contribution to such funds, as mentioned in sub-sections (1) and (2) or enhance the percentage of dividend mentioned in clause (a) of sub-cection(2).

निधियों का विनियोजन

59. नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सहकारी समिति अपनी निधियों को निम्नलिखित में विनियोजित या जमा कर सकती है–

(क) इण्डिया ट्रस्ट ऐक्ट 1882 (एक्ट संख्या 2, वर्ष 1882) की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में, या

(ख) किसी अन्य सहकारी समिति के अंश या प्रतिभूति में, या

(ग) इस प्रयोजन के लिए निबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में, या

(घ) किसी अन्य प्रकार के नियमों द्वारा अनुज्ञात अथवा राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश से हो, जो नियमों की भांति प्रभावी होगी।

Investment of funds

59. Subject to the provisions of the rules, a co-operative society may invest or deposit its funds-

(a) in any of the securities specified in Section 20 of the Indian Trust Act, 1882 (Act II of 1882); or

(b) in the shares or debentures of any other co-operative society; or

(c) with any bank approved for this purpose by the Registrar; or

(d) in any other mode permitted by the rules, or by general or special order of the State Government which will have the effect of Rules.

उधार लेने पर निर्बधन

60. सहकारी समिति निक्षेपों और ऋणों को केवल उसी सीमा तक और उन्हीं शर्तो के अधीन लेगी जो नियत की जायें या जो उपविधियों में निर्दिष्ट की जायें।

Restrictions on borrowings

60. A co-operative society shall receive deposits and loans only to such extent and under such conditions as may be prescribed or as may be specified in the bye-laws.

ऋणों का निर्बन्धन

61. (1) सहकारी समिति सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देगी,

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक की सामान्य या विशेष स्वीकृति से सहकारी समिति किसी अन्य सहकारी समिति को ऋण दे सकती है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, सहकारी समिति किसी निक्षेपक को उसके निक्षेप, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सोने और चांदी के जेवरात एवं अन्य बंधक की गयी अचल सम्पत्ति तथा अन्य प्रतिभूति पर जो नाबार्ड (नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमैन्ट)/रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत हों, की प्रतिभूति पर ऋण दे सकती है।

Restrictions on loans

61. (1) A Co-operative Society shall advance loans to its members, it will also advance loan to its employees under a scheme approved by the Registrar;

Provided that with the general or special sanction of the Registrar a co-operative society may make loans to another co-operative society.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a co-operative society may make a loan to a depositor on the security of this deposit N.S.C., K.V.P., Gold & Silver ornaments & other immovable property on Mortgage & on other modes of security as permitted by Nabard/RBI.

सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ अन्य व्यवहारों पर निर्बधन

62. धारा 60 और 61 में की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी सहकारी समिति के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ व्यवहार, जिनमें उसकी निधियों को जमा करना भी सम्मिलित है, ऐसे निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, अधीन रहेंगे जो नियत किये जायें।

Restrictions on other transactions with non-members

62. Save as provided in Sections 60 and 61 the transactions of a co-operative society, including making of deposits of its funds, with persons other than members shall be subject to such restrictions, if any, as may be prescribed.

भविष्य निधि

63. (1) जिस सहकारी समिति के पास ऐसी संख्या में या ऐसे वर्ग के कर्मचारी हों, जो नियत किये जायें, वह ऐसे कर्मचारियों के लाभ के लिए सामान्य भविष्य निधि अथवा एक अंशदायी भविष्य निधि स्थापित करेगी। अंशदायी भविष्य निधि में कर्मचारियों और समिति द्वारा किये गये अंशदान को जमा किया जायेगा जबकि सामान्य भविष्य निधि में केवल कर्मचारियों का आंदा जमा होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सहकारी समिति द्वारा स्थापित भविष्य निधि-

(क) समिति के कारोबार के लिये प्रयोग में नहीं लायी जायेगी,

(ख) समिति की परिसम्पत्तियों का भाग नहीं होंगी,

(ग) न कुर्क की जा सकेगी और न किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अधीन होगी, और

(घ) धारा 41 के अधीन सहकारी समिति को देय किसी ऋण या अदत्त माँग का भुगतान करने के लिए प्रभार या मुजरायी के अधीन न होगी।

यदि कोई सहकारी समिति राज्य सरकार की सहमति से कोई पेंशन योजना अपने कर्मचारियों के लिए लागू करती है तो भविष्य निधि में समिति के अंशदान की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) जहाँ भी कहीं इस अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू थी वह योजना से सम्बन्धित कर्मचारियों की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं होगी। यदि कोई पेंशन योजन आशय के साथ लागू की जाती है कि अंशदायी भविष्य निधि से लाभान्वित होने वाले कर्मचारी समिति के अंशदान को नहीं लेंगे तथा वापस कर देंगे यदि वे उक्त पेंशन योजना अपनाना चाहते हैं।

Provident Fund & Pension

63. (1) A co-operative socitey having such number are class of employee as may be prescribed shall establish a P.F. which may be G.P.F. with pension or C.P.F. for the benefit of employees. In case of C.P.F. all contributions made by the employees and the equal amount by the society will be credited in accordance with the provident fund act while in case of G.P.F. only employees contribution will be credited.

(2) Provident fund established by a co-operative society under sub-section(1) shall not-

(a) be used in the business of the society;

(b) form part of the assets of the society;

(c) be liable to attachment or be subject to any other process of any court or other authority; and

(d) be subject to a charge or liable to be set off towards payment of any debt or outstanding demand owing to a co-operative society under Section 41.

However if a co-operative siciety introduces a pension scheme with the approval of Govt. for its employees, societies contribution to P.F. will not be required.

(3) Where however a contributory Provident fund scheme was in operation before the commencement of this Act the same will not be altered without the consent of concemend employees of the schame if a Pension Scheme is introduced with the stipulation that C.P.F. vebefucuart enokitees wukk gave ti firegi/refund the society contribution if they want to avail of Pension Scheme.

अध्याय-8

लेखा परीक्षा, जांच, निरीक्षण और निर्धारण

CHAPTER - VIII

AUDIT, INQUIRY, INSPECTION AND SURCHARGE

लेखा परीक्षा

64. (1) निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति प्रत्येक सहकारी समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार करेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा करायेगा जिसे उसने तदर्थ लिखित समान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो जो चार्टड एकाउन्टेन्ट सहि ऐसी अर्हताएं रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट की जायें।

(2) उपधारा (1) के अधीन लेखा परीक्षा में वीतकाल ऋणों का, यदि कोई हो, परीक्षण, राकड़ बाकी और प्रतिभूतियों का सत्यापन और समिति की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा।

(3) निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति अथवा यथास्थिति, उसके या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सभी समयों पर, समिति की या समिति की अभिरक्षा में रखी गयी, सभी बहियों, लेखा, लेख्यों, पत्रादि प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्ति को देख सकेगा और वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके अधिकार में ऐसी कोई बहियां, लेखे, लेख्य, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य सम्पत्तियां हो या जो इसके लिये उत्तरदायी हों, समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में प्रस्तुत करने के निमित्त आहूत कर सकता है।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का अधिकारी या कर्मचारी हो या किसी समय रहा हो और समिति का प्रत्येक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य समिति के व्यवहारों और कार्य संचालन के सम्बन्ध में ऐसी सूचना देगा, जिसकी निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति तथा यथास्थिति, उसके या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षा करे।

(5) इस धारा के अंतर्गत समिति के लेखा परीक्षा हेतु प्रत्येक समिति निबंधक अथवा अंकेक्षण को जैसी भी स्थिति हो, अंकेक्षण शुल्क देने के लिए उत्तरदायी होगी:

(I) ऐसी अवधि के लिये जो इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से खंड दो के अंतर्गत सामान्य या विशेष आदेश की तिथि से तत्काल पहले की तिथि तक की होगी, वर्तमान दरों पर,

(II) अन्य किसी अवधि के लिये ऐसी दरों या परिणाम के अनुसार हो राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करें।

(6) राज्य सरकार यदि ऐसा करना जनहित में समझे, तो कारणों का विशेष उल्लेख करते हुये किसी समिति या किसी वर्ग की समितियों को पूर्ण तौर से या आंशिक तौर पर सरकारी गजट में अधिसूचना जारी कर अंकेक्षण शुल्क के भुगतान से छूट दे सकती है।

(7) किसी समिति द्वारा देय अंकेक्षण शुल्क की धनराशि चाहे वह इस अधिनियम लागू होने के पूर्व या पश्चात की किसी अवधि की हो, राज्य सरकार को देय धनराशि मानी जायेगी।

(8) धारा 64 के अंतर्गत हुये अंकेक्षण के परिणाम स्वरूप समिति की कारगुजारी में यदि कोई दोष प्रकाश में आते हैं, समिति अंकेक्षण रिपोर्ट की तिथि के तीन माह के भीतर निबंधक को अंकेक्षण द्वारा इंगित किये गये दोष या अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण भेजेगी तथा दोषों एवं अनियमितताओं को दूर करने/समाधान हेतु कदम उठायेगी और निबन्धक को उस पर कृत कार्यवाही से अवगत करायेगी।

Audit

64. (1) The Registrar, or any other person appointed by the State Government, shall audit or cause to be audited by a person authorized by him by general or special order in writing and possessing such qualifications including that of chartered accountant as may be psecified by the State Government in this behalf, accounts of every co-operative society, at least once in each co-operative year. Central and Apex societies will be audites by a C.A. other Co-operative societies with are viable and can afford the cost of C.A. caon also be audied by C.A.

(2) The audit under sub-section (1) shall include an examination of overdue debts, ifany, the verification of the cash balance and securities, and a valuation of the assets and liablities of the society.

(3) The Registrar, or any other person appointed by the State Government under sub-section (1) or any other person authorized by him or the Registrar, as the case may be, shall, at all times, have access to all the books, accounts, documents, papers, securities, cash and other properties belonging to or in the custody of, the society and may summon any person in possession of, or responsible for the custody of, any such books, accounts, documents, papers, securities, cash or other properties, to produce the same at the headquarters of the society or branch thereof.

(4) Every person who is or has at any time been an officer or employee of a society and every member and past member of the society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the Registrar or any other person appointed by the State Government under sub-section (1) or any person authorized by him or the Registrar, as the case may be, may require.

(5) For auditing the accounts of a society under this section, every society shall be liable to pay to the Registrar or as the case may be to the auditor, audit fee-

(i) in relation to any period beginning from the date of the commencement of this act and ending on the day immediately before the date of general or as the case may be special order made under clause (2) at th existing rates.

(ii) in relation to any other period at such rates or scale as the State Government may from time to time by general or special order determine.

(6) The State Government may if it considers necessary to do so in public interest exempt by notification in official Gazette and for reasons to be specified therein any society or class of sociaties wholly or partially from payment of Audit fees.

(7) the amount of audit fees payable by any society for any period, whether before or after the commencement of this act shall be deemed to be a sum due to the Government.

(8) if the result of the Audit held under section 64 discloses any defects in the working of the society, the society shall within three months from the date of the audit report explain to the Registrar that defects or the irregularities pointed out by the auditor and take steps to rectify the defects and remedy irregularities and report to the Registrar the action taken by if thereon.

निबन्धक द्वारा जांच

65. (1) निबन्धक स्वत: या उसके लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किसी सहकारी समिति के संघटन, कार्य संचालन और वित्तीय दशा की जांच कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रकार की जांच निबन्धक द्वारा अथवा उसके द्वारा तदर्थ लिखित रूप से उक्त व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के प्रार्थना-पत्र पर की जायेगी-

(क) सहकारी समिति जिससे सम्बन्धित समिति सम्बद्ध हो :

(ख) समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य;

(ग) समिति की प्रबन्ध कमेटी के अधिकांश सदस्य ।

(3) निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन जांच के लिये निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात-

(क) वह सभी समयों पर समिति की, या समिति की अभिरक्षा में रखीं गयी सभी बहियों, लेखों, लेख्यों, पत्रादि, नकदी और अन्य सम्पत्ति को देख सकेगा और ऐसे व्यक्ति को जिसके अधिकार में ऐसी कोई बहियां, लेखे, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य सम्पत्ति हों या जो उनके लिए उत्तरदायी हों, उन्हें प्रस्तुत करने के लिये समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर आहत कर सकता है;

(ख) वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके सम्बन्ध मे उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे समिति के किसी मामले का ज्ञान है, समिति के मुख्यालयों में या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर उपस्थित होने लिए आहूत कर सकता है और शपथ पर उसका बयान ले सकता है :

(ग) वह ऐसे किसी नियम या उपविधि के होते हुये भी जिसमें समिति की सामान्य बैठक के लिये नोटिस की अवधि निर्दिष्ट की गई हो, समिति के अधिकारियों से, समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में ऐसे समय और स्थान पर और ऐसे विषयों का निर्णय करने के लिये, जिनका वह निदेश दे, सामान्य बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि समिति के अधिकारी ऐसी बैठक बुलाने से इन्कार करें या न बुलायें, तो उसे स्वयं ऐसी बैठक बुलाने का अधिकार होगा : और

(घ) वह उक्त रीति से और खण्ड (ग) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकता है या स्वयं उसे बुला सकता है।

(4) खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन बुलायी गई किसी बैठक को, समिति की उपविधियों के अधीन यथास्थिति, सामान्य

बैठक या प्रबन्ध कमेटी की बैठक के अधिकार होंगे और उसकी कार्यवाही उपविधियों द्वारा विनियमित होगी।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई जांच की गई तो निबन्धक जाँच कर परिणाम समिति को संसूचित करेगा और ऐसी दशा में जब उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने पर जांच हुयी तो प्रार्थना-पत्र देने वाली समिति को भी जांच का परिणाम संसूचित करेगा।

Inquiry by Registrar

65. (1) The Registrar may, of his own accord, himself, or by a person authorized by him by order in writing hold an inquiry into the constitution, working and financial condition of a co-operative society.

(2) An inquiry of the nature referred to in sub-section (1) shall be held by the Registrar or by a person authorized by him in writing in this behalf on the application of-

(a) a co-operative society to which the society concerned is affiliated;

(b) not less than one-third of the total members of the society;

(c) a majority or the members of the committee of management of the society.

(3) The Registrar, or the person authorized by him under sub-section(1) shall, for the purposes of any inquiry under this section, have the following powers, namely-

(a) he shall, at all times, have access to the books, accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to or in the custody of sible for the custody of any such books, accounts, documents, securities cash or other properties, to produce the same at any place at the head quarters of the society or any branch thereof;

(b) he may summon any person who, he has reason to believe, has knowledge of any affairs of the society to appear before him at any place at the headquarters of the society or any branch thereof and may examine such person on oath;

(c) he may notwithstanding any rule or bye-law specifying the period of notice for a general meeting of the society require the offices of the society to call a general meeting at such time and place at the headquarters of the society or any branch thereof and to determine such matters as may be directed by him and where the officers of the society refuse or fail to call such a meeting, he shall have power to call it himself; and

(d) he may in th manner and for the purpose mentioned in clause (c) require to be called or himself call, a meeting of the committee of management.

(4) Any meeting called under clause (c) or clause (d) of sub-section (3) shall have the powers of the general meeting or meeting of the committee of mamagement as the case may be under the bye-laws of the society and its proceedings shall be regulated by such bye-laws.

(5) When an inquiry is made under this section the Registrar shall communicate the result of the inquiry to the society and in the case of inquiry on an application under clause (a) of sub-section (2), also to the applicant co-operative society.

सहकारी समिति की बहियों और सम्पत्ति का निरीक्षण

66. (1) निबन्धक स्वत: या किसी सहकारी समिति के ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर, समिति की बहियों, नकदी, तथा अन्य सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकता है या ऐसे व्यक्ति को उनके निरीक्षण करने का निदेश दे सकता है जिसे उसने लिखित आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया हो,

प्रबन्ध यह है कि ऐसा कोई निरीक्षण किसी ऋण-दाता के प्रार्थना-पत्र पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रार्थी निबन्धक को यह समाधान न कर दे कि ऋण उसे तत्समय प्रतिदेय है, और यह कि उसने भुगतान की मांग की है और उचित समय के भीतर यह अदा नहीं की गई है।

(2) निबन्धक किसी ऐसे निरीक्षण या परिणाम निम्नलिखित को संसूचित करेगा-

(क) जब वह स्वत: निरीक्षण करे तो समिति को, और

(ख) जब किसी ऋण-दाता के प्रार्थना-पत्र पर निरीक्षण करे, तो ऋण-दाता और समिति को।

Inspection of books and property of a co-operative society

66. (1) The Registrar may of his own motion, or on the application of a creditor of a co-operative society, inspect or direct any person authorized by him by order in writing in this behalf, to inspect books, cash and other property of the society :

Provided that no such inspection shall be made on the application of a creditor unless the applicant satisfied the Registrar that a debt is still due to him and that he has demanded payment thereof and has not reveived satisfaction within a reasonable time.

(2) The Registrar, shall communicate the results of any such inspection-

(a) where the inspection is made of his own motion, to the society; and

(b) where the inspection is made on the application of a creditor, to the creditor and the society.

जांच का व्यय

67. यदि धरा के अधीन जांच की जाय, और ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर धारा 66 के अधीन निरीक्षण किया जाय तो निबन्धक व्यय की अथवा व्यय के उतने भाग का, जो वह उचित समझें सहकारी समिति, जिससे सम्बन्धित समिति सम्बद्ध हो, समिति, सदस्य अथवा ऋणदाता जो जांच अथवा निरीक्षण की मांग करे और समिति के अधिकारियों अथवा भूतपूर्व अधिकारियों के बीच विभाजन कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि-

(क) ऐसे विभाजन के लिये कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि समिति अथवा उस व्यक्ति को, जिसे उस आदेश का देनदान ठहराया जा रहा हो, सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो;

(ख) निबन्धक उन कारणों को लिखित रूप में व्यक्त करेगा जिनके आधार पर व्यय का विभाजन किया जायेगा।

Costs of Inquiry

67. Where an inquiry is held under section 65, or an inspection is made under Section 66 on the application of a creditor, the Registrar amy apportion the cost, or such part of the costs as he may deem fit, between the co-operative society to which the society concerned is affiliated, the society, the members or creditor demanding an inquiry or inspection and the officer or former officer of the socierty;

Provided that-

(a) no order for such apportionment shall be made untess the society or person sought to be made liable to pay the costs thereunder has been afforded a reasonable opportunity of being heard;

(b) the Registrar shall state state in writing the grounds on which the costs are apportioned.

अधिभार

68. (1) यदि किसी सहकारी समिति की लेखा-परीक्षा, जाँच, निरीक्षण अथवा समापन करते समय यह पता चले कि किसी व्यक्ति ने, जिसे इन समितियों के संघटन का प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया है अथवा सौंपा गया था अथवा जो समिति के किसी समय अधिकारी या कर्मचारी रहे हों कोई भुगतान इस अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल किया है या कराया है या विश्वासघात करके अथवा जानबूझ कर उपेक्षा करके समिति की परिसम्पत्तियों को हानि पहुंचायी है या उक्त समिति के किसी धन का अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है या उसे कपटपूर्वक रोक रखा है तो निबन्धक स्वत:, अथ्वा कमेटी, परिसमापक या किसी ऋण दाता के प्रार्थना करने पर, उक्त व्यक्ति के आचरण की स्वयं जांच किसी ऋण दाता के प्रार्थना करने पर, उक्त व्यक्ति के आचरण की स्वयं जांच कर सकता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने लिखित आदेश द्वारा तदर्थ रूप से अधिकृत किया हो, उसकी जांच करने का आदेश दे सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अभिदिष्ट किसी भी कार्य अथवा कार्य-लोभ के दिनांक से बारह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् ऐसी कोई जांच आरम्भ न की जायेगी।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन जांच की जाये तो निबन्धक सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् अधिभार का आदेश दे सकता है जिसमें वह उससे सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने अथवा उक्त धन अथवा उसके किसी भाग का या प्रतिदान उस दर से ब्याज सहित करने अथवा उस मात्रा तक अंशदान और व्यय या प्रतिकर का भुगतान करने, जिसे निबन्धक न्यायपूर्ण और सामयिक समझे, की अपेक्षा कर सकता है ;

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध विश्वासघात करके अथवा जानबूझ कर उपेक्षा करके समिति की परिस्मपत्तियों को हानि पहुंचाने या उक्त समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग या उसे कपटपूर्ण ढंग से रोके रखने के लिए अधिभार का आदेश दिया गया हो तो, ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुये अधिभार के आदेश के दिनांक से पांच वर्ष के लिये किसी सहकारी समिति में किसी पद पर

बने रहने या निर्वाचित अथवा नियुक्त किये जाने के लिये अनर्ह होगा।

Surcharge

68. (1) If in the sourse of an sudit, inquiry, inspection or the winding up of a co-operative society it is found that any person, who is or was entrusted with the organisation or management of such society or who is or has at any time been an officer or an employee of the society, has made or caused to be made any payment contrary to this Act. the rules or the bye-laws or has caused any deficiency in the assets of the society by breach of turst or willful negigence or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to such society, the Registrar may of his own motion or on the application of the committee, liquidator or any creditor, inquire himself or direct any person authorized by him by an order in writing in this behalf to inquire into the conduct of such person:

Provided that no such inquiry shall be commenced after the expiry of twelve years from the date of any act or omission referred to in this sub-section.

(2) Where an inquiry is made under sub-section (1) the Registrar may, after affording the person concerned a reasonable opportunity of being heard, make an order of surcharge requiring him to restore the property or repay the money or any part thereof with interest at such rate, or to pay contribution and costs or compensation to such an extent as the Registrar may consider just and equitable.

(3) Where an order of surcharge has been passed against a person under sub-section(2) for having caused any deficiency in the assets of the society by branch of trust or willful negligence, or for having misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to such society, such person shall, subject to the result of appeal, if any filed against such order, be disqualified from continuing in or being elected or appointed to an office in any co-operative society for a priod of five years from the date of the order of surcharge.

त्रुटि सुधार के आदेश का निबन्धक का अधिकार

69. यदि धारा 64 के अधीन की गयी लेखा परीक्षा अथवा धारा 65 के अधीन की गई जांच अथवा धारा 66 के अधीन किये गये निरीक्षण के परिणामस्वरूप निबन्धक की यह राय हो कि समिति सुव्यवस्थित रूप में कार्य कर रही है अथवा उसका प्रबन्ध त्रुटिपूर्ण है तथा अंकेक्षण में इंगित त्रुटियों का समाधान धारा 64 (8) में अनुबंधित समय में नही हुआ है, तो वह, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह समिति अथवा उसके अधिकारियों के आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिये कोई ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे जो उस अधिनियम, नियमों और उपविधियों से असंगत न हो और जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय।

Registrar's power to order remedying of defects

69. If an a result of audit held under Section 64 an inquiry under section 65 or an inspection under Section 66 the Registrar is of opinion that the society is not working on sound lines, or its management is defective & defects pointed out by Audit have not been remedied with in the stipulated period as laid down in Section 64(8) he may, without prejudice to any other action under this Act, make an order directing the society or its officers to take such action not inconsistent with this Act, the rules and the bye-laws as may be specified in the order to remedy the defects within the time specified therein.

अध्याय-9

विवादों का निपटारा

CHAPTER - IX

SETTLEMENT OF DISPUTES

विवाद जो मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजे जा सकते हैं

70. (1) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में, समिति के वेतनभोगी कर्मचारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न कोई विवाद,

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच; अथवा,

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति और समिति, उसकी प्रबन्ध कमेटी, जिसे आगे इस अध्याय में कमेटी अभिर्दिष्ट किया गया है अथवा समिति के अधिकारी, अभिकर्ता या

कर्मचारी जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी हैं, के बीच; अथवा

(ग) समिति अथवा उसकी कमेटी और समिति किसी भूतपूर्व कमेटी, या किसी अधिकारी, अभिकर्ता कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कर्मचारी अथवा समिति के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, या उसके दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच: अथवा

(घ) किसी सहकारी समिति और किसी अन्य सहकारी समिति अथवा समिति के बीच उत्पन्न हो :

तो वह इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिए निबन्धक को अभिर्दिष्ट किया जायेगा और किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय को कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी निर्वाचन से सम्बन्धित कोई विवाद निबन्धक को तब तक निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित न कर दिया जाये।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में विवादों में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जायेंगे; अर्थात–

(क) देय धनराशि के लिये दावे, जब भुगतान की मांग की जाय और वह या तो अस्वीकृत कर दी जाय अथवा उसका अनुपालन न किया जाय चाहे ऐसे दावे विरोधी पक्ष द्वारा स्वीकार किये गये हों अथवा न किये गये हों;

(ख) प्रतिभू द्वारा ऋणों के विरूद्ध दावा, जब समिति ने ऐसे ऋण या मांग के सम्बन्ध में हो जो उसे मुख्य ऋणों द्वारा देय हो, कोई धनराशि मुख ऋणी की चूक के फलस्वरूप प्रतिभू से वसूल कर ली हो, चाहे ऐसा ऋण या माँग स्वीकार की गयी हो अथवा नहीं;

(ग) समिति द्वारा किसी ऐसी हानि के लिये दावा जो उसे किसी सदस्य, अधिकारी, सभिकर्ता अथवा कर्मचारी भी हैं, चाहे वह हानि व्यक्तिगत रूप से पहुंचाई गयी हो या सामूहिक रूप से और चाहे ऐसी हानि स्वीकार की गयी हो या नहीं; तथा

(घ) उपविधियों में उल्लिखित समिति के उद्देश्यों से सम्बद्ध सभी विषय और पदाधिकारी (Office bearers) के निर्वाचन से सम्बद्ध विषय भी।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि इस धारा के अधीन निबन्धक को अभिदिष्ट कोई विवाद, सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में विवाद है या नहीं तो उस पर निबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

Disputes which may be referred to arbitration

70. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, if any dispute relating to the constitution, management or the business of a co-operative society other than a dispute regarding disciplinary action taken against a paid servant of a society arises -

(a) among members, past mamber orany person claiming through a member, past members and deceased members; or

(b) between a member, past member or any person claiming through a member, past member or deceased member, and the society its committee of management or any officer, agent or employee of the society, including any past officer, agent or amployee of the society, including any past officer, agent or employee; or

(c) between the society or its committee and any past committee, any officer, agent or employee or any past officer, past agent or past employee or the nominee, heir or legal representative ofany deceased office, deceased agent or deceased employee of the society; or

(d) between a co-operative society and any other co-operative society or societies :

such dispute shall be referred to the Registrar for action in accordance with the provisions of this Act and the rules and no court shall have jurisdiction to entertain any suit or other proceeding in respect of any such dispute:

Provided that a dispute relating to an election under the provisions of this Act or rules made thereunder shall

not be referred to the Registrar until after the declaration of the result of such election.

(2) For the purpose of sub-section (1) the following shall be deemed to be included in dispute relating to the constitution, management or the business of a co-operative society, namely--

(a) claims for amounts due when a demand for payment is made andis either refused or not complied with whether such claims are admitted or not by the opposite party;

(b) a claim by a surety against the principal debtor where the society has recovered from the principal debtor as a result of the default of the principal debtor or whether such debt or demand is admitted or not;

(c) a claim by a society for any loss caused to it by a member, officer, agent, or employee including past or deceased member, officer, agent, or amployee including past or deceased member, officer, agent, or employee, whether individually or collectively and whether such loss be admitted or not; and

(d) all matters relating to the objects of the society mentioned in the bye-laws as also those relating to the election of office-bearers.

(3) If any question arises whether a dispute referred to the Registrar under this section is a dispute relating to the constitution, management or the business of a co-operative society, the decision thereon of the Registrar shall be final and shall not be called in question in any court,

मध्यस्थ को विवाद का अभिदेश

71. (1) धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर निबन्धक नियमों, यदि कोइ हों, के उपबन्धों के अधीन रहते हुए–

(क) विवाद का स्वयं निर्णय कर सकता है; अथवा

(ख) उसे निर्णय के लिए अपने द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को अभिदिष्ट कर सकता है; अथवा

(ग) यदि पक्ष लिखित रूप में अनुरोध करें तो उसे निर्णय के लिए ऐसे मध्यस्थ मण्डल को अभिदेश कर सकता है जिसमें तीन सदस्य होंगे जो नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे:

(2) निबन्धक, उपधारा (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन किये गये अभिदेश को उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, वापस ले सकता है और उसे दूसरे मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल को अभिदिष्ट कर सकता है अथवा उस पर स्वयं निर्णय दे सकता है।

(3) निबन्धक, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल जिसे इस धारा के अधीन कोई विवाद निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया गया हो, विवाद के निर्णय होने तक न्यायहित में ऐसे विवादकालीन आदिश (Interiocutory order) जिसके अन्तर्गत सम्पत्ति की कुर्की भी है, दे सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

(4) इस धरा के अधीन निबन्धक, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल द्वारा दिया गया निर्णय आगे अभिनिर्णय कहा जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन किसी विवाद का निर्णय करने और अभिनिर्णय देने में निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जाय।

(6) निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल इस धारा के अधीन विवाद के निस्तारण में गवाहों तथा इच्छुक पक्षकारों या उनमें से किसी को बुलाने, हाजिरी सुनिश्चित करने एवं शपथ, अभिपुष्टि या हलफनामे पर साक्ष्य देने एवं दस्तावेजों को पेश करने हेतु उन्हीं माध्यमों एवं यथा सम्भव उसी प्रकार बाध्य किया जा सकता है जैसा दीवानी न्यायालय के मामले में सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 में प्राविधानित है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे अधिकारी को मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायगा जो प्रकरण से किसी प्रकार से सम्बद्ध रहा हो।

Reference of dispute to arbitration

71. (1) On receipt of a reference under sub-section (1) of Section 70, the Registrar may, subject to the provisions of the rules, if any-

(a) decide the dispute himself; or

(b) refer it for decision to an arbitrator appointed by him; or

(c) refer it, if the parties so request in writing, for decision to a board of arbitrators consisting of the persons to be appointed in the prescribed manner.

(2) The Registrar may, for reasons to be recorded, withdraw any reference made under clause (b) or (c) sub-section (1) and refer it to another arbitrator or board of arbitrators or decide it himself.

(3) The Registrar, the arbitrator or the board of arbitrators, to whom a dispute is referred for decision under htis section may, pending the decision of the dispute make such interlocutory order including attachment of property as he or they may dem necessary in the interest of justice.

(4) The decision given by the Registrar, the arbitrator or the board of arbitrators under this section shall hereinafter be termed as award.

(5) The procedure to be followed by the Registrar, the arbitrator or the board of arbitrators in deciding a dispute and making an award under this section shall be as may be prescribed.

(6) The Registrar, arbitrator, or the Board of Arbitrators shall have power to summon & enforce attendance of witnesses including the parties interested or any of them & to compel them to give evidence on oath, affirmation or affidavit & to compel the production of documents by the same means & as far as possible in the samc manner as is provided in the case of a civil court by the code of civil procedure 1908.

Provided that the officer who has been directly involved in the matter, shall not be appointed as arbitrator or a member of the board of arbitrators.

ऋणात्मक समिति का ऋण समिति और उसके सदस्यों के विरुद्ध अधिकार

71.क (1) यदि कोई सहकारी समिति (जिसे आगे इस धारा में ऋणी समिति कहा गया है) अपने ऋण का भुगतान किसी अन्य सहकारी समिति को (जिसे आगे इस धारा में ऋणदाता समिति कहा गया है) इस कारण करने में असमर्थ है कि उसके सदस्यों ने धन का भुगतान करने में चूक की है और ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी ने सदस्यों से प्राप्य धन की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही करने में लोप या उपेक्षा बरती है तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऋणदाता समिति लिखित नोटिस द्वारा उक्त कमेटी को चूक करने वाले सदस्यों के विरूद्ध (धारा 70, धारा 91, धारा 92 या धारा 95-क) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने का निदेश दे सकती है।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का अनुपालन उस नोटिस की तामील के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी नहीं कर सकती है, तो चूक करने वाले ऐसे सदस्यों के विरूद्ध ऋणदाता समिति स्वयं (यथास्थित धारा 70, धारा 91, धारा 92 या धारा 95-क) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है मानों वह ऋणदाता समिति के सदस्य हों और उस दशा में अधिनियम और इसके अधीन बने नियम और ऋणी समिति की उपविधियों के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त उपबन्धों में ऋणी समिति और उसकी प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश ऋणदाता समिति और उसके प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश हो।

(3) जहां ऋणदाता समिति ने ऋण समिति द्वारा देय किसी धन के सम्बन्ध में ऋणी समिति के विरूद्ध धारा 92 से निर्दिष्ट अभिनिर्णय या आदेश प्राप्त कर लिया है, वहां ऋणदाता समिति इस अधिनियम के और इसक अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार या तो ऋणी समिति की परिसम्पत्तियों से या उसके सदस्यों से ऋणी समिति को उनके प्राप्य ऋण की मांग तक, या दोनों से ऐसे धन की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकती है।

Powers of creditor society against debtor society and its members

71.A (1) If a co-operative society is unable to pay its debts (hereinafter in this section referred to as the debtor-society) by reason of its members defaulting in the payment of the moneys due to another co-operative society (hereinafter in this section referred to as the creditor-society), and the Committee of Management of the debtor-society omits or neglects to take necessary steps for recovery of money due from its members, the creditor-society may, notwithstanding anything in this Act, direct the said committee by a notice in writing to proceed against the defaulting members in accordance with the provisions of Section 70, Secion 91, Section 92 or Section 95-A, as the case may be.

(2) If teh Committee of Management of the debtor society fails to comply with the notice referred to in sub-section (1) within a period of thirty days from the date of service of such notice, the creditors-society may itself proceed against such defaulting members in accordance with the provisions of Section 70, Section 91, Section 92 or Section 95-A, as the case may be, as if they were members of the creditor-society, and in that event, the provisions of this Act and the rules made thereunder and the bye laws of the debtor society shall so apply as if all reference to the debtor-society and its Committee of Management and officers in the said provisions were reference to the creditor-society and its Committee of Management and officers.

(3) Where th creditor-society has in respect of any money due from the debtor-society, obtained an award or order referred to in Section 92 against the debtor-society the creditor-society may proceed to recover such money in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder, either from the assets of the debtor-society or from the members thereof to the extent of the debts due from them to the debtor-society or from both.

इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1965 से छूट

71. ख इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1963 (ऐक्ट, संख्या 34, वर्ष 1963) में किसी उपबन्ध के होते हुए भी, सहकारी समिति के किसी सदस्य द्वारा समिति को देय सिकी धनराशि को जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज भी है, वसूली के लिए वादों को संस्थित करने के निमित्त अवधि की गणना उस दिनांक से की जायेगी जिस दिनांक को समिति के सदस्य की मृत्यु हो जाय या वह सदस्य न रह जाय।

Exemption from Indian Limitation Act. 1963

71-B. Notwithstanding any provision in the Indian Limitation Act, 1963 (Act XXXIV of 1963). the period of limitation for the institution of a suit to recover any sum, including interest thereon due to a co-operative society by a member thereof, shall be computed from the date on which such member dies or ceases to be a member of the society.

अध्याय–10

सहकारी समितियों का समापन और विघटन

CHAPTER - X

WINDING UP AND DISSOLUTION OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

सहकारी समितियों का समापन

72. (1) यदि धारा 65 के अधीन जांच हो जाने अथवा धारा 66 के अधीन निरीक्षण कर लिए जाने के पश्चात् अथवा सहकारी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र के प्राप्त होने पर, निबन्धक की यह राय हो कि समिति का समापन हो जाना चाहिये, तो वह उसके समापित कर दिये जाने के आदेश दे सकता है।

(2) निबन्धक स्वतः तथा ऐसा नोटिस देने के पश्चात् जो नियत किया जाय, निम्नलिखित दशाओं में सहकारी समिति को समापित कर देने का आदेश दे सकता है :

(क) यदि सहकारी समिति का निबन्धन कपट या भूल से प्राप्त किया गया हो; अथवा

(ख) यदि साधारण सदस्यों की संख्या उस न्यूनतम संख्या से भी कम हो गयी हो, जो धारा 6 द्वारा ऐसी समिति के निबन्धन के लिए व्यवस्थित है; अथवा

(ग) यदि सहकारी समिति ने समुचित समय के भीतर कार्य करना आरम्भ न किया हो अथवा कार्य करना बन्द कर दिया हो; अथवा

(घ) यदि सहकारी समिति अपना उद्देश्य पूरा न कर रही हो या धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) की अपेक्षाओं की पूर्ति न कर रही हो।

Winding up of Co-operative societies

72. (1) If the Registrar, after an inquiry has been held under Section 65, or an inspection has been made under Section 66, or on receipt of an application made by not less than three fourth of the members of a co-operative society is of the opinion that the society ought to be wound up, he may pass an order directing it to be wound up.

(2) The Registrar may of his own motion and after giving such notice as may be prescribed pass an order directing the winding up of a co-operative society--

(a) Where the registration of the co-operative society was obtained by fraud or mistake : or

(b) where the number of ordinary members has been reduced to less than such minimum as provided in Section 6 for the registration of such society; or

(c) where the co-oerative society has not commenced working within a reasonable time or has ceased to function; or

(d) where the co-operative society is not longer fulfilling its objects or complying with the requirements of clause (d) of sub-section (1) of Section 7.

परिसमापक

73. (1) यदि निबन्धक ने धारा 72 के अधीन सहकारी समिति के समापन का आदेश दिया हो, तो वह इस प्रयोजन के लिए सहकारिता विभाग के किसी सहकारी सेवक को परिसमापक नियुक्त कर सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो उसका पारिश्रमिक निश्चित कर सकता है।

(2) नियुक्त होने पर परिसमापक ऐसी सभी सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावों ( ) को जिनकी समिति हकदार हो या प्रतीत हो, अपने अभिरक्षा में अथवा अपने नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, सामान और दावा की हानि या ह्रास और क्षति रोकने के लिए ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे। परिसमापक ऐसी सभी सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावों का पूरा लेखा रखेगा और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा:

(3) यदि धारा 72 के अधीन सहकारी समिति का परिसमापन करने के आदेश के विरूद्ध धारा 98 के अधीन अपील की गई हो तो परिसमापन सम्बन्धी आगे की कार्यवाही तब तक के लिए रोक देगा जब तक कि उक्त आदेश की अपील में पुष्टि न हो जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि परिसमापक उपधारा (2) में उल्लिखित सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावा को अपनी अभिरक्षा अथवा नियन्त्रण में रखे रहेगा और उसका उक्त उपधारा में अभिर्दिष्ट कार्यवाही करने का प्राधिकार बना रहेगा।

(4) यदि सहकारी समिति के समापन का आदेश अपील में रद्द कर दिया जाय तो समिति, समिति की सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावे समिति में पुनर्निहित हो जायेंगे।

Liquidator

73. (1) Where the Registrar has made an order under Section 72 for the winding up of a co-operative society, he may appoint a Govt. Servant of Co-operative department to be a liquldtor for the purpose and, if necessary fix his remuneration.

(2) A liquidator shall, on appointment, take into his custody or under his control all the property, effects and actionable claims to which the society is or appears to be entitled and shall take such steps as he may deem necessary or expedlent, to prevent loss or deterioration of or damage to, such proverty, effects and claims, the liquldator shall keep full accounts of all such property, effects and actionable claims and be responsible for their safe custody.

(3) Where an appeal is preferred under Section 98 against an order of winding up of a co-operative society passed under section 72, the further winding up proceedings shall be stayed by the liquidator until the order is confirmed in appeal;

Provided that the liquldator shall continue to have custody or control or the property; effects and actionable claima mantioned in sub-section (2) and have authority to take the steps referred to in that sub-section.

(4) Where an order winding up a co-operative society is set aside in appeal, the property, effects and actionable claims of the society shall revest in the society.

परिसमापक के अधिकार

74. (1) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी सहकारी समिति की, जिनके सम्बन्ध में समापन का आदेश दिया गया हो, सम्पूर्ण परिसम्पत्तियां धारा 73 के अधीन नियुक्त परिसमापक में उस दिनांक से निहित हो जायेगी जिस दिनांक को उक्त आदेश प्रभावी हो और परिसमापक को ऐसी परिसम्पत्तियों को बेचकर या अन्य प्रकार से, वसूल करने का अधिकार होगा।

(2) ऐसे परिसमापक को निबन्धक के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये यह भी अधिकार होगा कि वह :

(क) अपने पद के नाम से सहकारी समिति की ओर से वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करे और उनका प्रतिवाद करे;

(ख) सम्बद्ध व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दावे का उत्तर देने का अवसर देने के पश्चात् समय-समय पर अंशदान की, जिनके अन्तर्गत ऋण तथा अन्य देय भी हैं, अवधारित करे जो सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों द्वारा अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों या उनके दायादों अथवा विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अथवा

अधिकारियों अथवा भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा समिति की परिसम्पत्तियों में दिया जाना हो अथवा दिया जाना शेष हो;

(ग) उस समय जो निश्चित करे, जो किसी भी दशा में तीस दिन से कम न होगा, जिसके भीतर ऋणदाता अपने ऋणों और दावों को प्रमाणित करेंगे अथवा इन ऋणों या दावों के प्रमाणित होने के पूर्व किये गये किसी वितरण के लाभ में सम्मिलित किये जायेंगे और ऐसे समय का नोटिस नियत रीति से दें;

(घ) सहकारी समिति के विरूद्ध सभी दावों की जांच करे और दावेदारों के बीच उठने वाले पूर्वता के प्रश्नों का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निर्णय करे;

(ङ) सहकारी समिति के विरूद्ध दावों का भुगतान, उनकी पारस्परिक पूर्वता यदि कोई हो, के क्रमानुसार समापन के दिनांक तक के ब्याज सहित पूरा-पूरा अथवा अनुमानतः जैसा कि समिति की परिसम्पत्तियों के अनुसार सम्भव हो, करें और यदि दावों के भुगतान के पश्चात् कोई अतिरिक्त धनराशि बचे तो उसे उक्त आदेश के दिनांक से तथा उसके (परिसमापक के) द्वारा नियत दर से, जो किसी दशा में संविदा की दर से अधिक न होगी, ब्याज के भुगतान में लगाया जायेगा;

(च) यह अवधारित करे कि किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में परिसमापन के व्यय वहन किये जायेंगे;

(छ) समिति की परिसम्पत्तियों के संग्रह और वितरण के सम्बन्ध में ऐसे निदेश दें जो उसे समिति के कार्यो के समापन के लिए आवश्यक प्रतीत हों;

(ज) अध्याय 9 के अन्तर्गत आने वाले विवादों को मध्यस्थ निर्णय के अभिदिष्ट कराये तथा मध्यस्थ निर्णय की किसी भी कार्यवाही में जिसमें समिति एक पक्ष हो, समिति का प्रतिनिधित्व करे;

(झ) समिति के लाभप्रद समापन के लिए जहां तक आवश्यक हो, समिति के कार्य का संचालन करें;

(ञ) ऋणदाताओं अथवा ऐसे व्यक्तियों के साथ जो ऋणदाता होने का दावा करें अथवा जिसका कोई दावा हो अथवा जो अभिकथन करें कि उनका दावा है, चाहे वह वर्तमान हो अथवा भावी, जिसके द्वारा समिति देनदार ठहराई जा सके, कोई समझौता अथवा प्रबन्ध करें; और

(ट) सभी आहूतियों (Calls) अथवा आहूत और ऋणों के दायित्वों तथा ऐसे दायित्वों के सम्बन्ध में जो परिणामतः ऋण में परिवर्तित हो सकते हैं तथा वर्तमान अथवा भावी निश्चित या घटनाक्षेप सभी दावों के सम्बन्ध में, जो समिति तथा अंशदायी तथा अभिकथित अंशदायी या अन्य ऋणी के अथवा ऐसे व्यक्ति के जो अपने ऊपर सहकारी समिति का दायित्व आने की आशंका करता हो, मध्य विद्यमान हों या विद्यमान माने जाते हों, तथा ऐसे सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में जो किसी भी रूप में परिसम्पत्तियों से समिति के समापन से सम्बन्धित हो अथवा उन पर प्रभाव डालते हों ऐसी शर्तो पर तय हो जायें, समझौता करे और उक्त आहूति, दायित्व ऋण या दावे के उन्मोचन के लिए कोई प्रतिभूति लें और उसके सम्बन्ध में पूर्ण उन्मुक्ति दें।

(3) जब किसी सहकारी समिति के कार्य समापित कर दिये गये हों, तो परिसमापक इसका प्रतिवेदन निबन्धक को देगा और समिति के अभिलेखों को ऐसे स्थान पर जहां निबन्धक निदेश दे जमा करेगा।

(4) ऐसी धनराशि जिसके उपधारा (2) के अधीन समिति की परिसम्पत्तियों के लिए अंशदान (जिसके अन्तर्गत ऋण तथा अन्य देय धनराशियां भी हैं) यह समापन के व्यय के रूप में वसूल किये जाने का आदेश दिया गया हो, वसूली के लिए परिसमापक की प्रार्थना पर निबन्धक द्वारा कलेक्टर से तदर्थ अभियाचन किये जाने पर, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली की जा सकती है।

(5) कोई ऋण या दावा जो उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियत समय के भीतर प्रमाणित न किया गया हो, परिसमापक के इन अधिकार को वापस न करते हुये कि वह पर्याप्त कारण बताये जाने पर उपयुक्त समय के बाद भी उसे प्रमाणित करने की अनुज्ञा दे दें, उन्मोचित समझा जायेगा।

Power of Liquidator

74. (1) Subject to any rules made in this behalf the whole of the assets of a co-operative society in respect of which an order for winding up has been passed, shall vest in the liquidator appointed under Section 73 from the date on which the order takes effect and the liquidator shall have power to realize such assets by sale or otherwise.

(2) Such liquidator shall also have power, subject to the control of the Registrar-

(a) to institute and defend suits and other legal proceedings on behalf of the co-operative society by the name of his office;

(b) to determin from time to time the contribution (including debts and other dues) to be made or remaining to be made by the members or past members or by the estates or nominees, heirs or legal representatives of deceased members or by any officer or past officer, to the assets of the society, after giving to the person or persons concerned an opportunity to answer the claim;

(c) to fix the time, which will not be less than thirty days in any case, within which the creditors shall prove their debts and claims or be included for the benefit of any distribution made before these debts or claims are proved, and to give notice of such time in the manner prescribed;

(d) to investigate all claims against the co-operative society and subject to the provisions of this Act, to decide question of priority, arising between claimants;

(e) to pay claims against the co-operative society including interest up to the date of winding up according to their respective priorities, if any, in full or rateably, as the assets of the society may permit, the surplus, if any, remaining after payment of the claims being applied in payment of interest from the date of such order of winding up at a rate fixed by him but not exceeding the contract rate in any case;

(f) to determine by what persons and in what proportion the costs of the winding up are to be borne;

(g) to give such directions in regard to the collection and distribution of the essets of the society as may appear to him to be necessary for winding up the affairs of the society;

(h) to get disputes covered by Chapter IX raferred to arbitration and to represent the society in any arbitration proceading to which the society is a party;

(i) to carry on the business of the society so far as may be necessary for the beneficlal winding up of the same;

(j) to make any compromise or arrangement with creditors or persons claiming to be creditors or having or alleging to have any claim, present or future, whereby the society may be rendered liable; and

(k) to compromise all calls or liabllties to calls and debts and liabllitles capabel of resulting in debts, and all clalms present or future, certain or contingent, subsisting or supposed to subsist between the society and a contributory or alleged contributory or other debtor or person apprehending liability of the co-operative society and all questions in any way relating to or affecting the assets or the winding up of the society, on such terms as may be agreed and take any security for the discharge of any such call, liabilty, debt or claim and give a complete discharge in respect thereof.

(3) When the affairs of a co-operative society have been wound up the liquldetor shall make a report to the Registrar and deposit the record of the society in such place as the Registrar and deposit the record of the society in such place as the Registrar may direct.

(4) Any sum ordered under sub-section (2) to be recovered as contribution (including debts and other dues) to the assets of the society or as costs of winding up may be recovered in the same manner as arrears of land revenue on requisition being made in this behalf to the Collector by the Registrar on a reguest by the liquldetor for revcovery.

(5) Any debt or claim not proved within the time fixed for it under clause (c) of sub-section (2) shall subject to the power of the liquldator to allow it to be proved beyond trhat time in case of sufficlent cause being shown, be deemed to be discharged.

परिसमापक के लेखों का अंकेक्षण

74. क (1) परिसमापक अपने कार्यकाल की अवधि में प्रत्येक वर्ष दो बार नियत प्रारूप पर प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे निबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करेगा, निबन्धक द्वारा लेखों का अंकेक्षण जैसा वह उचित समझे कराया जायेगा।

(2) परिसमापक द्वारा अंकेक्षित लेखों का सारांश तैयार कराया जायेगा और इस सारांश की प्रति प्रत्येक अंशदायी (Contributory) को भेजी जायेगी।

(3) परिसमापक द्वारा नियत रीति से लेखों और लेखे सम्बन्धी पुस्तकों के अंकेक्षण हेतु निबंधक द्वारा निदेशित शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

(4) परिसमापक समिति के परिसमापन सम्बन्धी कार्य सम्भालने के पश्चात् अंकेक्षण के दौरान या उसके परिणाम स्वरूप

पायी गयी अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक अनियमितताओं के कारण तथा कर्तव्यों एवं कार्यो के निर्वहन में उपेक्षा और घोर चूक के फलस्वरूप समिति को घाटा हुआ हो या होने की सम्भावना हो।

Audit of Liquldator's Accounts

74-A.(1) The liquldator shall during his tanure of office, twice each year, present to the Registrar an account. in the prescribed form of his receiots and payments as liquidator, the Registrar shall cause the acounts to be audited in such manner as he thinks fit.

(2) The Liquldator shall cause as summery of audited accounts to be prepared and shall send a copy of such summary to every contributory.

(3) The Liquidator shall pay such fees as the Registrar may direct for the Audit of the account and books kept by him in the manner prescribed.

(4) The Liquldator shall be held liable for any irregulatritles which might be discovered in the course or as a result of Audit in respect of transactions subsequent to his taking over the affairs of the society:

Provided that no such action shall be taken unless the irregularities have caused or are likely to cause loss to the society due to gross negllgence or omission in carrying out the duties and functions.

शेष सम्पत्तियों का निस्तारण

74. ख ऐसी समिति जिसका परिसमापन हो चुका है कि परिसमापक द्वारा अपनी फाइनल रिपोर्ट मे दर्शायी गयी शेष सम्पत्तियों का निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से उसके सदस्यों में नियत रीति से वितरण किया जा सकता है या समिति की उपविधियों में हुये प्राविधान के अनुसार यदि उनमें विशिष्ट रूप से दिया हुआ है किसी या किन्हीं उद्देश्यों में प्रयोग किया जा सकता है अथवा दोनों उद्देश्यों के निमित्त प्रयोग में लाया जा सकता है। जहां शेष को सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता और समिति की उपविधियों में कोई व्यवस्था नहीं है। शेष सम्पत्तियां निबन्धक के अधिकार क्षेत्र में निहित हो जायेंगी जो उन्हें धरोहर (ट्रस्ट) के रूप में रखेगा तथा इसे ऐसी सहकारी समितियों के विकास के लिए अपने विवेकानुसार प्रयोग मे लायेगा।

Disposal of surplus Assets

74-B. The surplus assets as shown in the final report of the liquidator of a society which has been wound up may either be divided with the provious sanction of Registrar amongst its members in such manner may be prescribed or be devoted to any object or objects provided in the bye-laws of the society, if they specify that such a surplus shall be utilized for the particular purpose or may be utilized for both the purposes. where the surplus is not so divided amongst the members and the society has no such bye-laws, the surplus shall vest in the Registrar, who shall hold it in trust and shall use it accordingly to his prudence in development of society.

समापन और विघटन के मामलों में बाद पर रोक

75. इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, कोई दीवानी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी सहकारी समिति के समापन या विघटन से सम्बन्धित किसी मामले का संज्ञान नहीं करेगा और यदि समापन का कोई आदेश पारित हो गया हो तो समिति के विरूद्ध निबन्धक की अनुमति के बिना अथवा उसके द्वारा आरोपित शर्तो के अनुसार अन्यथा कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

Bar of sult in winding up and dissolution metters

75. Seve in so far as is expressly provided in this Act, no civil court shall take cognizance of any matter connected within the winding up or dissolution of co-operative society under this Act and when a winding up order has been made, no suit or legal proceeding shall lie or be proceeded with against the society except by leave of the Registrar and subject to such terms as he may impose.

सहकारी समिति के निबन्धन का रद्द किया जाना

76. यदि किसी ऐसी सहकारी समिति के सम्बन्ध में जिसे धारा 72 के अधीन समापित करने का आदेश दिया गया हो, निबन्धक की राय हो कि कोई परिसमापक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है या यदि किसी सहकारी समिति को जिसके लिए कोई परिसमापक धारा 73 के अधीन नियुक्त किया गया हो, कार्य समापित कर दिये हों, तो निबन्धक समिति के निबन्धन को रद्द करने का आदेश देगा और उस आदेश के दिनांक से समिति विघटित की गयी समझी जायगी और वह निगमित निकाय के रूप

में विद्यमान न रहेगी।

Cancellation of Registration of a co-operative society

76. Where in respect of a co-operative society which has been ordered to be wound up under Section 72, the Registrar is of opinion that it is not necessary to appoint a liquidator, or were the affairs of a co-operative society in respect of which a liquidator has been appointed under Section 73, have been yound up, the society shall be deemed to be dissolved and shall cease to exist as a corporate body from the date of such order of cancellation.

अध्याय-11
सहकारी कृषि समितियाँ
CHAPTER - XI
CO-OPERATIVE FARMING SOCIETIES

सहकारी कृषि समितियों का निबन्धन

77. (1) यदि पाँच अथवा अधिक व्यक्ति जो-

(क) किसी मण्डल (सर्किल) की भूमि में भूमिधरी अथवा सीरदारी के अधिकार धारण करते हों और भूमि को समुच्चय करना चाहते हों, अथवा

(ख) मिलकर समिति के नाम से किसी मण्डल के क्रय द्वारा, पट्टे या अन्य प्रकार से भूमि प्राप्त करने के अभिलाषी हों:

कृषि उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालने अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत सुअर पालन, मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी हैं, से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये अथवा ऐसे प्रयोजन के साथ-साथ उक्त प्रयोजन में किसी कुटीर उद्योग के विकास के लिये ऐसी भूमि का संयुक्त रूप से उपयोग करने के उद्देश्य से समिति बनाते हैं, तो ऐसी समिति (जिसे आगे सहकारी कृषि समिति कहा गया है) यदि वह धारा 7 की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और यदि उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि पर अधिकांश क्रियायें समिति के सदस्यों द्वारा की जाती हों तो इस अधिनियम के अधीन एक सहकारी कृषि समिति के रूप में निबन्धित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक किसी विशेष मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, भूमि के ही मण्डल में होने की अपेक्षा से मुक्त कर सकता है और ऐसी मुक्ति की दशा में यहां आगे मण्डल का अभिदेश उन मण्डलों का अभिदेश समझा जायेगा जिनमें सदस्यों द्वारा धृत या प्राप्त किये जाने के लिए वांछित भूमि स्थित हो।

(2) निबन्धक, निबन्धन प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि और ऐसे अन्य लेख्य जो नियत किये जायं, कलैक्टर की ऐसी कार्यवाही के लिये, यदि कोई हो, जो नियत की जायें, भिजवायेगा।

Registration of Co- operative Farming Societies

77. (1) Where any five or more persons-

(a) holding bhumidhari or Sirdar reights in land in a circle, and desiring to pool it; or

(b) intending together to obtain, in the name of the society land in a circle, by purchase, lease or otherwise;

form a society with the object of jointly using such land for any purpose connected with agriculture, horticulture,sericulture or animal husbandry which includes piggery, pisciculture and poultry farming or for the development of any cottage industry subsidiary to any such purpose along with such purpose, such society (to be hereinafter called a "co-operative farming society") may, if it conforms to the requirements of Section 7, and if the bulk of the operations on such land relating to the aforesaid purposes are to be performed by members of society, be registered under this Act as a co-operative society :

Provided that the Registrar may, having regard to the circumstances of any particular case, grant an exemption from the requirement of the land being in one circle and in the case of such exemption, any reference to a circle hereinafter shall be deemed to be reference to the circle in which land held by the members or desired to be obtained lies.

(2) The Registrar shall cause a copy of registration certificate and such other documents as may be prescribed, to be forwarded to the Collector for such action, if any, as may be prescribed.

निबन्धन की कतिपय अपेक्षायें

78. कृषि समिति के निबन्धन के लिये प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे:–

(क) अधिकार–अभिलेख के उद्धरण जिनमें उन सभी खेतों की, जो समिति को अंशदान के रूप में दिये जायेंगे, अभिलिखित संख्यायें तथा कुल क्षेत्रफल दिया हो;

(ख) धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाली समिति की दशा केवल उस भूमि का वर्णन जिसे प्राप्त करना अभिप्रेत हो तथा उसे प्राप्त करने की रीति और उसके उपयोग तथा विकास करने की योजनाएं;

(ग) ऐसे अन्य लेख्य तथा विवरण, जो नियत किये जायें।

Certain requirements of registration

78. An application for registration of farming society shall be accompanied by-

(a) extracts from the record of rights showing the total area with the recorded numbers of all fields which will be contributed to the society;

(b) in the case of a society covered by clause (b) of sub-section (1) of section 77, only a description of the land intended to be obtained and the manner of obtaining it and the plans for developing and using the same:

(c) such other documents and particulars, as may be prescribed.

निबन्धन के परिणाम

79. (1) जब कोई सहकारी कृषि समिति धारा 77 के अधीन निबन्धित हो तो मण्डल की उस समस्त भूमि जिसे कोई सदस्य धारण किये हों, यह समझा जायेगा कि वह सहकारी कृषि समिति के कब्जे, नियंत्रण तथा प्रबन्ध में चली गयी है और तदुपरान्त वह समिति उस भूमि को धारा 77 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि पर लागू न होगी जिस पर प्रक्षेत्र/गृह (Farm house) बनाया गया हो और न प्रक्षेत्र–गृह से संलग्न ऐसी भूमि पर लागू होगी जिसका क्षेत्रफल आधे एकड़ से अधिक न हो और जिसे सदस्य समिति की सदस्यता के लिए प्रार्थना–पत्र देते समय, अपनी निजी जोत के लिए सुरक्षित रखने की इच्छा प्रकट करें:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि सहकारी कृषि समिति के सदस्य का संयुक्त जोत में केवल अंश हो जो उस जोत में उसके अंश के सम्बन्ध में जब तक कि उक्त जोत के समस्त सहांशी (Co-sharer) ऐसी समिति के सदस्य न हों, यह नहीं समझा जायेगा कि वह समिति के कब्जे, नियंत्रण तथा प्रबन्ध में चला गया है, जब तक कि वह अपने अंश का बटवारा न करा ले अथवा जब तक कि उक्त जोत के भाग पर उसका पृथक कब्जा न हो जाय:

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा में दी गई किसी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी भूमिधर या सीरदार का उस भूमि में जो उसके सहकारी कृषि समिति को अंशदान के रूप में दी हो, हित धारा 82 में की गई व्यवस्था को छोड़कर निहित नहीं रह गया है।

स्पष्टीकरण–

इस धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि के अन्तर्गत बाग–भूमि अथवा वह भूमि न होगी जो किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा धारित हो तथा जिसका उपयोग उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालने अथवा पशुपालन, जिनके अर्न्तगत सुअर पालन, मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी हैं, से सम्बन्धित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए अथवा ऐसे प्रयोजनों में सहायक किसी कुटीर उद्योग के विकास के लिए किया जाता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि होगी जिसे भूमिधर अथवा सीरदार पूर्वोक्त प्रयोजनों में किसी के लिए धारण किये हों, यदि यह प्रयोजन समिति के प्रयोजनों में से भी एक हो।

(2) सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य, सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था उपधारा (3) में की गयी है, अपने द्वारा समिति को अंशदान के रूप में दी गई भूमि का कोई निस्तारण (Disposal) करने का हकदार न होगा।

(3) सहकारी कृषि समिति का प्रत्येक सदस्य ऐसे अधिकारों या विशेषाधिकारों का हकदार होगा, ऐसे आभारों तथा दायित्वों के अधीन रहेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन दिये जायें या उस पर आरोपित किये जायें।

(4) सहकारी कृषि समिति के निबधित हो जाने के दिनांक से उपधारा (1) के अधीन समिति द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में, समिति के किसी सदस्य द्वारा देय समस्त अबवाब, स्थानीय कर, लगान या मालगुजारी। उससे (समिति से) वसूल किये जा सकते हैं। समिति द्वारा सदस्य की ओर इस प्रकार भुगतान की गई किसी धनराशि की वसूली वह उक्त सदस्य से करेगी।

Consequences of registration

79. When a co-operative farming society is registered under Section 77, all land in the circle held by a member shall be used by the society for any of the purposes mentioned in sub-section (1) of Section 77 :

Provided that nothing in this sub-section shall apply to any land on which a farm house has been built or to such land, not exceeding one half of an acre in area, appurtenant to the farm house as the member, at the time of applying for membership of the society, opts to reserve for his personal cultivation :

Provided further that where a member of a co-operative farming society has only a share in a joint holding, has share in that holding shall not, unless all the co-shares of that holding are members of society, be deemed to pass into the possession, control and menagement of the society, unless he gets his share partitioned or he is in separate possession of a part of that holding :

Provided also that nothing in this section shall be construed to mean that the interest of the bhumidhar in the land contributed by him to the co-operative farming society has except as provided in Section 82, ceased to vest in him.

Explanation - For the purposes of this dection, "land" shall not include groveland, or land held and used by the bhumidhar for purposes connected with horticulture, sericulture or animal husbandry which includes piggery, pisciculture and pouitry farming, or for the development of any cottage industry subsidiary to any such purpose, but shall include such land as is held by the bhumidhar for any of the aforesaid purposes if it is also one of the purposes of the society.

(2) No member of a co-operative farming society shall except as provided in sub-section (3), be entitled to make any disposition of any land contributed by him to the society.

(3) Every member of co-operative farming society shall be entitled to such rights and privileges, be subject to such obligations and liabilities, and be bound to discharge such duties as may be conferred or imposed upon him, by or under this Act.

(4) All cesses, local rates, rent or land revenue payable by a member of a co-operrative farming society, in respect of the land held by the society under sub-section (1) may, as from the date of registration of the society, be recovered from it. any amount so paid by the society on behalf of a member shall be recovered by it from that member.

सदस्य का पागल हो जाना

80. यदि सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य पागल हो जाय, तो अपने अभिभावक (Curator) के माध्यम से सदस्य बना रह सकता है, जो उसकी ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है मानों वह स्वयं सदस्य हो।

Luancy of members

80. If a member of a co-operative farming society becomes a lunatic, he may continue to be a member through his curator who may act in his behalf as if he were the member himself.

नये सदस्यों का प्रवेश सदस्यता समाप्त होने का प्रभाव

81. (1) कोई व्यक्ति, जो उस मण्डल का जिसमें सहकारी कृषि समिति बनाई गयी हो, निवासी हो या उसमें बसने का विचार करता हो या उसमें खेती करता हो, ऐसी शर्तो और निर्बन्धनों के अधीन उस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है जो समिति की उपविधियों में निर्धारित हो।

(2) कोई अव्यस्क अथवा पागल जो भूमिधर या सीरदार के रूप में मण्डल में भूमि धारण करता हो, यथास्थिति, अपने विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक (Curator) के माध्यम से उस मण्डल में किसी सहकारी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है और एसी दशा में संरक्षक या अभिभावक, अव्यस्क या पागल की ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है, मानों स्वयं सदस्य हो।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस शर्त पर सदस्य बनाया जाय कह वह अंशदान के रूप में समिति को भूमि दे देगा, तो भूमिधर या सीरदार के रूप में मण्डल में उसके द्वारा धारित भूमि समिति के कब्जे, नियंत्रण और प्रबन्ध में संक्रमित हो जायेगी और धारा

79 के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त होंगे।

Admission of new members

81. (1) Any person who is a resident of the circle where a co-operative farming society has been formed or who intendes to settle down in the circle or who cultivates land therein, may be admitted as a member thereof, upon such terms and conditions as may be laid down in the bye-laws of the society.

(2) A minor or a lunatic holding lnd in the circle s bhumidhr. may through through his legal guardian or curetor. as the case may be, be admitted as a member of a co-operative farming society i that circle and in such a case the guardian or the curator amy act on behalf of the minor or the lunatic s if he were the member himself.

(3) Where a person is admitted as a member of the society on the condition of his conteributing land to the society, any land held by him in the circle as a bhumidhar shall stand transferred to the possession, control and management of the society and the provision of Section 79 shall apply to him.

दायाद सहकारी कृषि समिति के सदस्य होने के हकदार होंगे

82. (1) इस अधिनियम तथा नियमों और उपविधियों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए यदि कोई सदस्य जिसने सहकारी कृषि समिति को अंशदान के रूप में भूमि दी हो, सदस्य न रह जाय, तो उसके द्वारा अंशदान के रूप में दी गयी भूमि उसे लौटा दी जायेगी अथवा समिति के पास शेष रहने वाली अथवा सदस्य को लौटाई जाने वाली भूमि की सघनता (Compactness) बनाये रखने की दृष्टि से उसे समान मूल्य की अन्य भूमि दे दी जायेगी जो समिति की या किसी अन्य सदस्य की हो जिसकी लिखित सम्मति ऐसे विनियोग के लिए प्राप्त कर ली गई हो :

प्रतिबन्ध यह है कि समिति ऐसे सदस्य से भूमि अपने द्वारा किये उन सुधार या क्रियाओं के व्यय की प्रतिपूर्ति कराने की हकदार होगी जिनसे उत्पादन में लाभ या वृद्धि हो अथवा जो उत्पादन में सहायक हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि लौटायी जाने वाली भूमि धारा 86 के उपबन्धों के अधीन समिति द्वारा रखे गये बन्धक के अधीन हो तो समिति बहिर्गामी सदस्य को भूमि लौटाने के पूर्व ऐसे बन्धक से भूमि का मोचन प्राप्त कर लेगी और बन्धक-कर्ता समिति द्वारा बन्धक धन की अनुपातिक धनराशि का भुगतान करने पर भूमि को छोड़ देगा, भले ही सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 (एक्ट सं0 4 वर्ष 1882) में कोई प्रतिकूल बात दी हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि समिति औश्र बहिर्गामी सदस्य की पारस्परिक सम्मति से, समिति ऐसे सदस्य को भूमि के बदले, नियत रीति से अवधारित किया गया नकद प्रतिकर देगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बहिर्गामी सदस्य को वापस मिली भूमि को वह उसी अधिकार से धारित करेगा जिससे वह समिति को अंशदान के रूप में दी गई भूमि समिति की सदस्यता समाप्त होने के ठीक पूर्व धारित करता था, और यथास्थिति, समिति या किसी अन्य सदस्य को, उपधारा (1) के अधीन बहिर्गामी सदस्य को दी गई भूमि के विनियम में रखी गयी भूमि में वही अधिकार, यदि कोई हो, प्राप्त होंगे जो इस प्रकार दी गई भूमि में समिति या सदस्य के थे।

(3) कोई सदस्य, अपनी सदस्यता समाप्त होने पर, सहकारी कृषि समिति द्वारा किसी भी रीति से अर्जित भूमि पर या अन्य सम्पत्ति के किसी भाग के लिये दावा करने का हकदार न होगा, किन्तु इसमें दी गयी किसी बात से किसी ऐसे अंश का मूल्य पाने के उसके अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा जिसे पाने का हकदार वह इस अधिनियम के अधीन हो।

Effect of cassation of membership

82. (1) Subject to the other pprovision of this Act and the rules and the bye-laws, where a member who contributed land to the co-operative farming society ceases to be a member he shall be given back the land contributed by him, or. in the Interest of compactness of the land left with the society or of the land being returned to the member, any other land of equivalent value belonging to the society or any other member whose written consent to such exchange has been obtained:

Provided further that if the land to be returned is subject to a mortgage made by the society under the provisions of Section 86, the society shall, before returning the land to the outgoing member, secure redemption of the land from such mortgage and the mortgagee shall release such land from the mortgagor on payment of proportionate amount of the mortgaged money by the society notwithstanding anything to the contrary contained in the Transfer of Property Act, 1882 (Act IV of 1882):

Provided also that with the mutual consent of the society and the outgoing member such cash compansation as may be determined in the prescribed manner, be paid by the society in lieu of the land to such member.

(2) Any land received back under sub-section (1) by the outgoing member, shall be held by him in the same righ in which the land contributed by him to the society was held immediately before the cessation of his membership of the society, and the society or any other mamber, under sub-section(1) as the case may be, shall have the same rights in the land, if any, retained in exchange of the land given to the outgoing member.

(3) No member shall on the cassation of his membership, be entitled to claim any part of the land or other property acquired in any manner by the co-operative farming society, but nothing herein shall affect his right to get the value of any share to which he may be entitled under this Act.

दायाद सहकारी कृषि समिति के सदस्य होने के हकदार होंगे

83. यदि किसी सदस्य की, जिसकी भूमि सहकारी कृषि समिति द्वारा धारित हो, मृत्यु हो जाय, तो उसके दायाद ऐसी भूमि के सम्बन्ध में समिति के सदस्य हो जायेंगे और यदि कोई दायाद अवयस्क या पागल हो, तो यथास्थिति उसका विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक उसकी ओर से इस प्रकार कार्य करेगा मानो वह स्वयं सदस्य हो।

Heirs entitled to become members of the co-operative farming society

83. When a member whose land is held by a co-operative farming society, dies, his heir in respectr of such land, shall become members of the society and, if any such heir is a minor or lunatic, his legal guardian or curator, as the case may be, shall act in his behalf as if he were a member himself.

सहकारी कृषि समिति द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी

84. प्रत्येक सहकारी कृषि समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी (Consolidation) के लिए कार्यवाही करे।

Consolidation of land held by a co-operative farming society

84. It shall be the duty of every co-operative farming society to take steps for the consolidation of the land held by it.

लाभ का वितरण

85. (1) धारा 58 के उपबन्ध, जहां तक वे उपधारा (2) और (3) से असंगत न हों, सहकारी कृषि समिति शुद्ध लाभों के उपयोग पर भी लागू होंगे।

(2) सहकारी कृषि समिति अपने शुद्ध लाभों का कम से कम 1/20 भाग एक निधि में जमा करेगी जो रक्षित निधि कहलायेगी।

(3) सहकारी कृषि समिति, अपने शुद्ध लाभों में से, अपने सदस्यों को, उनके द्वारा समिति की अंशदत्त भूमि तथा श्रम के सम्बन्ध में ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से बोनस दे सकती है, जो नियत की जाय।

Distribution of Profit

85. (1) The provisions of Section 58, in so far as they are not inconsistent with sub-section (2) and (3), shall also apply to the utilization of the net profits of a co-operative farming society.

(2) A co-ioperative farming society shall carry at least one-twentieth of its net profits to a fund calted the reserve fund.

(3) A co-operative farming society amy out of its net profits pay to such extent and in such manner as may be prescribed, bonus to its members in respect of their land and labour contributions made to the society.

सहकारी कृषि समिति का अपने द्वारा धारित भूमि बन्धक पर ऋण देने का अधिकार

86. ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, सहकारी कृषि समिति राज्य सरकार या किसी सहकारी समिति से ऋण लेने के प्रयोजन के लिये अपने द्वारा अपने नाम से धारित किसी भूमि को बिना कब्जा दिये हुये और सम्बद्ध सदस्यों से लिखित प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन अपने सदस्यों द्वारा अंशदान के रूप में दी गई भूमि को बन्धक रख सकती है, भले ही ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट 1882 या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो।

Power of a co-operative farming society to raise loan on the mortgage of land held by it

86. Subject to such conditions as amy be prescribed, a co-operative farming society may for the purpose of raising a loan from the State Government or any co-operative society, mortgage without possession any land held by it in its own name and, after obtaining an authorization in writing from the members concerned, the land contributed by its mamber under sub-section (1) of Section 79, anything to the contrary contained in the Transfer of Property Act 1882, or any other law for the time being in force notwithstanding.

सहकारी कृषि समिति के लिये रियायतें और सुविधायें

87. इस अधिनियम के अधीन सहकारी समितियों को सामान्य रूप से मिलने वाली अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सहकारी कृषि समितियां ऐसी अन्य रियायतें, सुविधायें तथा पूर्वतायें पाने की हकदार होंगी, जो नियत की जायें और उसके अन्तर्गत अन्य रियायतों, सुविधाओं और पूर्वताओं के साथ-साथ निम्नलिखित हो सकती हैं-

(क) मालगुजारी में कमी,

(ख) सिंचाई कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये कर तथा कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल आयल, पेट्रोल तथा मोबिल आयल के क्रय पर बिक्री-कर में कमी,

(ग) तकावी देने में पूर्वता

(घ) राज्य सरकार द्वारा सिंचाई तथा अन्य परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में पूर्वता,

(ङ) सिंचाई के लिए जल सम्भरण और बीज, उर्वरक तथा कृषि उत्पदन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के सम्भरण करने में पूर्वता,

(च) कृषि उपज के क्रय-विक्रय (मार्केटिंग) में पूर्वता।

Concessions and facilities for co-operative farming societies

87. Without prejudice to any other concession admissible to co-operative societyies in general under this Act, the co-operative farming societies shall be entitled to such other concessions, facillties and priorities as may be prescribed and these may, amongst others, include the folowing-

(a) reduction in land revenue;

(b) reduction in irrigation charges, taxes by local bodies and sates tax on the purchase of diesel oil, petrol and mobil-oil, for agricultural purposes;

(c) priority in the grant of taqavi;

(d) priority in the grant of taqavi;

(e) priority in the supply of water for irrigation, seeds, manures, feritilizers and other articles necessary for farm production;

(f) priority in the marketing of farm produce.

नियम बनाने का अधिकार

88. (1) धारा 128 के अधीन बनाये गये नियमों के अतिरिक्त राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है;

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:-

(क) ऐसे आधार, जिस पर सहकारी कृषिस समिति किसी भूमिधर सदस्य को धारा 79 के अधीन उसकी भूमि का निस्तारण (Disposal) करने की अनुज्ञा कर सकती है;

(ख) वे सिद्धान्त जिन पर तथा वह रीति जिसके अनुसार धारा 82 के अधीन व्यय तथा प्रतिकर का अवधारण किया जायेगा या उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी अथवा उसका भुगतान किया जायेगा;

(ग) वे प्रपत्र जिनमें धारा 84 के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अपीलें प्रस्तुत की जायेंगी और प्रार्थना-पत्र तथा अपील के ज्ञापन-पत्र पर दिये जाने वाले न्यायालय शुल्क, यदि कोई हों, की धनराशि;

(घ) वे सिद्धान्त तथा प्रक्रिया जिनका अनुसरण धारा 84 के अधीन जोतों की चकबन्दी करने, भूमि के विनियम (Exchange) के निर्देश देने और प्रतिकर का भुगतान करने में किया जायेगा;

(ङ) बहिर्गामी अथवा भूतपूर्व सदस्य की भूमि, निधियों, कृषि के काम आने वाले पशुओं और उपकरणों (Implements) के विषयों में दावों को चुकता कना, जिनका अंशदान उसने सहकारी कृषि समिति को किया है;

(च) सदस्यों द्वारा भूमि से भिन्न सम्पत्ति का अंशदान तथा उसका मूल्यांकन और समायोजन (Adjustment);

(छ) सहकारी कृषि समिति के फार्म पर काम करने वाले सदस्यों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक को निर्धारित करने के सिद्धान्त;

(ज) कोई अन्य विषय जो इस अध्याय के अधीन नियत किये जाने हों तथा नियत किये जा सकें।

Power to make rules

88. (1) In addition to rules framed under Section 128, the State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for--

(a) the gorunds on which a co-operative farming society may grant permission to a member for disposition of his land under section 79;

(b) principles on which and the manner in which cost and compensation shall be determined or reimbursed or paid under Section 82;

(c) the forms in which applications and appeals shall be filed under Section 84 and the amount of court-fee, if any, to be paid on applications and memorandum of appleal;

(d) the principles and procedure to be followed in the consolidation of holding in girecting exchange of land in payment of compensation under Section 84;

(e) satisfaction of the claim of an outgoing or pasl mamber as respects land, funds, agricultural stocks, and implements contributed by him to the co-operative farming society;

(d) the principles and procedure to be followed in the consolidation of holding in direction exchange of land in payment of compensation under Section 84;

(e) satisfaction of the claim of an outgoing or past member as respects land, funds, agricultural stocks, and implements contributes by him to the co-operative farmingsociety;

(f) the contribution by members ofproperty other than land and its evaluation and adjustment;

(g) pronciloes governing remuneration to be paid to members working on the farm of a co-operative farming society;

(h) any other matter which is to be oramy be prescribed under this Chapter,

89. इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

Provisions of Chapter to prevail over other law

89. The provisions of this Chapter shall take effect notwithstanding anything to the contrary in this Act or any other enactment for the time being in force.

अध्याय–11 – क

बीमाकृत सहकारी बैंक

CHAPTER - XI-A

INSURED CO-OPERATIVE BANKS

निर्वचन

90. इस अध्याय में 'बीमाकृत सहकारी बैंक' का तात्पर्य डिपोजिट इंश्योरेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1961 (ऐक्ट सं0 47 वर्ष 1961) जिसे आगे इस अध्याय में उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन किसी बीमाकृत सहकारी बैंक से है।

Interpretation

90. In this Chepter 'Insured co-operative bank' means a co-operative abk insured under the Deposil Insurance Corporation Act 1961 (Act No. 47 of 1961), hereinafter in this Chapter referred to as the said Act.

बीमाकृत सहकारी बैंकों पर लागू होने वाले विशेष उपबन्ध

90. क इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, निम्नलिखित उपबन्ध प्रत्येक बीमाकृत सहकारी बैंक पर लागू होंगे, अर्थातः–

(1) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना या संकल्प की स्वीकृति करने वाला कोई आदेश निबन्धक द्वारा रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति मात्र से ही दिया जा सकता है।

(2) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समापन का आदेश उक्त अधिनियम की धारा 13–डी में निर्दिष्ट परिस्थितियों में रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर इस नियम के उपबन्धों के अधीन दिया जायेगा।

(3) यदि रिजर्व बैंक की राय हो कि लोकहित में या किसी बीमाकृत सहीकारी बैंक के कार्य–कलाप की ऐसी रीति से जो निक्षेपकों के हित के विरूद्ध हो, संचालन रोकने के लिए या ऐसे सहकारी बैंक के समुचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के

लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह निबन्धक से कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक उतनी अवधि के लिए जितनी रिजर्व बैंक के द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्य निकाय के (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय) अवक्रमण का और उसके लिए प्रशासक की नियुक्ति का आदेश देने की अपेक्षा कर सकता है और निबन्धक तदनुसार आदेश देगा और धारा 35 तथा 36 के शेष उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो आदेश द्वारा 35 के अधीन दिये गये हों, किन्तु प्रबन्ध कमेटी को सुनवाई का अवसर देने और समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने की उस धारा की अपेक्षायें लागू नहीं होंगी।

(4) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के प्रबन्ध कमेटी के सभापति या सदस्यों द्वारा धारा 35 (क) की उपधारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन अपना-अपना पद रिक्त करने की दशा में रिजर्व बैंक निबन्धक से ऐसे बैंक के कार्य-कलाप का प्रबन्ध करने के लिए ऐसी व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकता है जैसी वह उचित समझे और निबन्धक तदनुसार आदेश देगा, और धारा 35 (क) के शेष उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो आदेश उक्त धारा के अधीन दिया गया हो।

(5) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना का संकल्प स्वीकृत करने वाले या रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति से या अपेक्षा पर बैंक के प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्ध निकाय (चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय) के अवक्रमण तथा उसके प्रशासक की नियुक्ति के आदेश पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

(6) यथास्थ्तिज्ञति, परिसमापक या बीकाकृत सहकारी बैंक या अन्तररीति बैंक उक्त अधिनियम की धारा 21 में उल्लिखित धनराशि डिपाजिट इंश्योरेन्स कारपोरेशन को उक्त धारा में निर्दिष्ट परिस्थितियों में और सीमा तक और रीति से प्रति संदाय करने के लिए बाध्य होगा।

Special provisions applicable to insured co-operative banks

90. A. Notwithstanding any thiing conteined in this Act, the following provisions shall apply to every insured co-operative bank namely ;-

(i) an order sanctioning a scheme or resolution for the amalgamation or merger or division or winding up of an insured co-operative abk amy be made by the Registrar only with the previous sanction in writing of the Reserve Bank;

(ii) and order for the finding up of an insured co-operative bank shall be made under the provisions of this Act if so required by the Reserve Bank in the circumstances referred to in Section 13-D of the Said Act;

(iii) if the Reserve bank is of opininon that it is necessary so to do in the public interes or for preventing the affairs of an insured co-operative bank being conducted in a manner deterimental to the interest of the depositors or for securing the proper management of such co-operative bank, it may requird the Registrar to pass an order for supersession of the Committee of Management or other managing body (by whatever name called) of such co-operative bank and to appoint an administrator therefor for such period or periods not exceeding five years in the aggregate as may from time to time, be specified by the Reserve Bank and the Registrar shall pass an order accordingly and the remaining provisions of Sections 35 and 36 shall apply in relation to such an order as if it were an order made under Section 35, but the requirements of that section to afford the Committee of Management an opportunity of being heard and to obtain the opinion of the general body of the society shall not be applicable;

(iv) in the event of the Chairman and members of the Committee of Management of an insured co-operative bank vacating their respective offices under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 35-A, the Reserve Bank may require the Registrar to make such arrangements as it thinks proper for the management of the affairs of such bank and the Registrar shall pass an order accordingly, and the remaining provisions of Section 35-A shall apply in relation to such an order as if it were an order made under that section;

(v) an order sanctioning a schame of or the resolution for amalgamation or merger or the division or winding up of an insured co-operative bank or of the supersession of the Committee of Management or other managing bodies (by whatever name called) of such bank and the applintment of an administrator thereof made with the previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank shall not be called in question in any manner; and

(vi) the liquidator or the insured co-operative bank or the transferee bank, as the case may be, shall be under an obligation to repay to the Deposit Insurance Corporation the sums mentioned in Section 21 of the said

Act in the circumstances and to the extent and in the manner referred to in that section.

अध्याय–12
अभिनिर्णय तथा आदेशों का निष्पादन
CHAPTER - XII
EXECUTIONS OF AWARDS AND ORDERS

प्रभार का प्रवर्तन

91. अध्याय–9 में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी परन्तु इस अधिनियम में व्यवस्थित वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई राजपत्रित अधिकारी, सहकारी समिति के प्रार्थना–पत्र पर और ऋण अथवा शेष भाग के अस्तित्व के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर, आदेश दे सकता है कि किसी सदस्य अथवा भूतपूर्व अथवा मृत सदस्य द्वारा समिति को देय किसी भी ऋण अथवा शेष मांग का भुगतान ऐसी सम्पत्ति को अथवा उसमें किसी ऐसे हित को जो धारा–39 के अन्तर्गत प्रभार के अधीन हो बेच कर दिया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि पर प्रार्थना–पत्र का नोटिस तामील न कर दिया गया हो और उसने नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर ऋण अथवा शेष भाग का भुगतान न कर दिया हो।

Enforcement of charge

91. Notwithstanding anything contained in Chapter IX, or any other law for the time being in force, but without prejudice to any other mode of recvoery provided in this Act, the Registrar or any person subordinate to him and empowered by him in this behalf may, o the application of a co-operative society and on being satisfied of the existence of the debt or outstanding demand make an order directing the payment of such debt or outstanding demands due to the society by any mamber or past or deceased member, by sale of the property or any interest theirin, which is subject to a charge under Section 39;

Provided that no order shal be made under this section, unless the member, past member or the nominee, heiror legal representative of the deceased member, has been served with a notice of the spplication and has failed to pay the debt or outstainding demand within one month from the date of service.

कतिपय आदेशों तथा अभिनिर्णयों का निष्पादन

92. धारा–71 के अधीन दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय जो नीचे दी गयी रीति से निष्पादन योग्य हो और धारा 67 या 68 की उपधारा (2) अथवा 91 के अधीन निबन्धक द्वारा या धारा 74 के अधीन परिसमापक द्वारा अथवा धारा 97 या 98 के अधीन अपील पर अथवा धारा 99 के अधीन पुनर्विलोकन पर या धारा 100 के अधीन विवादकालीन (Interlocutory) आदेश स्वरूप अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किये गये इस प्रकार के निष्पादन योग्य प्रत्येक आदेश (या धारा 95 (क) के अधीन जारी की गई किसी वसूली के लिए प्रमाण–पत्र) का निष्पादन, यदि उसका पालन न किया गया हो–

(क) मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रचलित विधि द्वारा व्यवस्थित रीति से किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी ऐसी धनराशि की वसूली के लिए प्रार्थना–पत्र कलेक्टर को दिया जायेगा और उसके साथ निबन्धक द्वारा और उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कृत एक प्रमाण–पत्र भी रहेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा प्रार्थना–पत्र आदेश या अभिनिर्णय में भुगतान के लिए निश्चित दिनांक से और यदि ऐसा कोई दिनांक निश्चित न हो तो यथास्थिति आदेश या अभिनिर्णय के दिनांक से 12 वर्ष के भीतर दिया जायेगा :

अथवा

(ख) निबन्धक या उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे उसके तदर्थ अधिकृत किया गया हो उस व्यक्ति या सहकारी समिति की जिसके विरूद्ध आदेश या अभिनिर्णय दिया गया हो किसी सम्मपत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किया जायेगा, अथवा

(ग) उस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले दीवानी न्यायालय द्वारा इस प्रकार दिया जायेगा, मानो ऐसा आदेश या अभिनिर्णय उसी न्यायालय की डिग्री हो।

Execution of certain orders and awards

92. Every award made under Section 71, and capable of execution in the manner provided below and every order so capable of executiiion made by the Registrar under Section 67 or sub-section (2) of Sectio 68 or under Section 91, or by the liquidator under Section 74 or by an appellate authority on appeal under Section 97 or 98 or on review under Section 99 or as an interlocutory order underSection 100 or a certificate for recovery issued under Section 95-A shall, if not carried out, be executed--

(a) in the manner provided by law for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue where the order is for the recovery of money:

Provided that an application for the recovery of any such sum is made to the Collector and accompanied by a certificate signed by the Registrar or any person authorized by him in this behalf :

Provided further that such application is made within 12 years from the date fixed for payment in the order or award and if no such date is fixed, from the date of the order or award, as the case may be; or

(b) by the Registrar or any other person subordinate to him and empowered by him in this behalf, by attachment and sate or sale without attachment of any property of the person or the co-operative society against whom the order or award has been made; or

(c) by the civil court having jurisdiction over the mattter as if the order or award were the decree of that court.

कतिपय प्रयोजनों के लिए निबन्धक या उके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति दीवानी न्यायालय होगा

93. निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किसी धनराशि की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते समय अथवा ऐसी वसूली के लिए या ऐसी वसूली करने के सहायक उपाय अपनाने के लिए उसको दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कोई आदेश देते समय इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1963 (ऐक्ट संख्या 36, वर्ष 1963) की अनुसूची के अनुच्छेद 136 के प्रयोजनों के लिए दीवानी न्यायालय समझा जायेगा।

Registrar or person empowered by him to be a civil court for certain purposes

93. The Registrar or any person empowered by him in this behalf shall be deemed, when exercisting any power under this Act for the recovery of any amount by the attachment and sale or by sale without attachment of any property or when passing any orders on any application made to him for such recovery or for taking steps in aid of such recovery, to be civil court for the purposes of Article 136 of the Schedule to the Indian Limitation Act 1963 (Act XXXVI of 1963).

अभिनिर्णय या आदेश के पूर्व सम्पत्ति की कुर्की

94. यदि निबन्धक को किसी प्रार्थना-पत्र, प्रतिवेदन या जांच के आधार पर या अन्यथा यह समाधान हो जाये कि कोई व्यक्ति किसी आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय के जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके विरूद्ध दिया जाये प्रवर्तन में विलम्ब करने या बाधा डालने के विचार से यथास्थिति, निबन्धक मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल अथवा परिसमापक के क्षेत्राधिकार से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा सका कोई भाग हटाने वालो है तो वह जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाय उक्त सम्पत्ति की कुर्की का निर्देश दे सकता है और ऐसी कुर्की का वैसा ही प्रभाव होगा मानो वह सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा की गयी हो।

Attachment of property before award or order

94. If the Registrar is satisfied on application report, inquiry or otherwise thatany person, with intent to delay or obstruct the enforcement of any order, decision or award that may be made against him under the provisions of this Act, is about to dispose of or remove from the jurisdiction of the Registrar, the arbitrator, the board of arbitrators or the liquidator as the case may be, the whole or any part of his property, he may unless adequate security is furnished, direct the attachment of the said property, and such attachment shall have the same effect as if made by a competent civil court.

सरकार की देय धनराशियों की वसूली

95. (1) सहकारी समिति से अथवा सहकारी समिति के किसी अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को देय समस्त धनराशियां, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी ऐसी सरकार को दिलाये गये व्यय भी हैं, निबन्धक द्वारा तदर्थ जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर मालगुजारी के बकाया की भांति वसूली की जा सकती है।

(2) किसी समिति द्वारा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को देय तथा उपधारा–1 के अधीन वसूल की जाने योग्य धनराशियां प्रथमतः समिति की सम्पत्ति से द्वितीयतः ऐसी समिति की दशा में जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित हो, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से उनके दायित्व की सीमा के अधीन रहते हुए, और तृतीयतः अन्य सदस्यों की दशा में, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से वसूल की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि भूतपूर्व सदस्यों का दायित्व तथा मृत सदस्यों की सम्पदायें सभी दशाओं में धारा 25 के उपबन्धों के अधीन रहेंगी।

Recovery of sums due to Government

95. (1) All sums due from a co-operative society or from an officer or member or past member of a co-operative society as such to the State Government or the Central Government including any costs awarded to any such Government under any provision of this Act, may, on certificate issued by the Registrar in this behalf, be recovered in the same manner as arrears of land revenue.

(2) Sums due from a society to the State Government or the Central Government and recoverable under sub-section (1) may be recovered, firstly, from the property of the society; in the case of a society the liability of the members of which is limited, from the mambers, past members or the estates of deceased members, subject to the limit of their liability; and thirdly, in the case of other societies, from the members, past members, or the estate of deceased members:

Provided that the liability of past members and the estates of deceased members shall in all cases be subjecet to the provisions of Section 25.

कृषि समिति के देयों की वसूली के लिए विशेष उपबन्ध

95.क (1) निबन्धक, धारा 34 में निर्दिष्ट समिति या कृषि ऋण समिति द्वारा किसी सदस्य को दिये गये किसी ऋण या उसकी किसी किस्त की बकाया की वसूली के लिए प्रार्थना–पत्र देने पर और ऐसे ऋण के सम्बन्ध में लेखा विवरण प्रस्तुत करने पर और ऐसी जांच यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् देय धनराशि की वसूली के लिए प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निबन्धक द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र अन्तिम और देयों का निश्चयात्मक सबूत होगा जिसे धारा 92 के अधीन निष्पादित किया जा सकेगा।

Special provision for recovery of certain dues of agricultureal society

95.A (1) The Registrar may, on an application made by society referred to in Section 34 or an agricultural credit society for the recovery of arrears of any loan advanced by it or any instalemnt thereof to any member and on its furnishing a statement of accounts in respect of such loan and after making such inquiries, if any, as he thinks fit, issue a certificate for revocery of the amounts due.

(2) A certificate issued by the Registrar under sub-section (1) shall be final and conclusive proof of the dues which shall be executable under Section 92.

अध्याय–13
अपील तथा पुनर्विलोकन
CHAPTER - XIII
APPEAL AND REVIEW

सहकारी न्यायाधिकत्व

96. (1) राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन न्यायाधिकरण को प्रदान किये गये कृत्यों के सम्पादन के लिए न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरणों का गठन कर सकती है जिसमें से प्रत्येक सहकारी न्यायाधिकरण कहलायेगा, और यदि एक से अधिक न्यायाधिकरण गठित किये जायें तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसा क्षेत्र जिसके भीतर अथवा ऐसा मामलों का वर्ग जिसके ऊपर प्रत्येक न्यायाधिकरण, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा, निश्चित कर सकती है।

(2) न्यायाधिकरण में ऐसी अर्हतायें रखने वाले को नियत किये जायें तीन व्यक्ति होंगे।

(3) यदि न्यायाधिकरण में तीन सदस्य हों तो, उसके कार्य निस्तारण के लिए किन्हीं दो सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनमें मतभेद होने की दशा में उस मामले को जिस पर मतभेद हो तीसरे सदस्य के समक्ष

रखा जायेगा और उस मामले पर जिस मत से वह सहमत होगा वही न्यायाधिकरण का मत समझा जायेगा। यदि किसी मामले की न्यायाधिकरण के सभी तीन सदस्यों द्वारा सुनवाई की जाय और मतभेद हो तो बहुमत अभिभावी होगा:

(4) न्यायाधिकरण के किसी सदस्य तथा स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति राज्य सरकार करेगी।

(5) न्यायाधिकरण द्वारा बैठक बुलाने तथा कार्य निस्तारण करने की प्रक्रिया वही होगी, जो नियत की जाय।

Co-operative Tribunal

96. (1) The State Government may constitute a tribunal or tribunals, each to be called co-operative Tribunal, to exercise the functions conferred on the tribunal under this Chapter and whare more than one tribunal is constituted, the State Government may fix, by order in writing, the area within which or the class of cases over which each tribunal shall exercise jurisdiction.

(2) A Tribunal shall consist of three persons possessing such qualifications as may be prescribed.

(3) Where the Tribunal consist of three members, any two members shall form the quorum for the disposal of its business:

Provided that in the event of a difference of opinion between them the matter over which there is a difference of opinion, shall be placed before the third member and the opinion with which the third member agrees, shall be deemed to be the opinion of the Tribunal. Where a matter is heard by all the three members of the tribunal and there is a difference of opinion, the majority opinion shall prevail.

(4) Any vacancy in the membership of the tribunal shall be filled by the State Government.

(5) The procedure for holding the meeting and disposal of business by a Tribunal shall be such as may be prescribed.

निबन्धक के अभिनिर्णय के विरुद्ध अपील

97. (1) निबन्धक द्वारा धारा 71 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अथवा उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक से जब वह अभिनिर्णय उस व्यक्ति को संसूचित किया गया हो, पैंतालीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

(2) इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात् न्यायाधिकरण ऐसा आदेश दे सकता है, जो न्यायपूर्ण समझे।

Appeals against awares of Registrar

97. (1) Any person aggrieved by any award of the Registrar made under clause (a) of sub-section (1), or sub-section (2) of Section 71 may within forty five days after the date on which the award is communicated to such person, appeal to the Tribunal.

(2) The Tribunal after hearing an appeal under this section may pass such order as it may deem just.

अन्य अभिनिर्णयों, आदेशों तथा निर्णयों के विरुद्ध अपील

98. (1) निम्नलिखित के विरूद्ध कोई अपील :

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति को निबन्धित करने से इन्कार किया गया हो;

(ख) निबन्धक का कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी संशोधन से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन निबद्ध करने से इन्कार किया गया हो अथवा धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन निबद्ध किया गया हो।

(ग) किसी सहकारी समिति का निर्णय, जिसमें धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाने से इन्कार किया गया हो, अथवा धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन समिति के किसी सदस्य को निकाला गया हो : या धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए या कोई पद धारण करने से अनर्हित करने के लिए किया गया कोई आदेश;

(घ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन किसी सदस्य को निकालने या हटाने अथवा धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन सहकारी समिति के किसी अधिकारी को हटाने या अनर्हित करने का निबन्धक का कोई आदेश;

(ङ) धारा 35 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त करने का निबन्धक का आदेश;

(च) धारा 65 के अधीन की गई किसी जांच अथवा धारा 66 के अधीन किये गये किसी निरीक्षक के व्ययों को विभाजित करने का धारा 67 के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया कोई आदेश।

(छ) धारा 68 के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया अधिभार का कोई आदेश।

(ज) धारा 71 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल द्वारा किया गया कोई अभिनिर्णय ;

(झ) धारा 72 के अधीन निबन्धक द्वारा किया गया कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति के समापन (Binding up) का निर्देश दिया गया हो;

(ञ) धारा 74 के खण्ड (ख) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके सहकारी समिति के परिसमापक द्वारा दिया गया कोई आदेश :

(ट) धारा 92 के खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पक्षों के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी ऐसे प्रश्न पर जो कोड आफ सिविल प्रोसीजन, 1908 (एक्ट संख्या 5, 1908) की धारा 47 में निर्दिष्ट प्रकार का हो, निबन्धक द्वारा दिया गया कोई आदेश;

(ठ) धारा 94 के अधीन निबन्धक द्वारा किसी सम्पत्ति की कुर्की के लिए दिया गया आदेश;

(ड) निबन्धक का धारा 16 (क) के अधीन कोई आदेश जिसमें समामेलन या विलयन का निदेश दिया गया हो या धारा 16 (ख) के अधीन कोई आदेश जिसमें विभाजन का निर्देश दिया गया हो:

(ढ) धारा 126 के अधीन निबन्धक द्वारा किसी संकल्प को रद्द करने या किसी आदेश को निरस्त करने के लिए दिया गया आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर क्षुब्ध पक्ष द्वारा उपधारा (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को नियत रीति से अपील की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ट) और (ठ) के अधीन अपील न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की जायेंगी, और उक्त उपधारा के खण्ड (क), (ख), (ज), (झ), (ञ), (ड) और (ढ) के अधीन, अपील निम्नलिखित को प्रस्तुत की जायेंगी –

(क) यदि निर्णय का आदेश निबन्धक द्वारा दिया गया हो तो राज्य सरकार को, अथवा

(ख) यदि निर्णय, आदेश या अभिनिर्णय किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो निबन्धक को;

(ग) यदि आदेश या अभिनिर्णय किसी निर्वाचन के सम्बन्ध मे विवाद पर दिया गया हो तो न्यायाधिकरण को;

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार गजट में विज्ञाप्ति द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि उपधारा (1) के खण्ड (ज) में उल्लिखित अभिनिर्णय के विरूद्ध अपील ऐसे मामलों अथवा, मामलों के वर्ब के सम्बन्ध में, जो उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जायें, न्यायाधिकरण को की जायेगी और तदोपरांत ऐसे अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है।

(4) अपीलीय प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

Appeal against the awards, orders and decisions

98. (1) An appeal against-

(a) an order of the Registrar made under sub-section (2) of Section 7 fefusing to register a co-operative society;

(b) an order of the Registrar under sub-section (2) of Section 14 registering an amendment in the bye-laws of co-operative society;

(c) a decision of co-operative society refusing to admit any person as a member ofthe society under sub-section (2) of Section 26 or expelling any member of the society under sub-section (1) of Section 27 or an order passed under sub-section (1) of Section 27 or an order passed under sub-section (1) of Section 38 for removing or disqualifying any officer of a co-operative society;

(d) an order of the Registrar under sub-section (2) of Section 27 expelling or removing a member or under sub-section (2) of Section 38 removing or disqualifying any officer of a co-operative society;

(e) an order of the Registrar superseding the Committee of Management of a co-operative society under Section 35;

(f) an order made by the Registrar, under Section 67 apportioning the cost of an enquiry held under Section 65 or an inspection made under Section 66;

(g) an order of surcharge made by the Registrar under Sectrion 68;

(h) an award made by an abbitrator or board of arbitrators under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 71;

(i) an order made by the Registrar under Section 72 directing the winding up of a co-operative society;

(j) any order made by the liquidator of a co-poerative society in exercise of the powers conferred on him by clause (b) and (g) of Section 74;

(k) any order made by the Registrar on a question arising between the partics or proceedings under clause (b) of Section 92 and of the nature referred to in Section 47 of the code of civil procedure, 1908 (Act V of 1908);

(l) an order for attachment of any property made by the Registrar under Section 94;

(m) an order of the Registrar underSection 16(A) directing amalgamation or merger, or under Section 16(B) directing division;

(n) an order passed by the Registrr under Section 126 annulling any resolution or canceling any order, may within forty five days of the communication of the order, decision or award to be appealed against, be preferred by the aggrieved party to the authorities mentioned in sub-section (2) in the manner prescribed.

(2) An appeal under clauses (c), (d), (e), (f), (g),(k) and (i) of sub-section (1) shall be preferred to the Tribunal, and an appeal under clauses-
(a), (b), (h), (i), (j), (m) and (n) of the said sub-section shall be preferred-
(a) if the decision or the order was made by the Registrar, to the State Government;
(b) if the decision or order or award was made by any other person or authority, to the Registrar;
(c) if the order or award was made on a disputer relating to an election, to the Tribunal,

(3) Notwithstanding any thing contained in clause (b) of sub-section (2) the State Government may by notification in the Gazette, direct that appeals against awards mentioned in clause (h) of sub-section (1) shall, in respect of such cases or class of cases, as may be specified in the said notification lie to the Tribunal, and thereupon any person aggrieved by such award, may appeal to the Tribunal.

न्यायाधिकरण द्वारा पुनरीक्षण (Revision)

99.क– न्यायाधिकरण किसी भी ऐसी विधिक कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख जिसके विरूद्ध उसके यहां अपील की जा सकती हो, मंगा सकता है और उसका परीक्षण किसी निर्णय अथवा आदेश की वैधानिकता या औचित्य के सम्बन्ध में अपने को सन्तुष्ट करने हेतु कर सकता है और यदि न्यायाधिकरण को ऐसा प्रतीत होगा कि ऐसे निर्णय अथवा आदेश को संशोधित किया जाना है, निरस्त किया जाना चाहिए, न्यायाधिकरण ऐसे मामलों में जैसा उचित समझे, वैसा आदेश पारित कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अन्तर्गत न्यायाधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी–

(अ) यदि निर्णय या आदेश के विरूद्ध की जाने वाली अपील का समय समाप्त नहीं हुआ है अथवा

(ब) निर्णय या आदेश के विरूद्ध अपील की गयी हो।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन उस समय तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि समस्त हितबद्ध पक्षों को नोटिस न दे दिया गया हो और उन्हें सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

Revision by Tribunal

99-A. The Tribunal may call for and examine the record of any proceedings in which an appeal lies to it for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision or order passed and if in any case it shall appear to the Tribunal that any such decision or order should be modified annulled or revised, the tribunal may pass such order thereon as it may deem fit :

Provided that the Tribunal shall not take any action under this section if-

(a) the time for appeal against the decision or order has not expired, or

(b) the decision or order has been made the subject matter of an appeal:

Provided further that no order shall be made under this section unless notice has been given to all interested parties and they have been given a reasonable opportunity of being heard.

अपीलीय अधिकारी के आदेशों का पुनर्विलोकन

99. ख– (1) यथास्थिति धारा 97 अथवा धारा 98 के अधीन, प्राधिकारी किसी पक्ष के प्रार्थना–पत्र पर, किसी भी मामले में आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई प्रार्थना–पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक अपीलीय प्राधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि किसी ऐसे नवीन महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य का पता लगा है, जो उचित अध्यव्यवसाय के पश्चात भी प्रार्थी की जानकारी में नहीं थी, अथवा वह उसे उस समय प्रस्तुत नहीं कर सकता था जब अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था अथवा यह समाधान न हो जाये कि ऐसी कोई गलती या त्रुटि हुई है जो अभिलेख

में प्रत्यक्ष है अथवा यह कि कोई अन्य पर्याप्त कारण विद्यमान है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा के अधीन उस समय तक कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि समस्त हितबद्ध पक्षों को नोटिस न दे दिया गया हो और उन्हें सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) किसी पक्ष द्वारा उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए कोई प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी के उस आदेश के, जिसका पुनर्विलोकन अवांछित हो, संसूचित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर दिया जायेगा।

Review of order of appellate authority

99-B (1) The appellate authority under Section 97 or Section 98, as the case may be, may on the application of any party, review its order in any case and pass in reference thereto such order as it thinks fir:

Provided that no such application shall be entertained unless the appellate authority is satisfied that there has been a discovery of new and important matter of evidence which, after exercise of due deligence, was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when the order was made or that there has been some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reason:

Provided further that no such order shall be made under this sub-section unless noice has been given to all interested parties and they have been afforded a reasonable opportunity of being heard.

(2) An application for review under sub-section (1) by any party shall be made within thirty days from the date of communication of the order of the appellate authority sought to be reviewed.

निबन्धक एवं सरकार के पुनरीक्षण (रिवीजन) सम्बन्धी अधिकार

99. ग– (1) निबन्धक स्वत: अथवा किसी प्रार्थना–पत्र पर अपने अधीनस्थ किसी भी ऐसे अधिकारी के जो निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग करता है, के विधिक कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख मांग सकता है और उनका परीक्षण कर सकता है, सरकार स्वत: अथवा किसी प्रार्थना–पत्र पर निबन्धक तथा ऐसे अधिकारी जो निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, के ऐसे विधिक कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख जिनके विरूद्ध धारा 98 में न्यायाधिकरण को अपील का प्राविधान नहीं है मांग सकती है और उनका परीक्षण अपने को यह सन्तुष्ट करने के लिए किया जा सकता है कि लिया गया निर्णय या पारित, आदेश नियमित है, ठीक है, वैधानिक एवं औचित्यपूर्ण है, यदि निबन्धक अथवा सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी निर्णय या आदेश को संशोधित करना, आलोपित करना, परिवर्तित करना, पुनर्विचार हेतु वापिस करना आवश्यक है, तो निबन्धक अथवा सरकार तदनुसार आदेश पारित कर सकते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक या सरकार को इस धारा के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा विधिक कार्यवाही, निर्णय या आदेश की प्राप्ति के 3 माह के भीतर प्रेषित किया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकूल आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे अपना प्रतिवेदन देने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।

(3) निबन्धक या सरकार जैसा भी हो उपधारा (1) के अन्तर्गत अपने अधिकारों के प्रयोग के लम्बित दशा में किसी निर्णय या आदेश के क्रियान्वयन को रोक सकता है।

(4) निबन्धक या सरकार जैसा उचित समझे समिति की धनराशियों से या ऐसे पक्षकार जिसके द्वारा पुनरीक्षण (रिवीजन) हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया हो से इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही का व्यय भुगतान करने हेतु निर्णय दे सकते हैं।

Powers of revision of Registrar and Government

99-C (1) The Registrar may of his own motion or on application call for and examing the record of any officer subordinate to him being an officer exercising the powers of the Registrar, and the Government may of their own motion or an application call for and examine the record of the registrar including any officer exercising the powers of the Registrar in respect of which an appeal to the Tribunal is provided by Section 98 to satisfy himself or themselves as to the regularity of such proceedings, or the correctness, legality or propriety of any decision passed or order made thereon, and if in any case it appears to the Registrar or the Government that any such decision or order should be modified annulled reversed or remitted for reconsideration he or they may pass orders accordingly:

Provided that every applicatio to the Registrar or the Government for the exercise of the powers under this section shall be preferred within three months from the date on which the proceeding decision or order to which the application relates was communicated to the applicant.

(2) No order prejudicial to any person shall be passed under sub-section (1) unless such person has been given an opportunity of making his representation.

(3) The Registrar or the Government as the case may, be any, suspend the execution of any decision or order pending the exercise of his or their power under sub-section (1) in respect thereof.

(4) The Registrar or the Government may award costs in proceedings under this section to be paid either out of the funds of the society or by such party to the application for revision as the Registrar or the Government may deem fit.

अन्तरिम आदेश

100. यदि अपील धारा 97 अथवा धारा 98 के आधीन की गयी हो, तो अपीलीय प्राधिकारी, न्याय की रक्षा के लिए अपील का निर्णय होने तक के लिए ऐसे विवादकालीन आदेश दे सकता है, जो वह उचित समझे।

Interim orders

100. Where an appeal is preferred under Section 97 or Section 98, the appellate authority may, in order to prevent the ends of justice being defeated, make such interlocutory orders pending the decision of the appeal as it may deem fit.

अपीलों का संक्रमण

101. (1) राज्य सरकार, किसी पक्ष के प्रार्थना–पत्र पर और दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात धारा 97 के अधीन प्रस्तुत अपील को एक न्यायाधिकरण से किसी अन्य न्यायाधिकरण को संक्रमित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों के निबन्धक के समक्ष विचाराधीन धारा (98) के अधीन कोई अपील करने को संक्रमित कर सकती है और उसे निस्तारित कर सकती है।

(3) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों का निबन्धक कोई अपील धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग करने वाले एक अधिकारी से तत्सदृश अधिकारों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य अधिकारी को संक्रमित कर सकता है अथवा ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कोई अपील स्वयं करने को संक्रमित कर सकता है, और उसे निस्तारित कर सकता है।

Transfer of appeals

101. (1) The State Goveernment may, on the application of any party and after affording an opportunity to the other party of being heard, transfer an appeal filed under Section 97 from one Tribunal to another Tribunal.

(2) The State Government may transfer to itself an appeal filed under Section 98 pending before the Registrar of Co-operative societies appointed under sub-section (1) of Section 3 and dispose it of.

(3) The Registrar of Co-operative socities appointed under sub-section (1) of Section 3 may transfer an appeal pending before one officer exercising the powers of Registrar under sub-section (2) of Section 3 to any other officer exercising similar powers, or transfer an appeal pending before any such officer to himself and dispose it of.

आदेशों और निर्णय/अभिनिर्णयों का अन्तिम होना

102. धारा 71 के अधीन दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय और धारा 98 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रकार का आदेश, जब यथास्थिति धारा 97 या धारा 98 के अधीन ऐसे अभिनिर्णय या आदेश के विरूद्ध कोई अपील न की गई हो तथा धारा 99 के अधीन रहते हुए उक्त धारा के अधीन होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

Finality of orders and decisions

102. Every award made underSection 71 and every order of the nature referred to in sub-section (1) of Section 98 where no appeal has been preferred against such award or order under Section 97 of Section 98, as the case may be, and every decision in appeal under the said sections, shall, subject to Section 99, be final and binding on the parties concerned and shall not be questioned in any court.

अध्याय–13 क

उत्तरांचल राज्य सरकारी परिषद

CHAPTER - XIII (A)

UTTARANCHAL STATE CO-OPERATIVE COUNCIL

उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद का गठन एवं उसके कार्य

102.(क) (1) उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद के नाम से एक काउन्सिल (परिषद) होगी जिसमें सभापति एवं उप सभापति को सम्मिलित करते हुए उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तय एवं नामित किये जायें।

(2) राज्य सरकार द्वारा काउन्सिल (परिषद) में एक सचिव की नियुक्ति की जायगी।

(3) उपधारा (1) में गठित काउन्सिल (परिषद) के निम्नांकित कार्य होंगे-

(क) राज्य सरकार को सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित सभी मामलों में सलाह देना,

(ख) सहकारी आन्दोलन की समीक्षा करना एवं राज्य की सहकारी समितियों के क्रियाकलापों में सम्मनवय स्थापित करने हेतु उपाय सुझाना,

(ग) सहकारी समितियों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के निवारणार्थ मार्गदर्शन देना, एवं अन्य उपायों का संकेत करना,

(घ) ऐसे मामलों में राज्य सरकार को संसूचित करना जो इसे संदर्भित किये जायें,

(ङ) राज्य के सहकारी आन्दोजन के विकास हेतु योजनाओं तथा नीतियों के सम्बन्ध में अनुशंसा करना,

(च) वर्तमान योजनाओं का मूल्यांकन एवं सहकारी विकास की नई योजनाओं को सुझाना जिसके माध्यम से पिछड़े वर्ग एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों का विकास हो सके,

(छ) राज्य सरकार को सहकारी ढंग से आर्थिक विकास की विशेष योजना के कार्यान्वयन में सुझाव देना एवं

(ज) उपरोक्त किन्हीं उद्देश्यों हेतु विभाग अथवा विशिष्ट संघटनों के माध्यम से अध्ययन करना।

(4) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्न के सम्बन्ध में प्राविधान करेगी-

(अ) काउन्सिल (परिषद) की बैठकें बुलाने एवं ऐसी बैठकों की कार्य पद्धति,

(ब) काउन्सिल (परिषद) सचिव के कर्तव्य,

(स) काउन्सिल (परिषद) की उप समितियां, एवं

(द) काउन्सिल (परिषद) कार्यालय के सदस्यों की अवधि, यात्रा एवं दैनिक भत्ता जो अनुमन्य होगा

I - परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

II- परिषद में अधिकतम 11 सदस्य होंगे।

III- परिषद का एक सचिव होगा जो अपर निबन्धक सहकारी समितियां के पद से निम्न न होगा।

Constitution of State Cooperative Council, its functions etc.

102.A (1) There shall be a council to be called the Uttaranchal State Co-operative Council consisting of such number of members including the Chairman and the Vice-chairman, as the State Govt. may determine and nominate from time to time.

(2) The State Govt. shall appoint a Secretary in the council.

(3) The functions of the council constituted under sub-section (1) shall be as follows, namely-

(a) to advise the State Govt. on all matters relating to Co-operative follows, namely-

(b) to revive the co-operative movement and to suggest ways of co-ordinating the activities of co-operative societies in the State;

(c) to suggest ways and means to remove the difficulties experienced by the co-operative soieties;

(d) to report to the State Govt. on such matters as may be referred to it by the State Government;

(e) to recommend the plans and policies for the development of Co-operative movement in the State;

(f) to evaluate existing schemes and suggest new schemes for co-operative development especially for the development of backward classes and economically weaker sections of the society;

(g) to advise the State Govt. for the implementation of special scheme of economic development through co-operative methods; and

(h) to undertake studies for any of teh purposes aforesaid either throuh department or specialized bodies,

4. The state Government may by general or special order provide for-

(a) the calling of the meetings of the council and the procedure at such meetings;

(b) duties of the Secretary to the council;

(c) sub-committeeor committees of the council; and

(d) the term of office of members of the council and travelling and daily allownces admissible to the members

of the Council;

(i) State Co-operative Council's term will be 3 years;

(ii) There will be maximum Eleven members of the State Co-operative Council;

(iii) The State Co-operative council's Secretary will not be below the rank of Additional Registrar. Co-operative Societies.

अध्याय-14
अपराध और शाक्तियां
CHAPTER - XIV
OFFENCES AND PENALTIES

अधिनियम के अधीन अपराध

103. (1) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, यदि-

(अ) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या उसका कोई सदस्य या अधिकारी निबन्धक या निबन्धक द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पद से नीचे के पद का न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उचित कारण के बिना अपेक्षित कोई विवरणी, प्रतिवेदन या सूचना प्रस्तुत न करे या जानबूझ कर मिथ्या विवरणी तैयार करे या मिथ्या सूचना दे या समुचित लेखे न रखे, या

(ब) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य सहकारी समिति की बहियों, पत्रादि या प्रतिभूतियों को कपटपूर्ण ढंग से नष्ट करे, विकृत करे, परिवर्तन करे या कूटकरण करे या उनके नाश, विकृति परिवर्तन, कूटकरण के लिए अभिप्रेरित करे या किसी समिति के रजिस्टर, लेखा-बही या लेख्य में कोई मिथ्या प्रविष्टि करे या करने के लिए अभिप्रेरित करें, या

(स) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई अधिकारी जिसके कब्जे में समिति की बहियां, अभिलेख या सम्पत्ति हो, समिति की ऐसी बहियों और अभिलेखों और सम्पत्ति की अभिरक्षा ऐसे व्यक्ति को सौंपने से इन्कार करे या उचित कारण के बिना न सौंपे जो इस अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन उन्हें लेने के लिए विधित: हकदार हो, या

(द) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या कोई अधिकारी उचित कारण के बिना अपने कर्मचारियों के लिए धारा 63 के अधीन अपेक्षित भविष्य निधि की स्थापना न करे,

(य) सहकारी समिति का कोई अधिकारी ऐसे लेखे और रजिस्टर न रखे जो नियत किये जावें, या

(र) सहकारी समिति का कोई ऐसा अधिकारी या सदस्य, जिसके कब्जे में सूचना, बहियां और अभिलेख हों, लेखा परीक्षा के लिए धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अथवा निबन्धक या धारा 64, 65, 66, 73 या 123 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्तियों को उचित कारण के बिना उक्त सूचना न दे या बहियां और पत्रादि प्रस्तुत न करें या सहायता न दे, या

(ल) कोई सेवायोजक पर्याप्त कारण के बिना किसी सहकारी समिति को, धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन अपने द्वारा कटौती की गई धनराशि का उस दिनांक से, जब वह कटौती की गई हो, 14 दिन की अवधि के भीतर भुगतान न करे, या

(व) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति ऐसा कार्य या कार्यलोप करे जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया हो।

(2) (क) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के खण्ड अ, व, य, ल या व के अधीन अपराध करे उसे सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थ दण्ड दिया जायगा, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जो निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसा कार्य करता है जो नियमों के अधीन अपराध हो, व नियमों में यथा उपबन्धित दो वर्ष के अनधिक कारावास से या दस हजार रूपये से अनधिक के अर्थदण्ड से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (ब), खण्ड (स) या खण्ड (र) के अधीन अपराध करता है, दोष सिद्ध

पर किसी प्रकार के कारावास के दण्ड का भागी होगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड का भी भागी होगा जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।

Offences And Panalties under the Act

103. (1) It shall be an offence under this Act, if--

(i) A committee of management of a co-operative society or a member or an officer thereof fails without reasonable cause to submit any return, report or information required under the provisions of this Act by the Registrar or by a person of a rank not below that specified by the State Government duly authorized by the Registrar in this behalf, or willfully makes a faise return or furnishes false information or fails to maintain proper account; or

(ii) an officer, employee or a member of a co-operative society fraudulently destroys, mutilates, alters, falsifies or abets the destruction, mutilation, alteration, or falsification of any books, papers, or securities, or makes or abets the making of any false entry in any register, book of account or document belonging to the society; or

(iii) the committee of management of a co-operative society, or an officer in possession of the books, records and property belonging to the society to a person lawfully entitled to receive the same under this Act, the rules or the bye-laws; or

(iv) the Committee of Management of a co-operative society or an officer fails, without reasonable cause, to establish a Provident Fund for its employees as required by Section 63; or

(v) any officer of a co-operative societryfails to maintain such accounts and registers as may be prescribed; or

(vi) an officer or a member of co-operative society who is in possession of information, books and records, fails, without reasonable cause, to furnish such information or produce books and papers or give assistance to the person appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 64, or any person authorized by him to conduct audit, or to the Registrar or a person authorized or appointed by the Registrar under Section 64, 65, 66,73 or 123; or

(vii) an employer, without sufficient cause, fails to pay to a co-operative soceity the amount deducted by him under sub-section (2) of section 40 within a period of 14 days from the date on which such deduction is made; or

(viii) an officer or mamber of a co-operative society or any person does any act or omission declared by the rules to be an offence.

(2) (a) Whoever commits an offence under clauses (i), (iv), (v) (Vii), or (viii) of sub-section (1) shall on conviction be liable to be punished with fine which may extend to Five thousand rupees :

Provided that, any person who does an act in relation to elections which has been made an offence under the rules, shall be punishable with imprisonment for such term not exceeding two years, or with fine not exceeding rupees Ten thousand as may be provided in the rules or with both.

(b) Whoever commits an offence under clause (ii), Clause (iii) or clause (vi) of sub-section (1) shall on convivction be liable to be punished with imorisonment of either description which may extend to two years and shall also be liable to fine which may extend to two years and shall also be liable to fine which may extend to Five thousand rupees.

(c) Every offence referred to in clause (b) shall be cognizable and bailable.

अर्थदण्ड

104. कोई भी व्यक्ति जो धारा (8) की उपधारा (2) या धारा 106 (धारा 8 अथवा धारा 106 के उल्लंघन के लिए शास्ति) के उपबन्धों का उल्लंघन करें, अर्थदण्ड से दण्डनीय हो जो एक हजार रूपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें दोषसिद्ध के पश्चात अपराध जारी रखा जाय, एक सौ रूपया होगा।

Penalty for contravention of Section 8 or Section 106

104 Any person contravening the provisions of sub-section (2) of Section 8 or of Section 106 shall be punishable with fine which may extewnd to One thousand rupees and in the case of continuing offence with further fine

of One hundred rupees for each day on which the offence is continued after conviction therefor

अपराधों का शमन

104.क– (1) निबन्धक, इस अधिनियम और अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, शमन, अभियोग संस्थित किये जाने से पूर्व एवं पश्चात् प्रशमन शुल्क की ऐसी धनराशि वसूल करने के पश्चात् कर सकता है जैसा वह उचित समझे और वह अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो प्रशमन शुल्क अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम जुर्माने की धनराशि से अधिक नहीं होगा।

(2) जहाँ अपराध का इस प्रकार शमन–

(क) अपराध संस्थित किये जाने से पूर्व किया जाय, वहां अपराधी को ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो उसे मुक्त कर दिया जायगा,

(ख) अभियोग संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाय वहां ऐसे शमन का प्रभाव अभियुक्त को दोषमुक्ति होगा।

Compounding of Offences

104-A(1) The Registrar may, either before or after the institution of the prosecution, compound any offence punishable under this Act on realization of such amount of composition fee as he thinks fit, and where such offence is punishable with fine only then such composition fee shall not exceed the maximum amount of fine fixed for the offence.

(2) Where the offence is so compounded-

(a) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty;

(b) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the accused.

अपराध संख्या

105. (1) न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

(2) निबन्धक की पूर्व स्वीकृति के बिना इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन (Prosecution) संस्थित नहीं किया जायेगा और ऐसी स्वीकृति उस व्यक्ति को जिसे अभियोजित करना हो अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायगी।

Cognizance of offences

105. (1) No court, inferior to that of a stipendiary magistrate shall try any offence under this Act.

(2) No prosecution shall be instituted under this Act without the previous snction of the Registrar and such sanction shall not be given without affording to the person sought to be prosecuted an opportunity to represent his case.

अध्याय–15

विविध उपबन्ध

CHAPTER - XV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

शब्द ''सहकारी'' या ''को–ऑपरेटिव'' का प्रयोग करने की प्रतिषेध

106. सहकारी समिति से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे किसी नाम से जिसमें शब्द ''सहकारी'' या उसका अंग्रेजी पर्याय को–ऑपरेटिव हो व्यापार या कारोबार में नहीं करेगा।

Prohibition against the use of word "सहकारी" or "Co-operative

106. No person other than a co-operative society shall trade or acrry on business under any name or title of which the word ' सहकारी' or its equivalent in English, 'Co-operative', forms part.

सहकारी समिति का पता

107. (1) प्रत्येक सहकारी समिति का नियत रीति से निबन्धित एक पता होगा और सभी नोटिस और पत्र समिति को इस पते पर भेजे

जा सकेंगे। समिति अपने पते में किसी परिवर्तन का नोटिस ऐसा परिवर्तन के 30 दिन के भीतर निबन्धक को भेजेगी।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति अपने प्रत्येक कार्यालय या स्थान पर, जहां कोई कारोबार करती हो, अपना नाम और अपने निबन्धित कार्यालय का पता इस अधिनियम के अधीन निबन्धित शब्द के साथ सुपाठ्य अक्षरों में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगी और उनका उल्लेख निम्नलिखित में भी करेगी।

(क) समस्त सूचनाओं और उसके द्वारा प्राधिकृत प्रकाशनों में,

(ख) समस्त कारोबार संविदाओं, कारोबार सम्बन्धी पत्रों, माल के लिए आदेशों, बीजकों, लेखा विवरणों, प्राप्तियों और साख पत्रों में, और

(ग) समस्त विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चेकों और धन लिये आदेशों में जिन्हें वह हस्ताक्षरित करे, या जो उसकी ओर से हस्ताक्षरित किये जाय।

Address of co-operative society

107. (1) Every co-operative society shall have an address registered in the prescribed manner and all notices and communications to the society may be sent at such address the society shall send to the Registrar notice of any change of such address within thirty days of the change.

(2) Every Co-operative society shall, at every office or place where it carries on business, display its name and address of its registered office along with the word "Registered" under this Act in legible character at a conspicuous place and shall also mention the same-

(a) in all notices and other publications authorized by it;

(b) in all business contracts, business letters, order for goods, invoices, statements of accounts, receipts and letters of credits; and

(c) in all bills of exchange, promissory notes, endorsements, cheques and orders for money it signs or that are signed on its behalf.

अधिनियम आदि की प्रतियां निरीक्षण के लिए उपबन्ध रखा जाना

108. प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये नियमों, अपनी उपविधियों, अन्तिम संपरीक्षित वार्षिक तुलन पत्र, लाभ और हानि का लेखा और असाधारण अधिवेशनों की कार्यवाही की एक प्रति सभी उचित समयों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए समिति के निबन्धित पते पर उपलब्ध रखेगी।

Copies of Act etc. to be open for inspection

108. Every co-operative Society shall keep a copy of this Act, the rules made thereunder, its bye-laws, last audited annual balance-sheet, profit and loss account and minutes of the general meetings open to inspection, free of charge at the registered address of the society.

कतिपय मामलों में न्यायाधिकरणों आदि को दीवानी न्यायालय के अधिकार

109. (1) किसी विवाद का निर्णय, किसी जांच या निरीक्षण अपील की सुनवाई या किसी दावे की छानबीन करते समय निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल, न्यायाधिकरण अथवा परिसमापक को निम्नलिखित विषयों में से सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आपफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (ऐक्ट संख्या 5, वर्ष 1908) के अधीन किसी विवाद पर विचार करते समय दीवानी न्यायालय को प्राप्त होते हैं; अर्थात-

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना,

(ख) किसी लेख्य को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ-पत्रों द्वारा तथ्यों की सिद्धि और

(घ) साक्षियों के बयान देने के लिए कमीशन निकालना।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किये जोने वाले शपथ-पत्र पर शपथ यथास्थिति निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल, न्यायाधिकरण या परिसमापक के समक्ष, अथवा निबन्धक या न्यायाधिकरण द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष ली जा सकती है।

Powers of civil court to Tribunals Arbitrators and others in certiain matters

109 (1) While deciding adispute, making an enquiry or inspection, hearing an appeal or investigating any claim, the Registrar, the arbitrator, the board of arbitrators, the Tribunal or the liquidator shall have all the powers of a

Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908, in respect of the following matters namely-

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) proof of facts by affidavits; and

(d) issuing commissions for examination of witnesses.

(2) An affidavit to be filed under sub-section (1) may be sworn before the Registrar, the arbitrator, the board of arbitrators, the Tribunal or the liquidator, as the case may be, or before an officer appointed in this behalf by the Registrar or the Tribunal.

न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक

110. इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी दीवानी या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा:-

(क) किसी सहकारी समिति का या उसकी उपविधियों या उपविधि के किसी संशोधन का निबन्धन;

(ख) किसी प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण अथवा निलम्बन;

(ग) धारा 70 के अधीन निबन्धक को अभिर्दिष्ट किये जाने के लिए अपेक्षित विवाद;

(घ) इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई आदेश या अभिनिर्णय।

Bar of jurisdiction of court

110. Save as expressly provided in this Act, no civil or revenue court shall have any jursdiction in respect of-

(a) the registraton of a co-operative society or its bye-laws or of an amendment of a bye-law;

(b) the supersession or suspension of a Committee of Management;

(c) any dispute required under Section 70 to be referred to the Registrar; and

(d) any other order or award made under this Act.

निबन्धन की शर्तो से समितियों को छूट देने का अधिकार

111. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तो के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जिन्हें वह आरोपित करे, किसी सहकारी समिति को इस अधिनियम की निबन्धन विषयक किसी भी अपेक्षा से छूट दे सकती है।

Power ti exenot society from conditions of registration

111. Notwithstanding anything contained in this Act, the state Government may, by special order in each case and subject to such conditions, if any, as it may impose, exempt any co-operative society from any of the requirements of this Act as to registration.

अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील

112. सिवाय उस दशा के जब इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था की गई हो, इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक नोटिस या दिया गया प्रत्येक आदेश किसी व्यक्ति पर उसके अन्तिम ज्ञात निवास या कारोबार के स्थान का ठीक से पता लिखकर और पंजीकृत डाक द्वारा ऐसा पत्र भेजकर, जिसमें नोटिस या आदेश हो, तामील किया जा सकता है और जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध न हो जाये वह तामील उस समय की हुई समझी जायेगी जब पत्र सामान्य क्रम में उसके पास पहुंच जाता।

Service of notice under the Act

112. Except where otherwise provided by or under this Act, every notice or order issued or made under this Act may be served on any person by properly addressing to the last known place of residence or business of such person and posting by registered post, a letter containing the notice or order, and unless the contrary is proved, such service shall be deemed to have been effected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course.

वादों के लिए नोटिस का होना आवश्यक

113. समिति के संघटन, प्रबन्ध या कारोबार से सम्बन्धित किसी कार्य के सम्बन्ध में सहकारी समिति या उसके किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि निबन्धक को ऐसा लिखित नोटिस जिसमें वादकरण, वाद का

कारण, वादी का नाम, वर्णन और निवास-स्थान और उसके द्वारा अभियाचित अनुतोष दिया हो, दिये जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात दो मास व्यतीत न हो गये हों और वाद-पत्र में इस बात का प्राक्कथन भी होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार दे दिया या कार्यालय में छोड़ दिया गया है एवं निबन्धक द्वारा उस पर आदेश पारित कर दिये गये हों।

Notice necessary in sults

113. No suit shall be instituted against a co-operative society or any of its officers in respect of any act relating to the constitution management or the business of the society until the expiration of two months next after notice in writing has been delivered to the Registrar, or left at his office, stating the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff and the relief which he claims; and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left & the Registrar had passed orders on that.

कतिपय मामलों में मुकदमों पर होने वाले व्यय का नियंत्रण

113.क- धारा 29, धारा 34, धारा 35, या धारा 35(क) के अधीन निबन्धक या राज्य सरकार के आदेश द्वारा जो आदेश दिया जाये या दिया जाना संभावित हो उसके विरूद्ध समिति या किसी अधिकारी या उसकी प्रबन्ध कमेटी द्वारा किसी न्यायालय में दायर की गई या संस्थित किन्हीं कार्यवाहियों का खर्च देने के प्रयोजनार्थ समिति की निधि से कोई व्यय, राज्य सरकार की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

Control of expenditure in litigation in certain cases

113-A No expenditure from the funds of a society shall be incurred without prior saction in writig of the State Government for the purposes of defraying the costs of any proceedigs filed or instituted in any court by any officer or Committee of Management of the society against any order made or purporting to be made by the Registrar or the State Government under Section 29, Section 34, Section 35 or Section 35-A.

कतिपय त्रुटियों के कारण सहकारी समितियों के कार्य अमान्य नहीं किये जायेंगे

114. किसी सहकारी समिति या किसी प्रबन्ध कमेटी या किसी सहकारी समिति के अधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण अमान्य नहीं समझा जायेगा कि समिति या कमेटी के संघटन में, या किसी अधिकारी की नियुक्ति या उसके निर्वाचन में कोई त्रुटि हो गयी है, या इस आधार पर कि उक्त अधिकारी ऐसी नियुक्ति या निर्वाचन के लिए अनर्हित था।

Act of co-operative societies not to be invalidated by certain defects

114. No act of a co-operative society or any committee of management or of any officer of a co-operative society shall be deemed to be invlid by reason only of the existence of any defect in the constitution of such society or committee or in the appointment or election of such an officer or on the ground that such officer was disqualified for such appointment or election.

प्रमुक्ति

115. कोई वाद, अभियोजना या अन्य विधिक, कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यासी, निबन्धक या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, परिसमापक मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल, न्यायाधिकरण या उसके किसी सदस्य के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकती जो सद्भावना से इस अधिनियम के अधीन किया गया हो या किया गया संभावित हो।

Indemnity

115. No suit prosecution, or other legal proceeding shall lie against the trustee appointed under this Act, the Registrar or any person subordinate to him or acting on his authority, a liquidator, an arbitrator, the board of arbitrators, the Tribunal or any member thereof in respect of anything in good faith done or purporting to have been done under this Act

सहभागिता एवं संयुक्त उद्यम

116. (1) समितियों की सहभागिता-

निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से कोई दो या दो से अधिक समितियां, जिनके प्रत्येक की सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित एवं वोट देने वाले सदस्यों ने तीन चौथाई बहुमत से संकल्प पारित यिका हो कोई विशिष्ट व्यवसाय अथवा व्यवसायों को करने हेतु सहभागिता में प्रविष्ट कर सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सदस्य को पूरे दस दिन का लिखित नोटिस बैठक की तिथि एवं प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिया गया हो।

इस प्रकार की सहभागिता पर भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का कुछ भी प्राविधान लागू नहीं होगा।

(2) समितियों द्वारा संयुक्त उद्यम-

(1) कोई समिति या समितियां राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों के साथ किसी विशिष्ट व्यवसाय या व्यवसायों जिसमें औद्योगिक विनियोग, वित्तीय सहायता या विपणन एवं प्रबन्धकीय दक्षता सम्मिलित हो संयुक्त उद्यम में प्रविष्ट हो सकती है।

(2) राज्य सरकार किसी समिति या समितियों को उपधारा (1) के अन्तर्गत संयुक्त उद्यम की स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व निम्न विषयों पर यथाचित ध्यान देगी, जैसे:-

क- योजना आर्थिक दृष्टि से स्वाश्रयी है,

ख- इसका कार्यान्वयन संबन्धित समिति या समितियों के सहकारी चरित्र के बिना क्षरण के किया जा सकता है एवं

ग- योजना, समिति के सदस्यों एवं सम्बन्धित समितियों के हितों को आगे बढ़ाने में या जनहित में और सामान्य रूप से सहकारी आन्दोजन के हित में है।

Partnership & Joint ventures

116. (1) Partnership of societies :

(1) Any two or more societies may, with the prior apporval of the Registrar, by resolution passed by three fourths majority of the members present and voting at a general meeting of each such society, enter into partnership for acarrying out any specific business or businesses PROVIDED that each member has had clear ten days written notice or the resolution and the date of the meeting.

Nothing in the Indian Partnership Act 1932 shall apply to such partnership.

(2) Joint Venture by societies:

(i) Any society or societies may with the prior approval of the State Government enter into joint venture with any Government or Private undertaking for carrying on any specific business or businesses including industrial invastment financial aid or marketing and management expertise.

(ii) Before approving any such scheme of joint venture by any society or societies under sub-section (1) the State Government shall have due regard to the following matters namely-

(a) that the scheme is economically viable;

(b) that it can be implemented without any way, eroding the cooperative character of the society or the societies concerned; and

(c) that the scheme is in furtherance of the interests of the members of the society or societies concerned, oris in Public interest and in the interest of the Co-operative Movement in general.

सहायक संगठनों का प्रवर्तन

117. (1) कोई सहकारी समिति अपने स्थित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु सामान्य निकाय बैठक में उपस्थित एवं वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित कर सहायक संगठन या सहायक संगठनों का प्रवर्तित कर सकती है और इस प्रकार के संगठन सामान्य निकाय की सहमति के आधार पर वर्तमान में प्रभावी किसी कानून में पंजीकृत हो सकते हैं।

(2) ऐसे किसी सहायक संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अभिलेख, प्रवर्तन करने वाली सहकारी समिति की वार्षिक बैठक में प्रतिवर्ष रखा जायेगा।

Promotion of subsidiary organisation

117. (1) Any Co-operative society may, by a resolution passed at general meeting by a majority of members present and voting promote one or more subsidiary organisation for the furtherance of its stated objective, and such organisation or organisations may be registered under any law for the time being in force, as agreed to by general body

(2) The annual reports and accounts of any such subsidiary organisation shall be placed before the general meeting of the promoting co-operative society each year.

पुनर्निर्माण परिषद

118. जब कोई शीर्ष/केन्द्रीय सहकारी समितियां निरन्तर घाटे पर हों, और घाटे जहां इतने हों कि उनके द्वारा समस्त अंशपूंजी खई जा चुकी हो और परिसम्पत्तियों में इतनी कमी आ चुकी हो कि दायित्वों का भुगतान करने में वह समर्थ न हो, तब ऐसी समितियों का विघटन करने के पूर्व उनके मामलों को निबन्धक द्वारा पुनर्निमाण परिषद को यह परीक्षण करने हेतु संदर्भित किया जा सकता

है कि क्या इस प्रकार की समितियां पूंजी विनिवेश एवं तकनीकी सहायता अथवा किसी अन्य तरीके से पुनर्जीवित की जा सकती हैं। पुनर्निमाण परिषद में निम्न समदस्य होंगे–

1– उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक का प्रबन्ध निदेशक सदस्य

2– संस्थागत वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप–निदेशक के पद से नीचे का न हो सदस्य

3– अंकेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी से नीचे न हो। सदस्य

4– लीड बैंक का एक प्रतिनिधि जो सहायक प्रबन्धक पद से नीचे का न हो। सदस्य

5– राज्य सरकार के सहकारिता विभाग का एक प्रतिनिधि जो प्रथम श्रेणी, वर्ग–1 से नीचे का न हो। सदस्य

6– राज्य सरकार के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि, जो उप–सचिव पद से नीचे का न हो। सदस्य

7– निबन्धक सहकारी समितियों के मुख्यालय का उप–निबन्धक या सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां जिसे निबन्धक द्वारा नामित किया जाय। सदस्य–सचिव

पुननिर्माण परिषद अपने को संदर्भित किये मामलों में विचार करेगी और सुविचारित अपनी अनुशंसायें विस्तार में निबन्धक के माध्यम से राज्य सरकार को यह स्पष्ट करते हुए कि समिति का विघटन होना चाहिये अथवा इसका पुनर्गठन या पुनर्निर्माण किया जा सकता है, भेजेगी। यदि पुनर्गठन या पुननिर्माण की अनुशंसा होती है तो पूरा पैकेज–पूंजी विनिवेश, तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं अन्य सरकारी एवं संस्थाओं की सहायताओं के विषय में परिषद द्वारा प्रस्ताव सरकार को निर्णय हेतु भेजा जायेगा सरकारी निर्णय के पश्चात् निबन्धक के स्तर पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रारम्भिक समितियां जो निरन्तर हानि में चल रही हों, के पुनर्निमाण के लिए निबन्धक एक जिला पुननिर्माण समिति बनायेगा तथा उक्त समिति में लिये गये निर्णयों के अनुरूप जिले की इस प्रकार की समितियों का पुननिर्माण सुनिश्चित किया जायेगा।

Board of Reconstruction

118. When Central/Apex Co-operative societies are continuously in loss and where losses are so much that they have eaten the entire share capital and caused deficiency in Assests to the extent that the same exceed liabilities, before winding up, such societies their cases can be referred by the Registrar to the Board of Reconstruction for examining if such societies can be revived by infusing capital & Technological support or by any other manner. The Board of reconstruction will be composed of the following members-

(1) Managing Director of Uttaranchal State Co-operative Bank Chairman

(2) One nominee of Directorate of institutional finace not below the rank of Dy director Member

(3) One representative of Audit Department not below the rank of Class I officer. Member

(4) One representative of Lead Bank not below the rank of Asstt. General Manager. Member

(5) One representative of State Govt's. Co-operation Department not below the rank of Deputy Secretary Member

(6) One representative of State Finance Department not below the rank of Dy. Secretary Member

(7) Deputy or Asstt. Registrar, Co-operative societies at teh Head quarter of Registrar, Co-operative societies to be nominated by Registrar, Co-operative Societies as Member - Secretary

The Board will consider cases referred to it and send its duly considered recommendations in detail to the State Govt. through Rewgistrar, Co-operative Societies whether the Society should be wounded up or its affairs could be reorganized or reconstructed. In the latter course full package containing recommendations about infusion of capital, technology, Managerial and other support from Govt. & other institutions weill be proposed by the Board & send to Govt. for decision. Action will follow after Govt. decision at the level of Registrar. Co-operative Societies.

For revival of primary co-operative societies, which are incurring losses continuously, the revival of such societies in accordance with the decisions of the said committee.

शीर्ष समितियों के कृत्य

119. कोई शीर्ष समिति, अपने संघटकों/सदस्यों की सेवा के लिए और अपनी उपविधियों के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात:-

(क) सहकारी सिद्धान्तों के पालन के लिए उपाय करना,

(ख) सहकारी समितियों को समाश्रित और संगठित करना और इस प्रयोजन के लिए आदर्श उपविधियां बनाना, विनियम बनाने के लिए, मार्ग-दर्शक सिद्धान्त और विचारण के लिए नीतियां बनाना,

(ग) सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण, शिक्षण और सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना और सहकारी सिद्धान्तों का प्रचार करना,

(घ) अनुसन्धान और मूल्यांकन करना और सदस्य सहकारी समितियों की भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना,

(ङ) सदस्य सहकारी समितियों के बीच सामन्जस्यपूर्ण सम्बन्ध विकसित करना,

(च) सदस्य सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और सहकारी समितियों के अनुकूल नीतियों और विधायन के लिए प्रयास करना,

(छ) अपने सदस्यों की ओर से कारोबारी सेवाएं प्रदान करना,

(ज) प्रबन्ध कमेटी की बैठकों में जिनमें सदस्य सहकारी समितियां आमंत्रित की जाती हैं, भाग लेने के साथ ही सदस्य सहकारी समितियों को सहयोग और प्रबन्धकीय विकास सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना,

(झ) सदस्य सहकारी समितियों के साधारण अधिवेशनों के नियमित संचालन में सहायता करना,

(ट) अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता विकसित करना,

(ठ) अपने सदस्यों के लिए समक्षमता के मापदण्ड विकसित करना,

(ड) अपने सदस्यों को विधिक सहायता और सलाह उपलब्ध करना,

(ढ) अपने सदस्यों के हित में कोई अन्य सेवा उपलब्ध कराना,

Functions of apex society

119. An apex society may, for servicing its constituents and in accordance with its bye-laws, perform the following functions, namely-

(a) to take measures for the observance of co-operative principles;

(b) to promote and organise co-operative societies and for this purposed frame model bye-laws, issue guidelines for making regulations and policies for consideration;

(c) to provide co-operative training, education and information and promote co-operative principles;

(d) to undertake research and evaluation and assist in preparation of perspective development plans of member co-operative societies;

(e) to promote harmonious relations amongst member co-operative societies;

(f) to represent the interest of member co-operative societies and to make efforts for policies and legislation favourasble to co-operative societies and to make efforts for policies and legistation favourable to co-operative societies;

(g) to provide business services on behalf of its members;

(h) to provide co-operation and management of development services to member co-operative societies including participation in board meetings where such member societies are invited;

(i) to assist member co-operative societies in regular conduct of general meetings;

(j) to evolve code of conduct for its members;

(k) to evolve the viability norms for its members;

(l) to provide legal aid and advice to its members;

(m) to provide any other service in the interest of its members.

सहकारी समितियें के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) सचिव, प्रबन्धक आदि के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताए

120. (1) कोई सरकारी समिति किसी व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव), सचिव, प्रबन्धक, लेखाकार या किसी ऐसे अन्य अधिकारी के रूप में, जिसे समिति द्वारा वेतन या पारिश्रमिक दिया जाना हो तब तक नियुक्ति न करेगी जब तक कि उसमें ऐसी अर्हताएं न हों, और ऐसी प्रतिभूति, यदि कोई हो, न दे दे जो निबन्धक किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके नियुक्त किया गया हो, निबन्धक द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकेगा।

Qualifications for appointment as secretary manager etc. of co-operative societies

120.(1) No person shall be appointed by a co-operative society as a Chief Executive (other than Managing Director of Apex Society who wil be a Govt. nominee) secretary, manager, accountant or as any other officer to be paid or remunerated by the society unless he possesses such qualifications and furnishes such security, if any, as may be specified by the Registrar from time to time in respect of any co-operative society or class of societies.

(2) Any person appointed in contravention of the provisions contained in sub-section (1) shall be liable to removal from his office by the Registrar

निबन्धक का समितियों में सेवायोजन की शर्तें अवधारित करने का अधिकार

121. (1) निबन्धक किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग के कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों को, जिनके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण भी है, विनियमित करने के लिए समय-समय पर विनियम बना सकता है और कोई समिति, जिस पर वे शर्तें प्रवृत्त होती हों, उन विनियमों का तथा निबन्धक के ऐसे आदेशों का जो उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए दिये जायें, पालन करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

Power of Registrar to determine terms of employment of society

121.(1) The Registrar may, from time to time, frame regulations to regulate the emoluments and other conditions of service including the disciplinary control of employees in a co-operative society or a class of co-operative societies and any society to which such terms are applicable, shall comply with those regulations and with any orders of the Registrar, issued to secure such compliance.

(2) The regulations framed under sub-section (1) shall be published in the Gazette and take effect from the date of such publication.

सहकारी समिति के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने वाला प्राधिकारी

122. (1) राज्य सरकार ऐसी रीति से जो नियत की जाये, सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण के लिए प्राधिकारी या प्राधिकारियों का संगठन कर सकती है कि वह या ऐसे कर्मचारियों की भर्ती उपलब्धियों और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में, जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी हैं, और धारा 70 के उपबन्धें के अधीन रहते हुये सहकारी समिति के कर्मचारी तथा समिति के विवादों में निपटाने के सम्बन्ध में विनियम बनायें।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार के अनुमोदनाधीन होंगे और ऐसे अनुमोदन के पश्चात् गजट में प्रकाशित किये जायेंगे तथा प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे और धारा 121 के अधीन बनाये गये किन्हीं विनियमों का अतिक्रमण नहीं करेंगे।

(3) वर्ग 3, 4 में सीधी भर्ती हेतु चयन जिला स्तर पर निबन्धक द्वारा गठित कमेटी तथा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

(4) वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु गठित चयन कमेटी में सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी समिति का सभापति भी एक सदस्य होगा।

Authority to control employees of co-operative societies

122. (1) The State Government may constitute an authority or authorities, in such manner as may be prescribed, for the recruitment, training and sisciplinary control of the employees of co-operative societies, or a class of co-

operative societies, and may require such authority or authorities to frame regulations regarding recruitment, emoluments, terms and conditions of service including disciplinary control of such employees and, subject to the provisions contained in Section 70, settlement of dispute between an employee of a co-operative society and the society.

(2) The regulations framed under sub-section (1) shall be subject to the approval of the State Government and shall, after such approval, be published in the Gazette, and take effect from the date of such publication and shall supersede any regulations made under Section 121.

(3) Direct recruitment of Employee of Class III and IV at Disrtrict level shall be made by the committee consliuted by the Registrar and procedure laid down by Registrar. Co-operative societies.

(4) In the Direct recruitment of Employees of Class I and II the Chairman of the concerned society shall be a member of selection Board/committee.

कतिपय सेवाओं का केन्द्रीकरण

122.क– (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार ऐसी सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की, जिसे राज्य सरकार उचित समझे ऐसी सहकारी समितियों के लिए सर्वमान्य एक या अधिक सेवाओं के सृजन के लिए नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है और किसी ऐसी सेवा में भर्ती, नियुक्ति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों को हटाने की प्रणाली और उसकी सेवा की अन्य शर्तो को नियत कर सकती है;

(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय, तब ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक को ऐसी समितियों के सभी कर्मचारियों को ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक से सेवा में अस्थायी रूप से आमेलित समझा जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा कर्मचारी नियत अवधि के भीतर नियत प्राधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा ऐसी सेवा का सदस्य न होने के अपने विकल्प की सूचना दे सकता है और उस दशा में समिति में उसकी सेवायें ऐसे नोटिस के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और वह समिति में ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो–

क– किसी स्थाई कर्मचारी की दशा में, उसके तीन मास के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो वेतन (जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा,

ख– किसी अस्थाई कर्मचारी की दशा में उसके एक मास के या सेवा की शेष अवधि के जो भी कम हो, वेतन (जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अस्थाई रूप से आमेलित कर्मचारी सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किया जा सकता है, यदि वह निबन्धक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अन्वीक्षण के पश्चात् उपयुक्त पाया जाये और किसी ऐसे कर्मचारी की सेवाएं जिसे सेवा में आमेलित के लिये उपयुक्त न पाया जाये, विहित प्राधिकारी द्वारा और जब तक ऐसा प्राधिकारी विहित न किया जाये निबन्धक के ऐसे अनुदेशों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा इस निमित्त आदेश जारी करने के दिनांक से समाप्त हो जायेगी, और वह उपधारा (2) के खण्ड (क) या (ख) में निर्धारित प्रतिकर का स्थायी या अस्थायी कर्मचारी होने के अनुसार हकदार होगा।

Centralisation of certain services

122-A.(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may by rules provide for the creation of one or more services of such employees of such cooperative societies or class of a cooperative societies as the State Government may think fit, common to such cooperative societies and prescribe the method of recruitment, appointment, removal and other conditions of service of persons appointed to any such service;

(2) When any such service is created, all employees of such societies existing on the date of creation of such service on the posts included in such service, shall be deemed to have been provisionally absorbed in the service with effect from the date of creation of such service:

Provided that any such employee may, by notice in writing to the prescribed authority within the prescribed period, intimate his option of not becoming a member of such service, and in that event his services in the society shall stand determined with effect from the date of such notice and he shall be entitled to compensation from the society which shall be-

(a) in the case of a permanent employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for a period of three months or for the remaining period of his service, whichever is less;

(b) in the case of a temporary employee, a sum equivalent to his salary (including all alownce) for a period of one month or for the remaining period of his service, whichever is less.

(3) An employee provisionally absorbed under sub-section (2) may be absorbed finally in the service if found suitable after screening in accordance with the instructions issued by the Registrar; and the services of any such employee as is not found suitable for absorption in the service shall stand determined with effect from the date of issue of orders in that behalf by the prescribed authority and until such authority is prescribed, by the officer specified by the Registrar in that behalf in such instructions and he shall be entitled to compensation as laid down in clause (a) or clause (b) of sub section (2) according as he was a permanent or a temporary employee.

सहकारी समितियों के कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए सहकारी संघ प्राधिकारी का संगठन या उसे मान्यता देना

123. (1) राज्य सरकार, सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के पर्यवेक्षण के लिये एक या अधिक सहकारी संघ प्राधिकारियों को ऐसी रीति से जो नियत की जाये और शर्तों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार आरोपित करे, संगठित कर सकती है, अथवा उसे या उन्हें मान्यता दे सकती है तथा ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों को नियत रीति से ऋण अथवा अनुदान दे सकती है।

(2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उपधारा (1) में उल्लिखित प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा समितियों के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में किये जाने वाले सम्भाव्य व्यय की पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिपूर्ति (Recoupment) करने के लिए प्रत्येक वर्ष ऐसी धनराशि का अंशदान करे जो निबन्धक द्वारा निश्चित की जाय।

(3) सहकारी समिति, जिस पर उपधारा (2) प्रवृत्त हो, ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों को ऐसे समय के भीतर, जो निबन्धक द्वारा निश्चित किया जाय, ऐसे अंशदान का भुगतान करेगी जो उक्त उपधारा के अधीन निश्चित किया जाय, और यदि उक्त समय के भीतर उक्त भुगतान न करे तो वह धनराशि प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा निबन्धक के माध्यम से उस जिले के, जिसमें बाकीदार सहकारी समिति का निबद्ध कार्यालय स्थित हो तो, कलेक्टर को अधियाचन करने पर मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) में उल्लिखित संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों का कोई अधिकारी या अधिकारीगण निबन्धक द्वारा सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा ऐसी सहकारी समिति या सहकारी समिति वर्ग या निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है या किये जा सकते हैं जिसका या जिनका पर्यवेक्षण उपधारा (1) के अ धीन संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों को सौंपा गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अधिकार अथवा ऐसे अधिकारी, ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने में निबन्धक के सामान्य पथ प्रदर्शन अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन काम करेंगे और निरीक्षण के परिणाम की सूचना निबन्धक को देंगे।

Constitution or recognition of co-operative federal authority to supervise working of co-operative societies

123. (1) The State Government may constitute or recognize one or more co-operative federal authorities, in such manner as may be prescribed and subject to such conditions as the State Government may impose, for the supervision of co-operative societies or a class of co-operative societies and may grant loans or subsidies to such authority or authorities in the manner prescribed.

(2) The State Government may, by general or special order, reguire a co-operative society or a class of co-operative societies to make contribution of such a sum every year as may be fixed by the Registrar, towards the full or partial recoupment of expenditure incurred or likely to be incurred in respect of supervision of societies by the federal authority or authorities mentioned in sub-section (1).

(3) A co-operative society to which sub-section (2) is applicable shall pay to such authority or authorities within such time as may be fixed by the Registrar, the contribution as may be fixed under the sub-section, and if it fails to make such payment within such time, the amount shall be recovered as arrears of land revenue on a requisition made by the authority or authorities through the Registrar to the Collector of the district in which the registered office of the defaulting co-operative society is situate.

(4) Any officer or officers of the federal authority or suthorities mentioned in sub-section(1) may be authorized by the Registrar by general or special order in writing to conduct inspection of a co-operative society or class of co-operative societies, the supervision of which has been entrusted to the federal authority or authorities under sub-section (1), provided that such officer or officers shall work under the general guidance,

superintendence and control of the Registrar in exercise of such powers and report the result of inspection to the Registrar.

निबन्धक तथा अधिकारी लोक सेवक होंगे

124. निबन्धक अथवा कोई व्यक्ति जो धारा 64 के अधीन लेखा-परीक्षण करने के लिए या धारा 65 के अधीन जांच करने के लिए या धारा 66 के अधीन निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत हो या जो निरीक्षण करने के लिए धारा 123 के अधीन प्राधिकृत हो, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का सदस्य जिस धारा 71 के अधीन कोई विवाद अभिर्दिष्ट किये जायें, अथवा न्यायाधिकरण का कोई सदस्य या परिसमापक या कोई व्यक्ति जो कुर्की और विक्रय के लिए धारा 93 के अधीन निबन्धक द्वारा प्राधिकृत हो इण्डियन पैनल कोड (एक्ट संख्या 45, वर्ष 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक (Public servant) समझे जायेंगे।

Registrar and other officers to be public servants

124. The Registrar, or any person appointed, or authorized to conduct audit unider Soction 64 or tohold enquiry under Section 65 or to make inspection under Section 66, or authorize under Section 123 to conduct inspection, an arbitrator or a member of the board of arbitrators to whom any disputer is referred under Section 71, or a member of the tribunal or a liquidator, or any person authorized by the Registrar under Section 93 to make attachment and sale [or any officer of co-operative society], shall be deemed to be public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code (Act XIV of 1860).

वसूली न किये जाने वाली परिसम्पत्तियों का बट्टे खाते में डाला जाना

125. सहकारी समिति निबन्धक के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी सम्पत्तियों को बट्टे खाते में डाल सकती है, जो अशोध्य हों, और वसूल न की जा सकती हो, प्रस्ताव प्राप्त होने के दिनांक से दो माह के अन्दर इसकी स्वीकृति निबन्धक द्वारा दी जायेगी अथवा अस्वीकृति की दशा में कारण सम्बन्धित समिति को संसूचित किया जायेगा।

Writing off of non-recoverable assets

125. A co-operative society may, with the previous approval of the Registrar, write off such of the assets as are bad and cannot be recovered.

The Registrar shall give his approval with two month from the date of the receipt of proposal or in case of the refection proposal, the reason thereof shall be communicated to the concerned society.

कतिपय मामलों में सहकारी समिति के संकल्पों को निष्प्रभाव करने या सहकारी समिति के किसी अधिकारी के आदेश को रद्द करने का निबन्धक का अधिकार

126. निबन्धक

(1) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या उसके सामान्य निकाय द्वारा पारित किसी संकल्प का निष्प्रभाव (Annul) कर सकता है; या

(2) सहकारी समिति के किसी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को रद्द कर सकता है;

यदि उसकी यह राय हो कि यथास्थिति, संकल्प या आदेश समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत नहीं है य अधिनियम, नियमों अथवा समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल है तदुपरान्त प्रत्येक संकल्प या आदेश शून्य (Void) तथा अप्रवर्ती (Inoperetive) हो जायेगा और समिति के अभिलेखों से निकाल दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध है है कि निबन्धक, कोई आदेश करने के पूर्व सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी सामान्य निकाय या अधिकारी से, ऐसी अवधि जो वह निश्चित करे किन्तु जो पन्द्रह दिन से कम होगी, के भीतर यथास्थित, प्रस्ताव पर या आदेश पर पुनर्विचार किए जाने की अपेक्षा करेगा, और यदि वह ठीक समझे तो ऐसी अवधि के दौरान उस प्रस्ताव या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकता है।

Registrar's power to annual resolution of a co-operative society or cencel order passed by an officer of a co-operative society in certain cases

126. The Registrar may-

(i) annul any resolution passed by the Committee of Management, or the general body of any co-operative society; or

(ii) cancel any order passed by an officer of a co-operative society;

if he is of the opinion that the resolution or the order, as the case may be, is not covered by the objects of the society, or is in contravention of the provisions of this Act, the rules or the bye-lews of the society, whereupon every such resolution or order shall become void and inoperative and be deleted from the records of the

society:

Provided that, the Registrar shall, before making any order, require the Committee of Management, general body or officer of the co-operative society to reconsider the resolution, or as the case may be, the order, within such period as he may fix but which shall not be less than fifteen days, and if he deems fit may stay the operation of that resolution or the order during such period.

Applicability- The Registrar can annual a resolution of the General body ifhe is of opinion that the resolution is in contravention of the provisions of the Act. A party aggrieved by such resolution is entitled to invoke the powers of the Registrar and request him to annul the resolution.

किसी सहकारी समिति को कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु ऋण वितरण का कार्य करने के लिए अनुज्ञा देने का निबन्धक का अधिकार

127. निबन्धक, बैंकिंग का कार्य करने वाली किसी सहकारी समिति या समितियों को कृषि एवं ग्राम्य विकास एवं सम्बद्ध क्रियाओं हेतु (जैसा अध्याय 16 में दिया हुआ है) ऋण वितरण का कार्य करने के लिए अनुज्ञा देने के निमित्त सक्षम होगा।

Registrar power to permit a co-operative society to function as an agency for disbursment of developmental Loans for Agriculture & Rural Development Schemes & Allied activities

127. It shall be competent for the Registrar to permit any co-operative society or societies carrying on the business of banking to disburse developmental loans for agriculture & Rural Development scheme & allied activities lald down in Chapter XVI.

नियम बनाने का अधिकार

128. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतया और उपधारा (1) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन बनाये जाने वाले नियमों से निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्याख्या की जा सकती है:-

1- प्रार्थी जिसको, और रीति जिसके अनुसार, सहकारी समिति को निबन्धित करने से इन्कार करने का आदेश निबन्धक द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सूचित किया जाये;

2- विषय जिनके सम्बन्ध में सहकारी समिति उपविधियां बनायेंगी या बना सकती हैं;

3- सहकारी समिति के दायित्व के स्वरूप तथा मात्रा में परिवर्तन की प्रक्रिया तथ शर्तें;

4- सहकारी समिति द्वारा उपविधियों के संशोधन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

5- प्रबन्ध कमेटियों का संगठन;

6- सहकारी समिति द्वारा ऐसी दूसरी सहकारी समिति की बैठक में, जिसकी वह सदस्य हो, उसका प्रतिनिधित्व करने तथा उसकी ओर से मत देने के लिए एक या अधिक सदस्यों की नियुक्ति;

7- साधारण सदस्यों के अधिकार और दायित्व तथा किसी ऐसी सहकारी समिति के जिसमें अन्य सहकारी समितियां भी उसकी सदस्य हों, सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी के संगठन में ऐसे सदस्यों का, जो व्यक्ति विशेष हों और अन्य सदस्यों का अनुपात;

8- यदि अंश एक से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से धारित हो तो मतदान करने का अधिकार;

9- किसी सदस्य द्वारा उसे व्यक्ति को नाम-निर्देशन की प्रक्रिया जिसे ऐसे सस्य की मृत्यु होने पर उसका अंश या हित संक्रमित किया जा सके या उसके मूल्य का भुगतान किया जा सके;

10- रीति जिसके अनुसार मृत या भूतपूर्व सदस्य के अंश का मूल्य निश्चित किया जायेगा और उसका भुगतान;

11- किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कर्मटी के सदस्यों और सभापति और उपसभापति का निर्वाचन, जिसमें क्षेत्रों का परिसीमन, महिलाओं और निर्बल वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण, निर्वाचन, विवादों का निपटारा और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में शुल्क का उद्ग्रहण भी सम्मिलित है;

11(अ) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में महिलाओं एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों को नामित करना;

12- सहकारी समिति की सामान्य बैठक या प्रबन्ध कमेटी के बैठक बुलाना और ऐसी बैठकों की गणपूर्ति तथा प्रक्रिया;

13- कमेटी को या निबन्धक द्वारा अवक्रान्त निलम्बित प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर नियुक्त प्रशासक अथवा प्रशासकों को देय पारिश्रमिक;

14– सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए अर्हताएं या अनर्हताएं;

15– सहकारी समिति के अधिकारियों का समिति के साथ संविदा में हितबद्ध होने पर निर्बन्धन;

16– सहकारी समितियों में राज्य सरकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागिता से सम्बद्ध विषय;

17– लाभांश और बोनस के भुगतान प्रयोजनार्थ शुद्ध लाभ में से बांटने से योग्य लाभ का अवधारण तथा समिति की निधियों का प्रदर्शन;

18– सहकारी विकास निधि की स्थापना तथा नियन्त्रण सहकारी समिति द्वारा अपने शुद्ध लाभ (Net Profit) से निधि में किया जाने वाला भुगतान और निधि के विनियोजन तथा उनके निस्तारण की रीति;

19– सहकारी समिति की निधियों के विनियोजन की और भविष्य निधि की स्थापना तथा उसके विनियोजन की रीति तथा शर्तें;

20– सहकारी समिति की रक्षित तथा अन्य निधियों का उद्देश्य उनका उपयोग और उनके विनियोजन की रीति;

21– सहकारी समिति के समापन होने पर उसकी रक्षित निधि तथा अतिरिक्त निधि (Surplus Fund) के निस्तारण की रीति;

22– सीमा तथा शर्तें जिसके अधीन रहते हुए सहकारी समिति निक्षेप (Deposit) और ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

23– सहकारी समिति द्वारा असदस्यों (Non members) के साथ व्यवहार करने पर निर्बन्धन;

24– सहकारी समिति द्वारा ऋण देने पर निबन्धन;

25– निक्षेप प्राप्त करने तथा नकद उधार देने वाली सहकारी समितियों द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले अस्थिर साधनों (Fluid resources) का स्वरूप तथा मानक;

26– लेखा परीक्षा का संचालन तथा सहकारी समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क का उदग्रहण;

27– इस अधिनियम के अधीन विभिन्न कार्यवाहियों में, जिनके अन्तर्गत निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के समक्ष अथवा न्यायाधिकरणों या प्राधिकारियों के समक्ष अपील और पुनर्विलोकन ग्रहण करने तथा उसका निस्तारण करने की कार्यवाहियां हैं, अनुसरण किये जाने वाली प्रक्रिया;

28– इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में लिये जाने वाले शुल्क तथा व्यय;

29– शर्तें जिनके अधीन रहते हुए सहकारी समिति की परिसम्पत्तियां परिसमापक में निहित होंगी तथा सहकारी समिति के समापन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

30– सहकारी समिति को प्राप्त या देय धनराशि की वसूली प्रक्रिया;

31– निर्णय के पूर्व कुर्की करने की रीति और इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में सम्पत्ति के विक्रय की प्रक्रिया;

32– न्यायाधिकरण के सदस्यों की अहर्ताएं;

33– सहकारी समिति का पता, निबन्धित करने की रीति;

34– सहकारी समिति द्वारा रखी जाने वाली लेखा बहियां तथा रजिस्टर और लेखा बहियों तथा रजिस्टरों में यथाविधि प्रविष्टियां किये जाने के लिए निर्देश देने का, निबन्धक का अधिकार;

35– कार्य के दौरान में सहकारी समिति द्वारा रखी गई बहियों में की गई प्रविष्टियों की और लेखों की प्रतिलिपियों के प्रमाणीकरण की रीति;

36– सहकारी समितियों द्वारा निबन्धक को प्रस्तुत किये जाने वाले विरण पत्र, प्रतिवेदन और विवरणियां;

37– इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में वकील के रूप में उपस्थित होने वाल व्यक्ति पर निर्बन्धन;

38– लेख्यों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां देने के लिए शुल्क का उद्ग्रहण;

39– केन्द्रीय बैंक द्वारा सहकारी समितर्यों से लिये जाने वाले ब्याजत की अधिकतम दर;

40– सहकारी समितियों से वसूल किये जाने वाले पर्यवेक्षण शुल्कों की अधिकतम दर;

41– अवैतनिक आयोजकों तथा अवैतनिक प्रबन्धकों के कर्तव्य तथा कृत्य और उनकी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों और अन्य सदस्यों को भत्ते तथा मानदेय का भुगतान;

42- अधिनियम तथा नियमों के अधीन संसूचित या प्रकाशित किये जाने के लिए, अपेक्षित किसी आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय को संसूचित या प्रकाशित करने की रीति; और

43- कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय अथवा जो नियत किये जाने के लिए अपेक्षित हो।

Power to make rules

128. (1) The State Government may make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the power under sub-section (1), the rules to be made under this section may provide for all or any of the following matters-

1- the applicant to whom, and the manner in which, the order refusing the registration of a co-operative society may be communicated by the Registrar under sub-section (2) of Section 7;

2- the matters in respect of which a co-operative society shall or may make bye-laws;

3- the provedure and conditions for change in the form and extent of the liability of a co-operative society;

4- the procedure to be followed for amendment of bye laws by a co-operative society;

5- Constitution committees of management;

6- the appointment of co-operative society of one or more of its members to respresent and vote on its behalf at a meeting or another co-operative society of which it is a member;

7- rights and liabilities of ordinary members and the proportion of members who are individuals and other members in the constitution of the general body or the committee of management of a co-operative society having other cooperative societies also in its membership;

8- the exercise of the right of vote where a share is held jointly by more than one person;

9- the procedure for the nomination by a member of a person to whom the share or interest of such member on his death may be transferred or the value thereof may be paid;

10- the mode in which the value of the share of a deceased or past member shall be ascertained and its payment;

11- the election of the members and Chairman and Vice-chairman of the Committee of Management of a co-operative society, including delimitation of constituencies, reservation of seats for women and members belonging to weaker sections, settement of election disputes, and levy of fees in respect of any such matter.

11. A- the nomination of women and members belonging to weeker sections in the committee of management of a co-operative society;

12- the calling of a general meeting or a meeting of the committee of the management o a co-operative society and the quorum and procedure at such meetings;

13- the remuneration payable to a committee or administrator or administrators appointed in place of a committee of management superseded or suspended by the Registrar;

14- the qualifications or disqualifications for membership of committee of management of a co-operative society;

15- the restrictions against officers of co-operative suciety being interested in contracts with the society;

16- the matters connected with the direct and indirect partnership of the State Government in co-operative societies;

17- determintion of distributable profits out of net profits for purposes of payment of dividend and bonus, and allocation to funds of a society;

18- the establishment and control of Co-operative Educaton Fund, payment to be made to the Fund by a co-operative society out of its net profits and the mode of investment of the fund and its disposal;

19- the mode and conditions of investment of funds of a co-operative society and of establishment and investment of Provident Fund;

20- the object of reserve and other funds of a co-operative society may receive deposits and take loans;

21- the mode of disposal of reserve funds of a co-operative society, their utilization and mode of investment:

22- the extent and conditions subject to which a co-operative society may reveive deposits and take loans;

23- the restrictions on transactions by a co-operative society with non members;

24- the restictions on grant of loans by a co-operative society;

25- the form and standard of sluid resources to be maintained by co-operative societies accepting deposits and granting cash credits;

26- conduction of audit and levy of audit fees on co-operative societies;

27- procedure to be followed in various proceedings under this Act including proceedings before the Registrar, an arbitrator or board of arbitrators or before tribunals or other authorities in entertaining and disposing of appeals and reviews;

28- the fees and expenses that may be charged in proceedings under this Act;

29- the conditions subject to which assets of a co-operative society shall vest in a liquidator and the procedure to be adopted in winding up of a co-operative society;

30- the procedure for recovery of amounts due or payable to a co-operative society;

31- the mode of making attachment before judgment and the procedure for sale of property in proceedings under this Act;

32- the qualifications of members of the Tribunal;

33- the manner of registering the address of a co-operative society;

34- the account books and registers to be kept by a co-operative society and power of Registrar to direct the account books and registeres to be written up;

35- the manner of certification of copies of entries in the biiks and of documents kept by a co-operative society in the course of business;

36- the statements, reports and returns to be furnished by co-operative societies to theRegistrar;

37- restriction on persons appearing as legal practitioners in proceedings under this Act;

38- inspection of documents and levy of fees for granting certified copies thereof;

39- the maximum rate of interest to be charged by a Central Bank from the Co-operative societies;

40- the levy of supervision fees to be realized from the co-operative societies;

41- duties and functions of honorary organizers and honorary managers and payments of allowances and honorarium to them and to the office-bearers, delegates and other members of co-operative societies;

42- method of communicationg or publishing any order, decision or award required to be communicated or published under the Act or the rules; and

43- the other matter which may be or is required to be prescribed.

वर्तमान समितियों तथा उनकी उपविधियों के सम्बन्ध में उपबन्ध

129. (1) प्रत्येक ऐसी सहकारी समिति के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक को विद्यमान हो तथा जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1955 अथवा उत्तरांचल राज्य में प्रचलित सहकारी समिति विषयक किसी अन्य विधि के अधीन निबन्धित हो, यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन निबन्धित है तथा सकी उपविधियां जहां तक वह इस अधिनियम (या इसके अधीन बनाये नियमों) के व्यक्त उपबन्धों से असंगत न हो, तब तक प्रचलित रहेंगी जब तक कि उन्हें (इस अधिनियम और इसके अधनी बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार) परिवर्तित या विखण्डित न कर दिया जाय,

(2) कोई सहकारी समिति जिस पर उपधारा (1) प्रवृत्त होती है और जो धारा 77 की अपेक्षाओं के अनुसार हो, अध्याय 11 के प्रयोजनों के लिए सहकारी कृषि समिति समझी जायगी,

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उन उपविधियों को इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों में असंगत हो, निकाल देगी या संशोधित कर देगी और इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखकर ऐसी और उपविधियां बनायेंगी जो आवश्यक हों,

(4) किसी सहकारी समिति की ओर से उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित कार्य न किये जाने पर निबन्धक समिति की उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर सकता है, जिसके अन्तर्गत उसमें से उपविधियों का निकाला जाना और उसमें उपविधियों का बढ़ाया जाना भी है,

(5) प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त

अवधि के भीतर जिसकी अनुज्ञा निबन्धक, कारणों को अभिलिखित करके, किसी सहकारी समिति या, सहकारी समिति के किसी वर्ग को दे, अपनी सदस्यता का समायोजन इस अधिनियम के अधीन सदस्यों के वर्गीकरण के अनुसार करेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वर्तमान सदस्यों के सम्बन्ध में जिसका समायोजन किसी प्रकार की सदस्यता में नहीं किया जा सकता, एक वर्ष की अवधि या बढ़ाई गयी अवधि, यदि कोई हो, के व्यतीत होने पर यह समझा जायेगा कि उसने समिति की सदस्यता छोड़ दी है और उसके वही अधिकार तथा दायित्व होंगे मानो उसने इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व सदस्यता छोड़ दी हो।

(6) यदि सहकारी समिति उपधारा (5) में निर्दिष्ट सदस्यता का समायोजन करने में चूक करे तो निबन्धक समायोजन कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि वर्तमान सदस्यों में से किन सदस्यों के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, यह समझा जायेगा कि उसने उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन अपनी सदस्यता छोड़ दी है।

(7) प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपनी प्रबन्ध कमेटी संघटित करेगी और उसके ऐसा न करने पर निबन्धक, नियत रीति से कमेटी संघटित करेगा।

(8) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सहकारी समिति या उसकी प्रबन्ध कमेटी का कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैध न होगी अथवा उस पर न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी कि इस धारा के उपबन्धों के अनुसार सदस्यता समायोजन या प्रबन्ध कमेटी के पुनः संघटन के समय तक समिति की सदस्यता या उसकी प्रबन्ध कमेटी का संघटन इस अधिनियम या नियमों के उपबन्धों से असंगत था।

Provisions in regard to existing societies and their bye-laws

129. (1) Any co-operative society existing on the date of coming into force of this Act and registered under the U.P. Co-operative Societies Act. 1965 or under any other law relating to co-operative societies in force in the State of Uttaranchal shall be deemed to be registered under this Act, and its bye-laws shall, so for as the same are not inconsistent with the express provisions of this Act (or the rules made thereunder), continue in force unitil allered or rescinded according to the provisions of this Act (and the rules made thereunder).

(2) Any co-operative society to which sub-section (1) applies and which conforms to the requirements of Section 77 shall be deemed to be a co-operative farming society for the purposes of Chapter XI.

(3) Every co-operative society covered by sub-section (1) shall, within a period of one year from the date of coming into force of this Act, delete or amend such bye-laws as are inconsistent with the provisions of this Act and the rules and shall make such further bye-laws as may be necessary having regard to the provisions of this Act and the rules.

(4) In default of action on the part of any co-operative society as required by sub-section (3), the Registrar may make necessary amendment including deletions and additions in the bye-laws of the society.

(5) Every co-operative society shall within a period of one year form the date of coming into force of this Act or such further period as the Registrar may, for reassons to be recorded in wirting, allow for any co-operative society, adjust its membership according to the classification of members under this Act:

Provided that any existing member who cannot be adjusted into one or the other kinds of memberships shall be deemed on the expiry of the period of one year or the extended period, if any, to have withdrawn from the membership of the society with thew same rights and liabilities attached as if he had withdrawn from membership before the coming into force of this Act.

(6) Where a co-operative society fails to adjust membership as specified in sub-section (5), the Registrar may make the adjustment and direct as to who, if any, of the existing members shall be deemed to have withdrawn their membership under the provisions of sub-section(5).

(7) Every co-operative society shall within one year of the coming into force of this Act constitute its committee of management in accordance with the provisions of this Act and the rules and in default thereof the Registrar shall in the manner prescribed constitute the committee of management.

(8) Notwithstanding anything in this Act no act or proceeding of a co-operative society or its committee of management shall be invalid or questioned in court merely on the ground that up to the time of adjustment of membership or re-constitution of the committee of management in accordance with the procisions of this section the membership of the society or the constitution of its committee of management was inconsistent

with the provisions of this Act or the rules.

वर्तमान समितियों के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध

130. (1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन संस्थित या प्रारम्भ किये गये किसी वाद, अन्य कार्यवाही, जांच या निरीक्षण के सम्बन्ध में, जहां तक सम्भव हो, यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन संस्थित या प्रारम्भ किया गया है और तदनुसार जारी रखा जा सकता है।

(2) जिसे ऐसे अधिकार, कृत्य या कर्तव्य का प्रयोग, संपादन या निर्वहन इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन उस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित प्राधिकारी से भिन्न हो, उस समय तक, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उक्त प्राधिकारी का संघटन या उसकी नियुक्ति न हो जाय, ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाता रहेगा जो अब तक उक्त अधिकार, कृत्य या कर्तव्यों का प्रयोग सम्पादन अथवा निर्वहन करता रहा हो और निबन्धक को इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के शीघ्र संघटन या नियुक्ति के लिए नियत नीति से कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

Other provisions in regard to existing societies

130. (1) Any suit, other proceeding, enquiry or inspection instituted or commenced under the U.P. Co-operative Societies Act 1965, shall so far as may be, be deemed to have been instituted or commenced under this Act and may be continued accordingly.

(2) Any power, function or duty required to be exercised, performed or discharged under this Act by an authority different from the authority provided for that purpose under the U.P. Co-operative Societies Act 1965,shell until such authority is constituted or appointed under this Act, continue to be exercised, performed or discharged by the Registrar who will have the power to take measures in the manner prescribed for the early constitution or appointment of the authority under this Act.

कठिनाइयों के निवारण का अधिकार

131. (1) राज्य सरकार समय-समय अधिसूचना द्वारा, ऐसे अनुषांगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये उपबन्धों के नियमों के अधीन निर्वाचन से सम्बन्धित किसी मामले में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश यथासम्भव शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

Power to remove difficulties

131. (1) The State Government may from time to time, by notification make such incidental and consequential order as may appear to it to be necessary or desirable for the removal of any difficulty in any matter under the provisions of this Act or rules made thereunder.

(2) An order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before the House of the State Assembly.

निरसन संशोधन तथा अधिनियमितियों का अन्वय लगाना

132. (1) उत्तरांचल में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एतद्द्वारा निष्प्रभावी किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश जनरल क्लाजेज एक्त, 1904 (यू0पी0 एक्ट सं0 1, वर्ष 1904) की धारा 6 तथा 24 के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के निरसन पर प्रवृत्त होंगे।

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के प्रति अभिदेश जो किसी ऐसी अधिनियमिति में आये हों जिसे भारत के किसी प्राधिकारी ने बनया हो और जो तत्समय उत्तरांचल राज्य में प्रचलित हो, उक्त राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के संगत उपबन्धों के अभिदेश समझे जायेंगे।

Repeals, amendment and construction of enactments

132. (1) The Co-operative Societies Act 1965 amended from time to time in its application to Uttaranchal is hereby repealed and the provisions of Section 6 and 24 of the U.P. General Clauses Act 1904 (U.P. Act I of 1904), shall apply to the repeal of the U.P. Co-operative Societies Act 1965.

(2) All reterences to U.P. Co-operative Societies Act 1965, occurring in any enactment made by any authority in India and for the time being in force in the State of Uttaranchal shall, in its application to the said State, be construed as reference to the relevant procisions of this Act.

अध्याय–16
कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु अवधि ऋण
CHAPTER - XVI
TERM LOANS FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु अवधि ऋण का वितरण

133. यह अध्याय उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु वितरित किये जाने वाले अवधि के वितरण पर लागू होगा।

स्पष्टीकरण–

वाक्यांश 'कृषि एवं ग्राम्य विकास' का अर्थ कृषि एवं विकास सम्बन्धी किसी कार्य निर्माण अथवा क्रिया से है जिसके अन्तर्गत निम्न सम्मिलित होंगे:–

(1) कुंओं और ट्यूब वेलों का निर्माण
(2) आयल इंजन, पम्पसेट एवं इलैक्ट्रिक मोटर साहित मशीनरी की स्थापना।
(3) पावर टिलर्स एवं ट्रैक्टर्स की खरीद।
(4) पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग जैसे– दूध देने वाले जानवरों का क्रय, शंकर प्रजनित बछिया पालन, गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर तथा कुक्कुट पालन एवं बैलों की खरीद, अंगोरा खरगोश, यातायात, पर्यटन, जड़ी–बूटी संकलन, कृषिकरण।
(5) उद्यानीकरण।
(6) वनीकरण।
(7) मछली पालन सहित मत्स्य पालन एवं उससे सम्बन्धित एवं सहायक सभी क्रियाओं समेत।
(8) रेशम विकास।
(9) बायोगैस प्लान्ट्स।
(10) कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना।
(11) ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन–निर्माण।
(12) अन्य ऐसे प्रयोजन जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा कृषि एवं ग्राम्य विकास प्रयोजन घोषित करे।
(13) कृषि एवं ग्राम्य विकास की सभी नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट) द्वारा अनुज्ञात एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य क्रिया–कलाप।

Advancement of Term Loans for Agriculture & Rural Development

133. This Chapter shall apply to advancement of Term loans for Agriculture & Rural Development by the Uttaranchal State Co-operative Bank-

Explanation - Expression Agriculture & Rural Development wil mean any work, construction or activity pertaining to Agriculture & Rural Development which uncludes the following-

(1) Construction of wells & Tubewelis.
(2) Installation of Machinery including oil Engines, Pumpsets & Electric Motors.
(3) Purchase of Tractors and Power Tillers.
(4) Animal Husbandry & dairy farming such as purchase of Milch Cattle breeding, sheep and Goat rearing, Piggery, poultry farming and puchase of Rabit and transportation bulks & Mules.
(5) Horticulture and Herbs.
(6) Forestry.
(7) Pisciculture, including fisheries and all activities connected therewith or incidental therets.
(8) Serculture.
(9) Bio-gas Plants.
(10) Setting up of cottage and village industries.
(11) Construction of Dwelling houses in Rural Areas.

(12) Such other purposes as the State Government may, form time to time, by notification in the official Gazette declare to be Agricultural or Rural Development purposes &

(3) All other activities of Agriculture & Rural Development permitted by the NABARD and approved by the State Government.

कृषि एवं ग्राम्य विकास ऋण वितरण की कार्यविवि, सीमा तथा प्रतिभूति

134. कृषि एवं ग्राम्य विकास ऋण वितरण की सीमा, कार्यविधि, इस अध्याय के अन्तर्गत ऐसी होगी जैसा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा धारा- 135 उल्लिखित न्यासधारी के परामर्श से समय-समय पर निर्दिष्ट की जाय। ऋणों का वितरण अचल सम्पत्ति के बंधक अथवा प्रभार या चल सम्पत्ति के दृष्टिबंधक अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूति पर किया जाएगा।

Procedure of Advancement of Agriculture & Rural Development Loans, extent & Security

134. Extent & procedure of disbursement of Agriculture & Rural Development Loans under this chapter will be such as specified by the Committee of Management of Uttaranchal State Co-operative Bank from time to time in consultation with Trustee as referred to in section 135. Loans will be advanced against the mortgage of or the charge on immovable property or on hypothecation of movable property or against the guarantee of the State Government

न्यासधारी की नियुक्ति

135. निबन्धक सहकारी समितियां या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी ऋण-पत्र धारियों के प्रति उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा जारी ऋण-पत्रों के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यासधारी होगा।

Appointment of Trustee

135. Registrar, Co-operative Societies or any other officer appointed by the State Government shall be the trustee for the purposes of securing the fuifilment of the obligations of the Uttaranchal State Co-operative Bank to the holders of debentures issued by the Bank.

न्यासधारी के अधिकार एवं कृत्य

136. न्यासधारी के अधिकार और कृत्य इस अध्याय के उपबन्धों तथा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक न्यासधारी के मध्य निष्पादित न्यास संलेंख द्वारा, जैसा कि वह उनके मध्य परस्पर अनुबन्ध द्वारा और राज्य, सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर परिष्कृत या प्रतिस्थापित हो, शासित होंगे।

Powers & Functions of Trustee

136. The powers and functions of the trustee shall be govermed by the provisions of this chapter and by the insturment of Trust executed between Uttaranchal State Co-operative Bank and the Trustee as modified or substituted from time to time by their mutual agreement with the approval of State Government.

न्यासधारी एक एकल निगम होगा

137. धारा 135 के अधीन नियुक्त न्यासधारी के नाम से एक एकल निगम होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा और एक सामान्य मुहर होगी। वह अपने निगमित नाम से उसके विरूद्ध वाद चलायेगा और उसी नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जाएगा।

Trustee to be a corporation sole

137. The Trustee appointed under Section 135 shall be a corporation sole by the name of the Trustee and shall have perpetual succession and a common Seal and in his corporate name may sue and be sued.

ऋण-पत्रों का जारी किया जाना

138. (1) राज्य सरकार और न्यासधारी की पूर्व स्वीकृति से और ऐसी शर्तो और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक समय-समय पर, मूलधन का पूरा प्रतिदान करने और उसके ब्याज का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति पर अंशतः धृत और अंशतः अर्जित किये जाने वाले बन्धक, प्रभार या दृष्टिबन्धक की अन्य सम्पत्तियों की, प्रतिभूति पर एक या अधिक अभिधानों के ऋण-पत्र ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जिसे दृष्टिकर समझे, जारी कर सकता है।

(2) ऐसे ऋण-पत्रों में ऐसी शर्त रखी जा सकती है जिसके जारी किए जाने के दिनांक से बीस वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि निश्चित की जाय जिसमें बैंक के लिए यह अधिकार रक्षित रखा जाय कि वह सम्बन्धित ऋण-पत्र धारी को कम से कम तीन मास की लिखित नोटिस देने के पश्चात किसी ऋण-पत्र को उनके विमोचन के लिए निश्चित दिनांक से पूर्व

किसी भी समय प्रत्याहृत कर ले।

(3) उपधारा (1) के अधीन बैंक द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों पर देय धनराशि कुल मिलाकर निम्नलिखित धनराशि के योग से अधिक न होगी:-

(क) बन्धक या प्रभार या दृष्टिबन्धक पर देय धनराशियों और उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की अन्य परिसम्पतियों का मूल्य,

(ख) ऋण-पत्रा मोचन-निधि में संचयन,

(ग) हस्तस्थ रोकड़ और बैंकों में अतिशय और सामान्य निधियों के अधीन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य बाजार मूल्य, जो भी कम हो, और

(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित धनराशि का ऐसा प्रतिशत जो नियत किया जाय।

Issue of Debentures

138. (1) With the previous sanction of the State Government and the Trustee and subject to such terms and conditions as the State Government may impose, Uttaranchal State Co-operative Bank may from time to time, issue debentures of one or more denominations, for such period or periods as it may dem expedient, against the guarantee by the State Government for repayment in full of the principal and payment of interest thereon or on the security of mortgages, charge or hypothecations party held and partly to be acquired and the properties and other assets of the bank.

(2) Such debentures may contain a term fixing a period not exceeding Twenty years from the date of issue during which period they shall be irredeemable, reserving to the Bank the right to call in at any time any of the debentures in adbance of the date fixed for redemption, after giving to the debenture-holders concerned not less that three months notice in writing.

(3) The total amount due on debentures issued by the Bank under sub-section (1) outstanding at any time shall not exceed the aggregate of-

(a) the amounts due on the mortgages or charges on hypothecation and other assets of Uttaranchal State Co-operative Bank.

(b) the accumulations in the Debenture Redemption Fund;

(c) the cash in hand and the balances with the banks and the book value or market value of securities under general funds, whichever is less; and

(d) such percentage of the amounts mentioned in clauses (a), (b), and (c) as may be prescribed.

न्यासधारी में सम्पत्ति का निहित किया जाना और परिसम्पत्तियों पर ऋण-पत्र धारियों का प्रभार

139. धारा 138 के अधीन ऋण-पत्र जारी होने पर, राज्य सरकार की प्रत्याभूति के अधीन फायदा और उक्त धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट और बैंक द्वारा धृत बंधक ग्रस्त सम्पत्तियां और अन्य परिसम्पत्तियां न्यासधारी मं निहित होंगी और ऋण पत्रधारी राज्य सरकार की प्रत्याभूति के फायदे के हकदार होंगे और उनका ऐसे समस्त बन्धकों और परिसम्पतियों और ऐसी प्रत्याभूति या बधकों के अधीन भुगतान कीगई और उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक या न्यासधारी के पास शेष धनराशियों पर चल प्रभार होगा।

Vesting of property in Trustee and debenture holders charge on the assets

139. Upon the issue of debentures under section 138 the benefit under the State Government guarantee and the mortgaged properties and other assets referred to in sub-section (3) of the said section and held by the Bank, shall vest in the Trustee and the holders of the debentures shall be entitled to the benefit of the guarantee of the State Government and shall also have a floating charge on all such mortgage and assets and amounts paid under such guarantee or mortgages and remaining in the hand of the Uttaranchal State Co-operative Bank or of the Trustee.

ऋण-पत्रों का मूलधन और उनका ब्याज राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होना

140. (1) धारा 138 के अधीन जारी किये गये ऋण-पत्रों का मूलधन तथा उनका ब्याज ऐसी अधिकतम धनराशि तक जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियत की जाय, तथा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो वह उसमें आरोपित करना उचित समझे, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा।

(2) राज्य सरकार ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो नियत की जाये उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ा सकती है।

Guarantee by State Government of Principal and interest on debentures

140. (1) The Principal of and interest on the debentures issued under Section 138 shall in respect of such maximum, amount as may be fixed by the State Government in this behalf, and subject to such conditions as it may think fit to impose therein, carry the guarantee of the State Government.

(2) The State Government may, subject to such conditions as may be prescribed increase the maximum amount of any guarantee given under sub-section (1)

सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से धन उधार लेना

141. इस अधिनियम के किसी बात के होते हुए भी, बैंक, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट या ऐसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से जैसा न्यासधारी द्वारा अनुमोदित किया जाय, धन उधार ले सकती है।

Borrowings from Govt. & Other Financial Institutions

141. Notwithstanding anything contained in this Act, the Bank may borrow money from the State Government or Govt. of India or National Bank for Agrucultural & Rural Development & other financial institutions, as may be approved by the Trustee.

कुछ दावों पर बन्धक की पूर्वता

142. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी भी बन्धक या सृजित किसी भी प्रभारत का किसी ऐसे ऋण से, जो उक्त बन्धक के निष्पादन या प्रभारत के सृजन के पश्चात दिया गया हो, उत्पन्न सरकारी दावे पर पूर्वता प्राप्त होगी।

Priority of mortgage over cartain claims

142. A mortgage executed in favour of the Uttaranchal State Co-operative Bank after the introduction of this Chapter under the Act shall have priority over any claim of the Government arising from a long granted, after the execution of such mortgage, or creation of such charge.

उत्तरांचल राज्य सरकारी बैंक का बन्धकग्रस्त सम्पत्ति क्रय करने का अधिकार

143. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के लिए अधिनियम के अधीन बेची गयी किसी सम्पत्ति को क्रय करना विधि पूर्ण होगा, और ऐसा बैंक इस प्रकार क्रय की गयी सम्पत्ति का ऐसी अवधि के भीतर जो न्यासधारी द्वारा निश्चित की जाय, विक्रय करके निस्तारण करेगा।

(2) तत्समय प्रचलित किसी भी अन्य विधि में दी गई कोई भी बात जिसमें कृषि जोत या अन्य अचल सम्पत्ति की अधिकतम सीमा नियत की गई हो, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा उपधारा (1) के अधीन भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति के अर्जन पर प्रवृत्त न होगी।

(2)क. यदि बैंक की उपधारा (1) के अधीन अर्जित किसी भूमि को उसके विक्रय होने तक पट्टे पर देना हो तो पट्टे की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी पट्टेदार उस सम्पत्ति में कोई अन्य हित अर्जित नहीं करेगा।

Right of Uttaranchal State co-operative Bank to purchase mortgaged property

143. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, it shall be lawful for uttaranchal State co-operative Bank to purchased shall be disposed of by such bank by sale within such period as may be fixed by the Trustee.

(2) Nothing in any other law for the time being in force, fixing a maximum limit of agricultural holding shall apply to the acquisition of land or other immovable property by Uttaranchal State Co-operative Bank under sub-section (1).

(2-A) If the bank has to lease out any land acquired by it under sub-section (1) pending sales thereof the period of lease shall not exceed one year at a time and the lessee shall not acquire any other interest in that property, notwithstanding any provisions to the contrary in any other law for the time being in force.

विक्रय के अधिकार का प्रयोग कब किया जायेगा

144. (1) ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट, 1882 (एक्ट संख्या 4, वर्ष 1882) में किसी बात के होते हुए भी यदि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय का अधिकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व या उसके पश्चात की गयी प्रभार की घोषणा या निष्पादित बन्धक विलेख द्वारा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को स्पष्ट रूप में प्रदान किया गया हो तो ऐसे बैंक की प्रबन्ध

समिति को अथवा ऐसी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, बन्धक या प्रभार के अधीन बकाया धन या उसके किसी भाग का भुगतान न होने की दशा में उक्त बैंक को उपलब्ध किसी अन्य प्रत्युत्पाय के अतिरिक्त बन्धक ग्रस्त या प्रभारित सम्पत्ति को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करने का अधिकार होगा।

(2) ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि–

(क) एक लिखित नोटिस जिसमें ऐसे बन्धक धन या उसके अंश के भुगतान की अपेक्षा की गई हो, निम्नलिखित पर तामिल न कर दिया गया हो–

(i) बन्धककर्ता या बन्धककर्ताओं में से प्रत्येक;

(ii) कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बैंक की जानकारी में बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके उन्मोचन के अधिकार में कोई हित हो अथवा उस पर कोई प्रभार हो;

(iii) बन्धक–ऋण या उसके किसी अंश के भुगतान के लिए कोई प्रतिभूति;

तथा

(iv) बन्धककर्ता का कोई ऋणदाता जिससे अपनी सम्पदा के प्रशासन से सम्बन्धित किसी वाद में बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के लिए डिक्री प्राप्त कर ली हो।

(ख) ऐसी तामील से तीन महीने के पश्चात उक्त बन्धक धन अथवा उसके अंश के भुगतान में चूक न की गयी हो, और

(ग) बैंक के खण्ड (क) में उल्लिखित बन्धकर्ता या अन्य किन्हीं व्यक्तियों की आपत्तियों को यदि कोई हो, सुनने के पश्चात ऐसे अधिकार के प्रयोग को प्राधिकृत न कर दिया हो।

(3) इस धारा के अधीन विक्रय ऐसी रीति से किया जायेगा जो नियत की जाये।

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन बेची गई कोई सम्पत्ति बन्धक या प्रभार करने वाले व्यक्ति के या उत्तरांचल राज्य सरकारी बैंक के पक्ष में ऐसे बन्धक रखे जाने के या प्रभारत सृजन के पश्चात् के हक या दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो तो कलेक्टर क्रेता के प्रार्थना–पत्र पर ऐसे क्रेता या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति को सम्पत्ति पर अध्यासित कराकर कब्जा दिये जाने का आदेश देगा।

(5) इस धारा के अधीन कृषि जोत य अन्य अचल सम्पत्ति उसमें किसी हित का विक्रय उत्तरांचल में तत्समय प्रचलित भूमि अधिनियम के अधीन होगा।

Powers of sale when to be exercised

144. (1) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act 1882, where a power of sale without the intervention of court is expressly conferred on Uttaranchal State Co-operative Bank by a declaration of charge made or mortgage deed executed before or after the commencement of this Act, the managing committee of the bank or any person authorized by such committee in this behalf shall, in case of default in payment of the money due under the mortgage or charge, or any part thereof, have power, in addition to any other remedy available to the bank, to sell the propert (subject to any mortgage or charge) without the intervention of Court.

(2) No such power shall be exercised unless-

(a) a notice in writing requirig payment of such money has been served upon-

(i) the mortgagor or each of the mortgagors;

(ii) any person who has to the knowledge of the bank any interest in or charge upon the property mortgaged or right to redeem the same;

(iii) any surety for the payment of the mortgage debt or any part thereof; and

(iv) any creditor of the mortgagor who has in a suit for the administration of his estate obtained a decree for sale of the mortgaged property;

(b) defeult in payment of such mortgage money or part thereof continused beyond three months after such service and

(c) the Bank has after hearing the objcetion if any, of the mortgagor or any other person mentioned in clause (a) authorized the expercise of such power,

(3) A sale under this dection shall be conducted such manner, as may be prescribed.

(4) Where any property sold under this Act, is in the occupancy of any person creating mortgage or charge or of some person on this behalf. or some person claiming title subsequent to the creation of such mortgage or charge in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank, the collector shall on the application of the purchaser order delivery to be made by putting such purchaser or any person appointed by him in this behalf, in possession of the property.

(5) A sale under this dection of an agricultural holding or any other immovable property or any interest therein shall be subject to the provisions of Land Law prevailling in Uttaranchal State.

बन्धकग्रस्त सम्पत्ति नष्ट होने अथवा प्रतिभूति अपर्याप्त होने पर उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के अधिकार

145. यदि उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पास बन्धक रखी गई कोई सम्पत्ति पूर्णत: अथवा अंशत: नष्ट हो जाती है अथवा प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाय और बन्धककर्ता को उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी द्वारा इस बात का समुचित अवसर दिये जाने के बाद व इतनी और प्रतिभूति की व्यवस्था करें कि प्रतिभूति पर्याप्त हो जाये या वह ऋण के उतने अंश का प्रतिदान करें जो बैंक अवधारित करे, वह उक्त प्रतिभूति की व्यवस्था न करे या ऋण के उक्त भाग का प्रतिपादन न करे तो सम्पूर्ण ऋण तुरन्त देय समझा जायेगा, और बैंक बन्धककर्ता के विरूद्ध इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन अधीन उसकी वसूली के लिए कार्यवाही करने की हकदार हो जायेगी।

स्पष्टीकरण:–

इस धारा के अर्थ में प्रतिभूति तब तक अपर्याप्त मानी जायेगी जब तक बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य बन्धक के सम्बन्ध में तत्समय देय धनराशि से उस अनुपात में अधिक न हो तो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के विनियमों तथा उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाय।

Power of Uttaranchal State Co-operative Bank where mortgaged property is destroyed or security becomes insufficient

145. Where any property mortgaged to Uttaranchal State Co-operative Bank is wholly or partially destroyed or the security is rendered insufficient and the mortgagor, having been given a reasonable opportunity by the managing committee of Uttaranchal State Co-operative Bank of providing further security so as to ender the security sufficient or of repaying such portion of the loan as may be deternmined by the committee, has failed to provide such security or to repay such portion of the loan, the whole of the loan shall be deemed to fall due at once and the committee shall be entitled to take action against the mortgagor under this Act or any other law for the time being, in force for the recovery thereof.

Explanation- A security shall be deemed in sufficient within the meaning of this section if the value of the mortgaged property does not exceed the amount for the time being due on the mortgage by such proportion as may be specified in the fules of the regfulations made by the uttaranchal state Co-operative Bank.

अनियमितता आदि के आधार पर क्रेता के आगम पर आपत्ति नहीं की जायेगी

146. यदि धारा 144 के अधीन विक्रय के अधिकार का प्रयोग अथवा अभिप्रेत प्रयोग करके कोई सम्पत्ति बेची जाय तो क्रेता के आगम पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि:–

(क) विक्रय का अधिकार देने के लिए अपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थी, अथवा

(ख) विक्रय का यथोचित नोटिस नहीं दिया गया था, अथवा

(ग) विक्रय के अधिकार का अन्य प्रकार से अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग किया गया था, किन्तु किसी व्यक्ति की जिसे किसी ऐसे अधिकार के अनाधिकृत अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग से कोई क्षति पहुंची हो, उत्तरांचल राज्य सहाकरी बैंक के विरुद्ध क्षति मूल्य का दावा करने का अधिकार होगा।

Title of purchaser not to be questioned on grounds of irregularity etc.

146. Where any property is sold in the exercise or purported exercise of a power of sale under section 144, the title of the purchaser shall not be questioned on the ground that-

(a) the circumstances required for authorizeing the sale had not arisen, or

(b) due notice of the sale was not given, or

(c) the power of sale was otherwise improperly or irregularly exercised; but any person who has suffered any damage by an unauthorized, improper or irregular exercise of any such power shall have the right to claim

damages against the Uttaranchal State Co-operative Bank.

बन्धककर्ता के ऋण शोधाक्षम हो जाने के आधार पर निष्पादित बन्धक पर आपत्ति नहीं की जायेगी

147. ऋण शोध क्षमता से सम्बन्धित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह मूल्यवान प्रतिफल के लिए सद्भावना से निष्पादित नहीं किया गया था या कि वह बन्धककर्ता के अन्य ऋण दाताओं पर उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को अधिमान देने के लिए निष्पादित किया गया था।

Mortgage not to be questioned on insolvency of mortgagor

147. Notwithstanding anything contained in any law relating to insolvency, a mortgage executed in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank shall not be called in question on the ground that it was not executed in good faith for valuable consideration or on the ground that it was executed in order to give the Uttaranchal State Co-operative Bank a preference over other creditors of the mortgagor.

प्रापक की नियुक्ति तथा उसके अधिकार

148. (1) बैंक स्वतः उन परिस्थितियों में जिनमें धारा 144 के अधीन विक्रय के अधिकार का प्रयोग न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता हो, बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग के लिए लिखित रूप में एक प्रापक नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा प्रापक, सम्पत्ति पर कब्जा करके और उसकी उपज तथा आय को संग्रहीत करके अपने द्वारा वसूल किये गये धन से अपना प्रबन्ध व्यय, जिसमें उसका बैंक द्वारा निश्चित किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, सम्मिलित है- काट लेने और अवशिष्ट धनराशि को ट्रान्सफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट, 1882 की धारा 69-ए की उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार जहां तक वे लागू हों, उपयोग करने का हकदार होगा।

(2) बैंक स्वतः अथवा बन्धककर्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर उप धारा (1) के अधीन नियुक्ति प्रापक को हटा सकती है।

(3) प्रापक के पक्ष में हुई रिक्ति की पूर्ति मण्डल द्वारा की जा सकती है।

(4) इस धारा के किसी बात से बैंक को उस दशा में प्रापक नियुक्त करने का अधिकार न होगा जब बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति पहले से ही दीवानी न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक के कब्जे में हो।

Appointment of receiver and his powers

148. (1) The Bank may on its own motion under circumstrances in which the power of sale without the intervention of court may be exercised under section 145 by the Bank, appoint in writing, a receiver of the mortgaged property or any part thereof and such receiver shall be entitled totake possession of the property, to collect its produce and income, to retain and money realized by him for the expenses of managaement including his remuneration, if any, as fixed by the Bank, and to apply the balance in accordance with the provisions of sub-section (8) of Section 69-A of the Transfer of Property Act, 1882 so far as applicable.

(2) The Bank may, either on its own motion or on an application made by the mortgagor, remove a receiver appointed under sub-section (1).

(3) A vacancy in the office of the receiver may be filled up by the Bank.

(4) Nothing in this sectio shall empower the Bank to appoint a receiver where the mortgaged property is already in possession of a receiver appointed by a civil court.

अनन्तणीय अधिकार वाले कृषकों को अन्तरणीय अधिकार निहित करना

149. राज्य सरकार उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, समस्त भूमिधरों को, और सरकारी पट्टेदारों को उनके खाते के अधीन घृत भूमि में, या ऐसी भूमि में किसी हित में, अन्तरण के अधिकार जिसमें ऐसी भूमि या हित के सम्बन्ध में उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में प्रभार या बन्धक करने का अधिकार सम्मिलित है, निहित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर ऐसे भूमिधर और सरकारी पट्टेदार को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा, ग्रांट या अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के या रूढ़ी या परस्परा के होते हुए भी अधिसूचना के निबन्धनों के अनुसार अन्तरण का अधिकार होगा।

Vesting of right of allenation on agriculturists not having such rights

149. The State Governmentmay, by notification, vest, subject to such restrictions as may be specified in the notification all bhumidhars with transferabe rights and the Government lessees, with rights of alienation in land held under their tenure or any interest in such land including the right to create a charge on mortgage

on such land or interest in favour of Uttaranchel State Co-operative Bank for the purpose of obtaining loan from the bank and upon the issued of such notification, such bhumidhars and Government lessees shall notwithstanding any thing contained in any law for the time being in force or any custom or tradition, have a right of alienation in accordance with the terms of the notification.

उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में प्रभार का सृजन

149. (क) (1) कोई व्यक्ति जो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से अपनी चल सम्पत्ति को गिरवी रखकर वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो सम्यक रूप से स्टाम्पित-पत्र पर लिखित घोषणा कर सकता है कि वह उसके द्वारा ऐसे बैंक में ऐसी सम्पत्ति को दृष्टि बन्धक रख सकता है।

(2) जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मूल्य की सम्पत्ति न हो, तब ऐसे बैंक द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो जैसी नियत की जाय बैंक के संतोषानुसार (जामेनदार) प्रस्तुत करने का वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा सकती है।

(3) इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन लिए गये प्रभारों और रखे गये बन्धकों के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन दृष्टि बन्धक रखे गये चल सम्पत्ति पर लागू नहीं होगा।

Creation of charge in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank

149-A (1) A person desirous of securing financial assistance from Uttaranchal State Co-operative Bank by hypothecation of movable property owned by him may make a declaration in writing on a duly stamped paper that he thereby hypothecates such property in favour of the Bank.

(2) When a person desirous of securing financial assistance from Uttaranchal State Co-operative Bank does not posses property of sufficient value to secure the loan financial assistance may be provided to him by the bank on furnishing sureties to the satisifaction of the bank subject to such condition if any, as may be prescribed.

(3) The Provisions of this Act and rules mde thereunder relating to charge and mortgage made under this Act shall mutatis mutandis apply to hypothecation of movable property made under this Act.

बन्धकग्रस्त एवं प्रभारित सम्पत्ति को पट्टे पर देने या उस पर अन्य अधिकार
सृजित करने के बन्धककारित अधिकार

150. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी ऐसी कोई सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में कोई प्रभार, दृष्टिबन्धक या बन्धक किया गया हो, प्रभार, दृष्टिबन्धक या बन्धककर्ता द्वारा तब तक बेची या अन्यथा अन्तरित नहीं की जायेगी जब तक कि उसके द्वारा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के लिए गये ऋण या अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि और उसके ब्याज का भुगतान बैंक को न कर दिया गया हो, और इस धारा का उल्लंघन करके किया गया कोई संव्यवहार शून्य होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य द्वारा उधार ली गई धनराशि के किसी भाग का भुगतान कर दिया जाय, तो उस सदस्य के प्रार्थना-पत्र पर उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक सम्पत्ति या उसमें हित के ऐसे भाग को, जिसे वह उचित समझे, बैंक के पक्ष में सृजित या किये गये बन्धक प्रभार या दृष्टि बन्धक सदस्य द्वारा देय शेष धनराशि की सुरक्षा का सम्यक ध्यान में रखते हुए निर्मुक्त कर सकता है।

Mortgagors power to lease or to create other rights in the morgaged and charged property

150. Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 or any other law for the time being in force, no property in respect of which a charge, hypothecation or mortgage has been made in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank shall be sold or otherwuse trabsferred by the person making the charge hypothecation or mortgage until the entire amount of loan or advance taken by him from the Uttaranchal State Co-operative Bank together with interest thereon is paid to the bank and any transaction made in contravention of this section shall be void:

Privided that, if a part of the amount borrowed by a member is paid, the Uttaranchal State Co-operative Bank may, on applicatrion from the member release from the mortgage charge or hypothecation created or

made in favour of the Bank, such part of the property or interest therein as it may deem proper with sue regard to the security of the balance of the amount remaining outstanding from the member.

बैंक के पक्ष में निष्पादित लेख्यों का रजिस्ट्रीकरण

151. (1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात को होते हुये भी किसी उधारकर्ता द्वारा ऋण का प्रतिदान सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी भूमि या उसमें किसी हित या अन्य अचल सम्पत्ति पर प्रभार या बन्धक सृजित करने वाले विलेख को उसके निष्पादन दिनांक से उक्त अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा, बशर्त, बैंक निष्पादन के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उस लक्ष्य की जिसके द्वारा ऐसा प्रभार या बन्धन सृजित किया गया हो, एक प्रति जो बैंक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किसी कर्मचारी द्वारा सम्यक् रूप से सही प्रति प्रमाणित की गयी हो, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राप्ति स्वीकार की रसीद के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के साथ उस उप-रजिस्ट्रार के पास भेज दी गई हो, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रभारित या बन्धक रखी गई, सम्पूर्ण संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित हो और सम्बन्धित उप-रजिस्ट्रार, यथास्थिति, ऐसी प्रति या प्रतियों को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अध ीन विहित पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करेगा।

(2) जहां उप-रजिस्ट्रार की राय हो कि उक्त लेख्य पर सम्यक् रूप से स्टाम्प नहीं लगाया गया है या उसमें आकस्मिक भूल या लोप से उत्पन्न त्रुटि की गई है, यहां लेख्य की, यथास्थिति, प्रति या प्रतियां बैंक को वापस भेजकर उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह तीस दिन या ऐसी बढ़ाई अवधि के भीतर जिसकी अनुमति उप-रजिस्ट्रार उस निमित्त दे, मूल प्रति पर स्टाम्प अधिनियम, 1899 में किसी बात के होते हुए भी, कमी को पूरा करायेगा या त्रुटि को दूर करायेगा।

(3) बैंक, यथास्थिति, स्टाम्प शुल्क की कमी पूरी होने या त्रुटि दूर होने के पश्चात् लेख्य की प्रति उपधारा (1) में निर्धारित रीति से उप-रजिस्ट्रार के पास पुनः भेजेगा, और तदुपरान्त उप-रजिस्ट्रार उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार पुस्तक संख्या-1 में उस प्रति की नत्थी करेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बाते के होते हुए भी, उधारकर्ता सदस्य, न्यासधारी या उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा किसी ऐसे संलेख के जिसका निष्पादन उसके अधिकारिक रूप में किया हो, रजिस्ट्रीकरण से सम्बद्ध किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हो या उक्त अधिनियम की धारा 58 में किये गये उपबन्ध के अनुसार हस्ताक्षर करें।

egistration of documents executed i favour of Uttaranchal State Co-operative Bank

151. (1) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 or any other law for the time being inforce a deed creating charge or mortgage in any land or interest therein or other immovable property executed by a borrower member in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank for the purpose of securing repayment of loan, shall be deemed to have been duly registered in accordance with that Act with effect from the date of its execution provided the Bank has sent to the Sub-Registrar within the loacal limits of whose jurisdiction the whole or any part of the property charged, or mortgaged is situated within a period of three months from the date of execution, by registered post or hand delivery under acknowiedgement a copy of the document creating such charge or mortgage duly certified to be a true copy by an employee of the bank authorized to sign on its behalf, and the sub-registrar concerned shall file such copy or copies, as the case may be in his book No. 1 prescribed under section 51 of the Registration Act, 1908.

(2) Where the Sub-Registrar is of the opinion that the said document is not duly stamped or suffers from any defect arising out of the accidental slip or omission, has shall send the copy or the copies as the case may be, of the documents to the bank regfuiring it to get the deficiency in stamp duty the documents to the bank requiring it to get the deficiency in stamp duty made good on the original or to get the defect removed withi thirty days or within such extended time as the Sub-Registrar may allow in that behalf, The bank shall get the deficiency made good or the defect removed, not withstanding anything contained in the Indian Stamps Act, 1899.

(3) After the deficiency in stamp duty has been made good or as the case may be, the defect has been removed, the bank shall send teh copy of the document again to the Sub-Registrar in the manner laid down in sub-section (1), and there upon the Sub-Registrar shall file the copy in Book No. 1 in accordance with the

provisions of sub-section (1).

(4) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 it shall not be necesary for the borrower member, the Trustee or for any officer of Uttaranchal State Co-operative Bank to appear in person or by agent at any registration office in any proceedings connected with the registration of any instrument executed by him in his official capacity or to sign as provided in section 58 of the said Act.

प्रभार या बन्धक अंकित करने के लिए राजस्व रजिस्ट्रार

152. जहां प्रभारत या बन्धक का सृजन करने वाले लेख्य की प्रति धारा 151 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए भेज दी गईहो यहां बैंक ऐसे लेख्य की एक प्रतिज तहसीलदार या ऐसे अन्य पदधारी के भी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाय, भेजेगा। तहसीलदार या अन्य पदाधिकारी ऐसे प्रभार रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में होगा और उसका निरीक्षण करने की अनुमति और उसकी प्रतियां या उसके उद्धरण ऐसी रीति से और ऐसा शुल्क देने पर दिये जायेंगे जो नियत किये जायें।

Revenue Register for noting of charge or mortgage

152. Where a copy of the document creating charge, or mortgage has been sent for registration under section 151, the bank shall also send a copy of such document to the Tehsildar or such other official as may be designated in this behalf by the State Government. The Tehsildar or other official shall make a note of the particulars of such charge. or mortgage in a register maintained for this purpose. The Register shall be in such form and inspection thereof shall be allowed and copies or extracts there from issued in such manner and on payment of such fee as may be prescribed.

ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट 1882 की धारा 102, 103 और 104 का इस अध्याय के अधीन
नोटिस पर लागू होना

153. ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट, 1882 की धारा 102 और 103 के तथा उक्त धाराओं के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उक्त एक्ट की धारा 104 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमों के उपबन्ध, इस अध्याय के अधीन तामील किये जाने वाले सभी नोटिसों पर यथाशक्य, प्रवृत्त होंगे।

Secton 102, 103 & 104 of the Transfer of Property Act, 1882, to apply to notices under this Act

153. The Provision of Section 102 and 103 of the Transfer of Property Act, 1882 and of any rules made by the High Court under section 104 of the said Act for carrying out the purposes of the said sections, shall apply, so far as may be, in respect of all notices to be served under this Act.

संयुक्त हिन्दी परिवारों के प्रबन्धक द्वारा निष्पादित बन्धक

154. (1) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी बंधक पर नहीं वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले निष्पादित किया गया हो या बाद में कोई आपत्ति इस आधार पर की जाय कि वह संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए निष्पादित किया गया था जो उस परिवार के वयस्क या अवयस्क सदस्यों पर बन्धनकारी नहीं था, तो इसे सिद्ध करने का भार, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गई बात के होते हुये भी, उस पक्ष पर होगा, जो उस बन्धक पर आपत्ति करे।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित प्रयोजन ऐसे समझे जायेंगे जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों पर बन्धनकारी होंगे।

(क) किसी धारा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रयोजन ऐसे समझे जायेंगे जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों पर बन्धनकारी होंगे;

(ख) भूमि पर क्रय;

(ग) परिवार के लिए ग्रामीण निवास गृहों का निर्माण।

Mortgages executed by manager of Joint Hindu Familes

154. (1) Where a mortgage executed in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank, whether before or after the commencement of the Act, is called in question on the ground that it was executed by the manager of a joint Hindu Family for a purpose not binding on the member thereof whether major or minor, the burden of proof shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, rest upon the

party which calls such mortgage in question.

(2) For the purpose of this section the following shall be regarded as purposes binding on members of a joint Hindu Family-

(a) the improvement of agricultural land or of the methods of cultivation or for financing any other means to raise the productivity of land;

(b) the purchase of land;

(c) construction of rural dwelling houses for the family.

परिष्कार जिसके अधीन रहते हुए माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 की

धारा 8 इस अध्याय के अधीन बंधकों पर लागू होगी

155. हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 8 उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में किये गये बंधकों पर इस परिष्कार के अधीन रहते हुए प्रवृत्त होगी कि उसमें न्यायालय को किया गया अभिदेश कलेक्टर या उसको किया गया अभिदेश समझा जायेगा और कलेक्टर या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के विरूद्ध अपील आयुक्त के समक्ष की जायेगी।

Modification subject to which section 8 of the Hindu Minority & Guardianship Act, 1956

shall apply to the mortgages under this Act

155. Section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 shall apply to mortgages in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank, subject to the modification that reference to the court therein shall be construed as reference to the collector or his nominee and the appeal against the order of th collector or his nominee shall lie to the commissioner.

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गा अभिदेश उत्तरांचल

राज्य सहकारी बैंक को किया गया अभिदेश समझा जायेगा

156. किसी विधि या परिनियत संलेख में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के लिए किया गया अभिदेश समझा जायेगा।

Reference to Uttar Pradesh Sahkari Gramya Vikas bank to be construed as a reference to Uttaranchal State co-operative Bank.

156. A reference to the Uttar Pradesh Sahkari Gramya Vikas Bank in any law or statutory instrument shall, with effect from the commencerment of the Uttaranchal State Co-operative Societies Act be construed as Uttaranchal

उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी का विनियम बनाने का अधिकार

157. उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी न्यासधारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक नियमों एवं उपविधियों के उपबन्धों से असंगत न हों और जिनमें निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी की व्यवस्था की गई हो-

(क) ऋण-पत्रों की अवधि तथा उन पर देय ब्याज की दर निश्चित करना;

(ख) ऋण-पत्रधारियों को नोटिस देने के पश्चात् ऋण-पत्रों का प्रत्याहरण;

(ग) क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट ऋण-पत्रों को ऐसे दूसरे वर्ग के ऋण-पत्रों में परिवर्तित करना जिनकी ब्याज की दर भिन्न हो;

(घ) एक वर्ग के ऋण-पत्रों को ऐसे दूसरे वर्ग के ऋण-पत्रों में परिवर्तित करना जिनकी ब्याज की दर भिन्न हो;

(ङ) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के बही-खातों तथा कार्यवाहियों का निरीक्षण;

(च) ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई संपत्तियों का मूल्यांकन;

(छ) बन्धककर्ताओं से वसूल की गई धनराशियों का विनियोजन तथा,

(ज) सामान्यतया कोई ऐसा अन्य विषय जिसके सम्बन्ध में प्रबन्ध कमेटी समझे कि इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, उपबन्ध बनाये जाने चाहिए:-

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 157 के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगे।

Power of the Board of Uttaranchal State Co-operative Bank to make regutations

157. The Board of Uttaranchal State Co-operative Bank, may subject to the approvalof Trustee, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws of Uttaranchal State Co-operavier Bank, providing for all or any of the follwing matters-

(a) fixing the period of debentures and the rate of interest payable thereon;
(b) calling the debentures after giving notice to debenture-holders;
(c) issue of new debentures in place of debentures damaged or destroyed;
(d) converting one class of debentures into another bearing a different rate of interest;
(e) valuation of properties offered as security for loans;
(f) investment of moneys realized from mortgagors; and
(g) generally for any other matter in respect of which the Board considers that the provisions should be made for carrying out the purpose of this Chapter;

Provided that the regulations framed under Section 157 shall be subject to the approval of State Government.

नियम बनाने का राज्य सरकार का अधिकार

158. (1) राज्य सरकार, गजट में प्रकाशन के पश्चात् सामान्यतया इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है जिसके अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस नियत करने का कोई नियम भी है।

(2) विशेषतया तथा उप-धारा (1) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभााव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी विषय की व्यवस्था करने के लिए नियम बना सकती है-

(क) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को बन्धक रखी गई भूमि की उपज अभिहरण करने तथा उसके विक्रय की प्रक्रिया,

(ख) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को बन्धक रखी गई संपत्ति के विक्रय की प्रक्रिया।

(ग) बैंक द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों की सीमा अवधारित करने के लिए धारा 136 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन प्रतिशत निश्चित करना,

(घ) वे शर्त, निर्धारित करना जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूमि की अधिकतम धनराशि बढ़ायी, समाप्त, कम या परिष्कृत की जा सकती है,

(ङ) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना हो अथवा जो नियत किया गया।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य, राज्य विधान सभा के समक्ष जब उसका सत्र हो, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगें।

Power of State Government to make rules

158. (1) The State Government may, after publication in Gazette, make rules generally for carrying out the purposes of this Chapter, including any rules prescribing fees in respect of any proceedings under this Chapter.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the power under sub-section (1) the State Government may make rules providing for all or any of thefollowing matters-

(a) the procedure for the distraint and sale of produce of land mortgaged to Uttaranchal State Co-operative Bank;
(b) the procedure for sale of property mortgaged to Uttaranchal State Co-operative Bank;
(c) fixing the percentage under clause (c) of sub-section 3 of Section 136 for determining the limit of the debentures issued by the Bank;
(d) laying conditions under which the maximum amount of guarantee given by the State Government amy be increased, withdrawn restricted or modified;
(e) any other matter which has to be, or may be prescribed.

(3) All rules made under this section shall as soon as may be, after they are made, be laid before the State Legislature while it is in session, for a total period of not less than 14 days and shall take effect from the date of their publication in the Gazette.

न्यासधारी व अन्य लोक सेवक होंगे

159. न्यासधारी निबन्धक अथवा निबन्धक द्वारा सम्पत्ति के अभिग्रहण व विक्रय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति धारा 148 के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

Trustee and others to be public Servants

159. The Trustee, the Registrar or any person authorixed by the Registrar to distrain and sell property or a Reveiver appoinied under Section 148 shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

लोकसेवक विक्रय पर बोली नहीं लगायेगा

160. धारा–159 के अन्तर्गत वर्णित लोक सेवक इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन किसी विक्रीत चल या अचल संपत्ति की नीलामी में बोली अथवा क्रय नहीं करेगा।

Public servants not to bid at sale

160. No Public Servant referred to in section 159 shall purchase or bid for any movable or immovable property sold under the provisions of this Act.

कतिपय हानियों को पूर्ण करने हेतु प्रत्याभूति निधियां

161. (1) राज्य सरकार ऐसी शर्तों एवं प्रतिबंधों पर जिन्हें वह उचित समझें प्रत्याभूति निधि अथवा एक से अधिक प्रत्याभूति, निधियां उन हानियों को पूरा करने के लिए स्थापित कर सकती है जो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा अचल संपत्ति के आगम (Title) पर दिये ऋण, जो आगे दोषपूर्ण पाये जाते हैं, के फलस्वरूप हो जाती है, या इस अध्याय में किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक है कि एक अलग प्रत्याभूति निधि का प्राविधान किया जाय।

(2) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक ऐसी निधियों में ऐसी दर पर अंशदान, देगी जो नित की जायें तथा ऐसी निधियों का विधान, अनुरक्षण एवं उपयोग ऐसे नियमों से परिचालित होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाएं।

Guarantee funds to meet certain losses

161. (1) It shall be competent for the State Goveriment to constitute one or more Guarantee funds on such terms and conditions as it may deem fit, for the purpose of meeting losses that might arise as a result of loans being made by the Uttaranchal State Co-operative Bank on titles to immovable property subsequently found to be defective or for any other purpose under this chapter, for which in the opinion of the State Government, it is necessary to provide for or create a separate Guarantee fund.

(2) The Uttaranchal State Co-operative Bank shall contribute to such funds at such rate as may be prescribed, and the constitution maintenance and utilization of such funds shall be governed by such rules, as may be made by the State Govenrment in this behalf.

आज्ञा से/By Order,

भरोसी लाल,

BHAROSI LAL,

सचिव/*Secretary*